खण्ड-212, अंक-8
बुधवार, 24 चैत्र, शक संवत् 1882
(13 अप्रैल, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १३ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७४

अक्षयवर्सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पान्डेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पान्डेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमल कुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पान्डेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पान्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीश नारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनरायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद, मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर, शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबासिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेवनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पान्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र रिपु दमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद,, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह श्री, (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरन तेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पान्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देश मुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम बली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रफनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री

लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हुसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शंभुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरवस्ती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखराल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पान्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला, खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १३ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सम्भल में एक हिन्दू बालक का बलात् धर्म-परिवर्तन

१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २९ मार्च, १९६० को सम्भल, जिला मुरादाबाद, में एक अपहृत अल्पवयस्क हिन्दू बालक का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किये जाने की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये जिनमें से एक ने खण्ड मण्डलाधीश को बयान दिया कि उक्त लड़का १ घन्टे के भीतर उपस्थित कर दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या लड़के को बरामद कर लिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां। ऐसी रिपोर्ट थाना सम्भल ? जिला मुरादाबाद में लिखाई गई और इस सम्बन्ध में ६ व्यक्ति गिरफतार किये गये । इनमें से किसी व्यक्ति ने लड़के को एक घन्टे में उपस्थित करने का बयान एस० डी० एम० को दिया इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। लड़का अभी तक बरामद नहीं हुआ है ।

२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सम्भल के थानेदार तथा कुछ प्रमुख हिन्दू नागरिकों को मार डालने की धमकी के पत्र मिले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई सूचना सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित]

कोहनूर श्रमिक संघ, वाराणसी का शिकायती पत्र

*१—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या कोहनूर श्रमिक संघ, वाराणसी के मजदूरों ने मुख्य मन्त्री के पास गत १२-२-६० को प्रार्थनापत्र भेज कर यह शिकायत की है कि उसके मालिक व प्रबन्धक कुछ मजदूरों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। प्रार्थनापत्र श्रमायुक्त के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया और स्थानीय श्रम अधिकारियों की जांच पर कथित शिकायत निराधार पायी गयी।

झांसी नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध अभियोग

*२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें झांसी नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध छपे दिनांक २०-२-५९ व ३-९-५९ वाले खुले अभियोग पत्रों के जानकारी है? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां। इस विषय में जांच अभी हो रही है, अतः ऐसी स्थिति में जांच की रिपोर्ट जो अभी पूरी नहीं हुई है से सदन को अवगत कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के लोअर डिवीजन कर्मचारियों की अर्हता परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*३—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९५७ में सरकारी सचिवालय में ९० लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स का लीव रिजर्व सृजन करने के लिये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक प्रतियोगात्मक परीक्षा ली गयी थी? यदि हां, तो क्या उसमें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये १६ स्थान सुरक्षित किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*४—**श्री वीरसेन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रतियोगात्मक परीक्षा को सितम्बर, १९५९ के अर्हता परीक्षा (Qualifiyng Test) घोषित कर दिया गया और उक्त संरक्षण खत्म कर दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५—**श्री वीरसेन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त परीक्षा में अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी बैठे और कितनों ने अर्हता (qualify) प्राप्त की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८ अभ्यर्थी बैठे जिनमें ६ ने अर्हता प्राप्त की।

श्री वीरसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कम्पेटीटिव टेस्ट था वह क्वालीफाइंग टेस्ट में क्यों बदल दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सेक्रेटेरियट में जो काम करने वाले हैं उन्होंने दरख्वास्त दी कि उनको ग्रहंता में बदल देने से फायदा होगा। ग्रगर कम्पीटीशन होता तो ६० स्थान भरे जाते लेकिन ग्रब जितने भी लोग पास हुये हैं, उन सबको ले लिया जायगा।

श्री वीरसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि स्टेट के जो पहले जी० ग्रो० थे यह फैसला उनके खिलाफ पड़ता था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक जी० ग्रो० के बाद जब दूसरा जी० ग्रो० होता है तो पहला जी० ग्रो० ग्रपने ग्राप मंसूख हो जाता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब कम्पेटीटिव टेस्ट क्वालीफाईंग टेस्ट में बदल दिया गया तो नौकरियों की संख्या कैसे बढ़ गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं शायद समझा नहीं पाया। ग्रगर टेस्ट से लिये जाने का होता तो लीव रिजर्व के लिये ६० ग्रादमियों को लिया जाता लेकिन ग्रब जितने भी क्वालीफाई हो गये हैं उनको जैसे-जैसे स्थान होते जायंगे वैसे वैसे ले लिया जाता रहेगा।

*६-७—**श्री राजनारायण**—[२७ ग्रप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कर्वी नगरपालिका में पेय जल कष्ट

*८—**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि बांदा जिले की चित्रकूट धाम उर्फ कर्वी नगरपालिका के ग्रंदर तीन चौथाई कुग्रों का पानी खारा हो जाने के कारण जल पीने का जनता को महान कष्ट है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)— यह सत्य है कि चित्रकूट धाम नगरपालिका के ग्रन्दर के लगभग तीन चौथाई कुग्रों का जल स्वादिष्ट नहीं है ग्रौर कुछ कुछ खारा है। परन्तु प्रत्येक मुहल्ले में मीठे जल के कूएं भी हैं।

*९—**श्री जगपतिसिंह**—क्या सरकार पैसुनी नदी से नलकूप द्वारा पानी लेकर जनता का कष्ट दूर करने को सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ग्रौर नहीं ग्रौर किस कारण से ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, परन्तु इस प्रकार की योजना तभी बनायी जा सकती है जब कि नगरपालिका इस सम्बन्ध में शासन को लिखेगी ग्रौर नियमानुसार योजना बनाने लिये ग्राग्रिम शुल्क जमा कर देगी।

श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार को पता है कि हर ग्रमावस ग्रौर पूर्णिमा के दिन लाखों यात्री जो चित्रकूट जाते हैं वे जल के ग्रभाव में कष्ट पाते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—सम्भव है कष्ट होता हो, लेकिन ग्रगर नगरपालिका इस योजना को बनवाना चाहती है तो उसको ग्रग्रिम धन देना होगा ग्रौर ग्रागे की कार्यवाही के लिये सरकार तैयार है।

श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार को पता है कि गर्मी के दिनों में ये कुवें भी सूख जाते हैं ग्रौर जल का ग्रत्यन्त ग्रभाव रहता है तो क्या सरकार वहां के लिये जल का प्रबन्ध करने की सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस स्कीम के मातहत तो तभी काम हो सकता है जब स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड इनीशियेटिव ले।

लखनऊ नगर का मास्टर प्लैन

*१०--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने लखनऊ नगर के लिये कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। योजना की एक*प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

*११--श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने उपरोक्त योजना तैयार करते समय लखनऊ महापालिका से भी परामर्श किया था ? यदि हां, तो उस योजना के सम्बंध में महापालिका की क्या जिम्मेदारी होगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह योजना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा राज्य नगर और ग्राम नियोजन विभाग के परामर्श से तैयार की गई थी। अब नगर महापालिका भूतपूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सारी स्कीमें महापालिका अधिनियम के अनुसार लागू करेगी। इसमें संशोधन का कोई प्राविधान नहीं है।

कानपुर की ग्वालटोली स्लम क्लिएरेंस स्कीम

*१२---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने महानगरपालिका, कानपुर को ग्वालटोली स्थित २१० मकानों को गिराने की स्वीकृत प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार विस्थापित गृहविहीन लगभग १५,००० व्यक्तियों को बसाने का क्या प्रबन्ध करेगी कि जो इस प्रकार के आदेशों से गृह विहीन होंगे ?

श्री जयराम वर्मा---सरकार ने कानपुर में ग्वालटोली स्थित गन्दी बस्ती को हटाने के लिये भूतपूर्व कानपुर डेवलेपमेन्ट बोर्ड द्वारा बनायी गई "ग्वालटोली स्लम क्लिएरेंस स्कीम" को स्वीकृति प्रदान की है जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में स्थित २११ मकानों को एक्वायर किया जायगा। इन मकानों में रहने वाले १५५० विस्थापित परिवारों में से जो मिल मजदूर हैं उन्हें बेनाझाबर इन्डस्ट्रियल लेबर कालोनी में बसाया जायगा तथा शेष परिवारों को हरिहरनाथ शास्त्री नगर तथा जूही में बनने वाले स्लम क्वार्टरों में बसाए जाने का विचार है।

*१३---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त स्वीकृति सरकार ने कब प्रदान की और उसमें उपर्युक्त मकानों में रहने वाले लोगों से भी पूछा गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा---सरकार ने ३० जनवरी, १९६० को इस योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। उपर्युक्त मकानों के मालिकों तथा रहने वालों, दोनों को अपनी आपत्तियां भेजने के लिये नोटिस दिये गये थे। आपत्तिकारियों को स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति समझाने का अवसर दिया गया था तथा सारी आपत्तियों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने बिचार किया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने परिवार को बेनाझाबर कालोनी में बसाने का निश्चय किया गया है और कितने परिवारों को हरिहरनाथ शास्त्री नगर में बसाने का उसने निश्चय किया है ?

श्री जयराम वर्मा---निश्चित संख्या देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन जितने मिल मजदूर हैं उन्हें बेनाझाबर कालोनी में बसाया जायगा और शेष को हरिहरनाथ शास्त्री नगर में बसाया जायगा।

---

*प्रति छापी नहीं गई।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास कोई ऐसी भी योजना आई है कि पहले बेनाझावर इंडस्ट्रियल लेबर कालोनी के मजदूरों की ही व्यवस्था हो जाय, तब उनके मकान गिराये जायं ?

श्री जयराम वर्मा---ऐसा तो नहीं है, मकान तो एक्वायर किये जायंगे।

श्री राजनारायण---तो क्या सरकार हमारा यह सुझाव मान कर इस पर उचित कदम उठायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, वहां मकान पहले से ही बने हुये हैं। बहुत दिन पहले से उनको नोटिस मिली है जिसको वे ऐवेल नहीं कर सके और उस स्थान को छोड़ने के अनिच्छुक हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि उन मकान वालों ने सरकार के पास और वहां के डेवलपमेन्ट अधिकारियों के पास इस प्रकार का रेप्रेजेंटेशन किया था कि उनको मकान दे दिये जायं तो वे उस स्थान को छोड़ने के लिये तैयार हैं लेकिन मकान न होने की वजह से ही वे वहां रह रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी डेफिनिट सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो वहां मकान मालिक हैं जिनकी जमीन ली जायगी जब यह योजना कार्यान्वित होगी तो उनको प्रायरिटी मिलेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, कोशिश यही है कि जितनी योजनायें बनें उनमें हम इन लोगों को प्रायरिटी देने की कोशिश करें। लेकिन कई बार इन लोगों की गलती से और कई बार हमारे आफिसरों की वजह से स्ट्रिक्टली बिल्कुल कोई कठिनाई न हो, ऐसा नहीं होता है लेकिन कोशिश यही होती है कि इनको प्रायरिटी दी जाय और इनके लिये जहां तक हो सके कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो मिल मजदूर नहीं हैं और जिनके मकान लिये जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिये भी फिलहाल किसी इन्डस्ट्रियल कालोनी में रहने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने बतलाया कि सरकार की कई योजनायें हैं, एक तो लो इनकम ग्रूप हाउसिंग योजना है, एक अपर मिडिल क्लास इनकम ग्रूप हाउसिंग योजना है जिनके मातहत कर्जे दिये जाते हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से जमीन डेपलप करके बेची जाती हैं। ये सब फैसिलिटीज हम लोगों को देते हैं लेकिन अगर उसको कोई एवेल नहीं करता है तो फिर दिक्कत होती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जो १५५० परिवार विस्थापित होने वाले हैं उनमें से जिन लोगों को लेबर कालोनी में बसाने की बात सरकार कर रही है उनके किराये में डिफरेंसिएशन बहुत है जिसकी वजह से लोग उसे एवेल नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---स्लम क्लीयरेंस स्कीम के मातहत जितने मकानों के किराये हैं वे रियायत दर पर ही लिये जाते हैं, अगर फिर भी उसे ज्यादा समझा जाता है तो सरकार की इसमें लाचारी है।

शाहजहांपुर अन्तरिम जिला परिषद् में इंजीनियर की नियुक्ति पर आपत्ति

*१४—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिला अन्तरिम परिषद् ने ५-३-६० को एक असाधारण बैठक में सदस्यों को बिना पूर्व सूचना दिये एक Special Resolution स्वीकार करके एक Officiating Engineer की नियुक्ति कर ली है?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं। परिषद् ने ५-३-६० की असाधारण सभा की बैठक के कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को २६-२-६० के पत्र द्वारा दे दी थी। ५-३-६० को परिषद् द्वारा इन्जीनियर की अस्थायी (temporary) नियुक्ति स्वीकार की गई थी।

*१५—श्री देवनारायण भारतीय—यदि हां, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ४८, ७०, ७२, ७३ और ८२ के अनिवार्य प्रतिबन्धों का उल्लंघन क्यों किया गया है?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् के उक्त प्रस्ताव को अवैधानिक एवं अनियमित घोषित करने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १४ के उत्तर में जिस २६-२-६० के पत्र का उन्होंने जिक्र किया है जो सदस्यों को परिषद् की ओर से भेजा गया था, उसमें कहीं पर भी इंजीनियर की नियुक्ति का प्रश्न अंकित नहीं है, क्या इस पर मन्त्री जी प्रकाश डालेंगे?

श्री जयराम वर्मा—वह उसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह काम निर्माण समिति के सुपुर्द किया गया था कि वह इस विषय में अपनी रिपोर्ट दे, उसके पालन हेतु विचार कर के एक्शन लेने के लिये बैठक बुलाई गई थी, यही सूचना इसमें है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बोर्ड ऐक्ट की धारा ४८ के दूसरे प्राविजन के अनुसार एक इंजीनियनर की नियुक्ति के लिये, चाहे वह स्थायी हो या अस्थाई हो, एजेंडे में उसके लिये एक विशेष प्रस्ताव का अंकित होना विशेष रूप से अनिवार्य है?

श्री जयराम वर्मा—विशेष प्रस्ताव को पारित करने के लिये पूर्व सूचना होना जरूरी है, लकिन इस में तो सभी सदस्यों को मालूम था कि कौन सा काम कमेटी के सुपुर्द है, उसकी रिपोर्ट को देखकर निर्णय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि रिपोर्ट में इंजीनियर की नियुक्ति के बारे में जिक्र था।

श्री जयराम वर्मा—वह इंजीनियर की नियुक्ति के बारे में ही विचार के लिये पेश किया गया था।

श्री अध्यक्ष—ऐसी सूचना उसमें दी है कि रिपोर्ट पेश होगी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने ८-४-१० को एक प्रश्न भी इस सम्बन्ध में मंत्री जी की सेवा में उपस्थित किया था?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, दिया था।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस रिप्रेजेन्टेशन में एक जी० ओ० का हवाला दिया है, जी० ओ० नं० ३७०६ दिनांक १५-११-४६ जिसमें कि यह अंकित है कि

"The post of Engineer be held in abeyance for the present and should not be filled without the previous approval of the Government."

तो क्या इस जी० ओ० के अनुसार जिला बोर्ड ने प्रादेशिक सरकार से आज्ञा प्राप्त कर ली थी उस इंजीनियर की स्थायी नियुक्ति करने के लिये ?

श्री जयराम वर्मा--जो रिप्रिजेन्टेशन दिया गया है उसको अभी नहीं देखा जा सका है ठीक से कि उसमें क्या लिखा है, इसलिये उसके बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या यह सही है कि अन्तरिम जिला परिषद् बनाते समय ही सरकार ने जिला बोर्डों को आदेश दिया था कि जब तक अन्तरिम जिला परिषदें रहें तबतक स्थायी नियुक्तियां करके कोई खर्च न बढ़ाया जाय जिससे कि बोर्ड के फाइनेन्सेज पर भार बढ़े?

श्री जयराम वर्मा---इस तरह का आदेश जरूर था कि अगर इस बीच में कोई वैकेन्सी हों तो वे न भरी जायं लेकिन यह वैकेन्सी तो सन् ४६ से चली आ रही थी और अब उन्होंने उसका इंतजाम किया इसीलिये उनको नहीं रोका गया।

[१३ अप्रैल, १९६० के लिए निर्धारित प्रश्न]

*१-३--**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)---[७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न ४३-४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*४-५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न ३७-३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

शुगर केन इन्सपेक्टर

*६--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस वर्ष प्रदेश में कितने व्यक्ति शुगरकेन इंसपेक्टर, असिस्टेंट शूगर केन इंसपेक्टर तथा आनरेरी शुगर केन इंसपेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं और कहां-कहां पर ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--इस वर्ष प्रदेश में ८ शुगरकेन इंसपेक्टर तथा ३६४ आनरेरी शुगरकेन इंसपेक्टर तथा जिन स्थानों पर वे काम कर रहे हैं उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। असिस्टेंट शुगरकेन इंसपेक्टर का कोई पद नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५५ पर)

*७--**श्री गेंदासिंह**---उपरोक्त निरीक्षकों की संख्या में कोई कमी पिछले दस वर्ष में की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह---क्या उद्योग मन्त्री जी इस बात की जानकारी फिर से करेंगे कि असिस्टेंट शुगरकेन इंसपेक्टर अभी कुछ वर्षों पहले प्रत्येक फैक्टरी में रखे जाते थे और वह पद इस वक्त तोड़ दिया गया है जिसकी वजह से फैक्टरी की देख-रेख में दिक्कत हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—देख–रेख में दिक्कत हो रही है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन कोई पद था और तोड़ दिया गया, उसकी जानकारी अगर कोई हिस्टारिकल इंस्टेरेस्ट हो तो जरूर कर लें।

श्री गेंदासिंह—मैंने स्पष्ट कहा कि असत्य बात कही गयी माननीय उद्योग उपमन्त्री जी के मुंह से। तो मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तीन–चार वर्ष पहिले यह पद था और इसके न रहने से इस वक्त कठिनाई है। इन दोनों बातों की तरफ ध्यान दिलाते हुये कहना चाहता हूं कि क्या उस की जानकारी की जायेगी और पुनः इस पद को बनाने की कोशिश होगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—काम में कोई दिक्कत आ रही है, यह मैंने नहीं स्वीकार किया। जहां तक यह प्रश्न है कि पद था, उसकी जानकारी का अगर कोई खास इन्टेरेस्ट हो तो मैं जानकारी करा दूंगा।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या प्रदेश के हर एक परचेजिंग सेन्टर पर आनरेरी शुगर केन इंसपेक्टर की नियुक्ति की जाती है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जितने भी हमारे सेन्टर जहां जहां पर हैं उनके सम्बन्ध में एक सेन्टर या कई सेन्टरों को मिला कर ये इंसपेक्टर बनाये जाते हैं।

श्री गेंदासिंह—आनरेरी शुगर केन इंसपेक्टरों की संख्या को देखते हुये क्या वजह है कि देवरिया और मेरठ में २९ और २५ नियुक्त किये गये हैं जब कि समूचे प्रदेश भर में अधिक परचेजिंग सेन्टर यहां हैं और सब से अधिक, ७६ ऐसी ही कुछ संख्या है, मुरादाबाद में किये गये हैं? उनके बढ़ाने में क्या दिक्कत है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बढ़ाने में दिक्कत की बात तो नहीं कही। हर जगह का जिलाधीश प्रोपोजल भेजता है कि इतने इतने आदमियों को बनाना ठीक होगा उसके मुताबिक गन्ना आयुक्त बनाते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी समझते हैं कि कम हैं तो ध्यान आकर्षित करें, जिलाधीश से सिफारिश मंगा ली जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि आनरेरी शुगर केन इंसपेक्टरों की जो नियुक्ति होती है वह सीजन का बहुत समय निकल जाने के बाद होती है, इसलिए वह ठीक प्रकार से निरीक्षण नहीं कर पाते? इसके लिए कोई उपाय करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, कोशिश बिलकुल यही रहतीहै कि इनका एप्वाइन्टमेंट सीजन शुरू होने के पहले–पहले हो जाय, लेकिन सारे लोगों का एक ही तारीख में हो जाय, वह मैं नहीं कहता। भविष्य के लिए यह जरूर प्रामिस कर सकता हूं कि अगले वर्ष के सीजन शुरू होने के पहले इनका एप्वाइन्टमेंट हो जाय तो बहुत अच्छा है, इस की कोशिश करूंगा।

खण्ड विकास समितियों के असरकारी सदस्यों की प्रशिक्षण व्यवस्था

*८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खंड विकास समितियों में असरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार ने कोई पाठ्यक्रम तैयार किया है? यदि हां, तो वह पाठ्यक्रम क्या है?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तानआलम खां)—जी हां। *सूचना सदन की मज पर रखी है।

---

*सूचना छापी नहीं गयी।

*६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खंड विकास समितियों के असरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की जायगी और इस प्रशिक्षण पर चालू वित्तीय वर्ष में कितना धन व्यय होगा और कितने सदस्य प्रशिक्षित होंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां--खंड विकास समितियों के असरकारी सदस्यों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा स्वीकृत १५ गैर-सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों पर की गयी है। इन में से १० केन्द्र १७ नवम्बर से तथा २ केन्द्र ५ सितम्बर, १९५९ से तथा अन्य ३ केन्द्र १ जनवरी, १९६० से चालू किये गये थे। इनमें एक समय में प्रत्येक केन्द्र पर ४५ सदस्य भेजने का प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक कोर्स ८ दिवस का है तथा ३१ मार्च, १९६० तक ३,७८,००० रु० व्यय के लिए स्वीकृत हुआ था जो कि केन्द्रों को ५० रु० प्रति शिक्षार्थी के हिसाब से अनुदान के रूप में दिया गया है। ३१ मार्च, १९६० तक लगभग ८,१९० सदस्यों के प्रशिक्षण की योजना थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि केन्द्रों पर पाठ्यक्रम की संख्या में अन्तर क्यों है ? तीन केन्द्रों पर १०, दो केन्द्रों पर ११ और १० केन्द्रों पर १३ पाठ्यक्रम हैं, तो यह फर्क क्यों है ?

श्री सुल्तानआलम खां—इसकी वजह यह है कि जो केन्द्र मुकर्रर किये गये थे उनमें बाद को तब्दीली की गयी। इससे यह मालूम होता है कि एक ही पाठ्यक्रम ट्रेनिंग के लिए किया गया, लेकिन जिन जिलों में कम मालूम होता है वहां के ट्रेनीज दूसरे जिलों में ट्रेनिंग कर चुके होंगे। पहले जो सेंटर मुकर्रर किये गये थे उन में जिलों की दूरी और नजदीकी को देखते हुये परिवर्तन किया गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—इसी प्रकार प्रशिक्षण का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के केन्द्रीय स्थानों पर चलाये जाने के प्रश्न पर भी विचार करने की माननीय मन्त्री कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तानआलम खां—जैसा पहले जवाब में बतलाया, यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलायी जा रही है और कुछ सेंटर्स जो हैं उन की यहां एक लिस्ट है। ऐप्रूव्ड सेंटर्स में से ये सेंटर्स छोटे हैं और उन में यह योजना चलायी जा रही है और उनमें यह सारा खर्चा भारत सरकार देती है।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मन्त्री इन ट्रेनिंग सेंटर्स की संख्या तथा नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तानआलम खां—१५ सेंटर्स हैं। वे इस प्रकार हैं :-हरिजन आश्रम, प्रयाग, हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद, बापू स्मारक निधि, राजघाट, वाराणसी, हरिजन गुरकुल, गांधी ग्राम, दोहरीघाट, आजमगढ़, लिट्रेसी हाउस, लखनऊ, गांधी स्वावलम्बी विद्यालय, रानीबन, फैजाबाद, हिन्दी भवन, कालपी, गांधी सेवा सदन, बदायूं, प्रेम विद्यालय, गांधीपुरी (अल्मोड़ा), बलवन्त रूरल इन्स्टीटयूट, बिचपुरी, आगरा, गनेश सेवा आश्रम, नरवल, कानपुर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, लोक कार्य क्षेत्र, खुर्जा, हरिजन सेवक संघ, मुरादाबाद।

श्री प्रतापसिंह—नियोजन मन्त्री ने जिन केन्द्रों के बारे में कहा है क्या भविष्य में वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रीजनल प्लानिंग की तरह प्रत्येक रीजन में अलग-अलग सेंटर हों और वहां की आवश्यकताओं के अनुसार उनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय ?

श्री सुल्तानआलम खां—ये जो सेंटर हैं उनके लिये इसी सप्ताह सब बातों पर कार्यक्रम मुकर्रर कर दिया गया है और हर सेन्टर पर कई-कई जिले लगा दिये गये हैं और वहां से जो ट्रेनीज आते हैं उनकी यहां ट्रेनिंग होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन सेंटर्स के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान तथा अर्थशास्त्र का प्रारम्भिक ज्ञान कराये जाने के विषय में सिलेबस में कोई व्यवस्था है ?

श्री सुल्तान आलम खां—उन का सिलेबस बना हुआ है और उसके अन्दर उनको हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। फील्ड वर्क की दी जाती है, प्लानिंग तथा फिलासफी की आइडियोलोजी के मुताल्लिक बतलाया जाता है और जिस-जिस चीज की जरूरत है पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वे सब बातें उन्हें बतलायी जाती हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—ये प्रशिक्षण केन्द्र अपने कार्य को पूरा कर चुके हैं या इस वर्ष उन्हें पुनः चालू किया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह योजना ५९-६० का आधा साल बीतने पर शुरू हुई थी। यह चालू है और इस वर्ष यह तजवीज है कि सेंकेंड फाइव ईयर प्लान के आखीर तक इसे चलाया जाय, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि तीसरे फाइव ईयर प्लान के आखीर तक इसे चलाना पड़ेगा और उस वक्त तक हम इसको सैचुरेट कर सकेंगे।

वृद्धावस्था की पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास इस वर्ष वृद्धावस्था की पेन्शन के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से कितने स्वीकृत तथा अस्वीकृत हुये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस वर्ष दिसम्बर, १९५९ तक वृद्धावस्था पेंशन के हेतु २१,४४८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, जिन में से ५,८८२ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा १४,११९ अस्वीकृत किये गये।

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रकार के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में आयु के अधिकृत प्रमाणों के अभाव में क्या वह सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट व एफिडेविट का प्रमाण मानती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आयु के अधिकृत प्रमाणों के अभाव में सिविल सर्जन का सार्टिफिकेट अन्ततः माना जाता है, वस्तुतः एफिडेविट का सार्टिफिकेट नहीं माना जाता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २० हजार प्रार्थना-पत्रों मे से १४ हजार खारिज हो जाने के मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आयु की कमी या उन रिश्तेदारों का होना जिनका अवलम्बन मिल जाने के कारण सरकार उन्हें पेन्शन देना उचित नहीं समझती।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है उनकी जांच के जो नियम हैं उनमें कुछ ढिलाई करने की कृपा करेंगे ताकि ज्यादा लोगों को स्वीकृति मिल सके ?

श्री अध्यक्ष—यह सुझाव है, प्रश्न नहीं है।

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूम, हैदराबाद के स्टाक म कमी

*१२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्पेशल मैनेजर, गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डी क्राफ्ट्स को गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो-रूम, हैदराबाद के स्टाक में भारी कमी की कोई सूचना मिली है ? यदि हां, तो कितने की ?

*१३---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त शो-रूम में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कितने मूल्य का सामान कम पाया गया ?

*१४---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त धन की कमी की जिम्मेदारी किन किन कर्मचारियों पर निश्चित की गयी तथा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

श्री अमरनाथ---इस बात को देखते हुये कि इस प्रश्न को किये बहुत ज्यादा दिन हो गये ह क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि इसका जवाब देने में इतना विलम्ब हो रहा है और क्या भविष्य में जब इसका जवाब आ जायगा तो सदन में उसको हमें देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---सदन में तो वह देंगे ही। देर का क्या कारण है यह बता दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बात यह है कि मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के सम्बन्ध में भी कहा था कि सारा काम उन्होंने मेरे को देख रेख करने के लिए सौंपा है। तो महज सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट पर मैं कोई उत्तर सदन में नहीं देना चाहता। सारे सवालों को मैं खुद देख रहा हूं। उसमें मुझे थोड़ा समय लग रहा है। सदन में उपस्थिति के कारण मुझे समय नहीं मिला कि मैं जा कर देखूं। इसलिए मैं वांछित सूचना इकट्ठा कर रहा हूं और इकट्ठा हो जाने पर उसे सदन में रखूंगा।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि अबतक राज्य सरकार के पास इन उद्योगों के कोई सही आंकड़े मौजूद नहीं हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें उद्योग का सवाल है ही नहीं। हैन्डीक्राफ्ट के सिल-सिले में कुछ सवाल हैं। उसकी वर्किंग के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि उन्होंने मुझे काम सौंप दिया है कि मैं खुद जांच करूं। वह मैं कर रहा हूं। तो आंकड़े तो उपलब्ध हैं, लेकिन सरकारी अफसरों के भेजे हुये आंकड़ों की जब तक मैं पड़ताल न कर लूं तब तक मैं उनको देना नहीं चाहता।

श्रम विभाग, गाजियाबाद को कोठी का अलाटमेंट

*१५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के श्रम विभाग को कल्याण केन्द्र स्थापित करने के लिए एक कोठी एलाट की गयी थी और विभाग द्वारा यह कोठी मई, १९५० को तथा उसके साथ के दो सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स १८ दिसम्बर, १९५० को अपने अधिकार में ले लिये गये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रम विभाग, गाजियाबाद, द्वारा एलाटेड कोठी का कब्जा मई, १९५० में तथा उसके साथ के दो सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स का कब्जा १८ दिसम्बर, १९५० को लिया गया। तो क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि अलग-अलग तारीखों में कब्जा लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मकान मालिक के नौकरों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने नहीं छोड़ा, हमने बड़ी कोशिश की। उनके साथ मुकदमेबाजी भी किराये आदि के सिलसिले में हुई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कोठी के किराये के प्रश्न को लेकर सरकार और दूसरी पार्टी के बीच न्यायालय में कोई वाद हुआ था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी हां। न्यायालय से फैसला भी हो गया कि कितना किराया देना है।

खाण्डसारी का उत्पादन तथा निर्यात

*१६—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९५८–५९ में कुल कितनी खांडसारी चीनी प्रदेश में बनी और उनमें कितनी सल्फिटेशन प्रोसेस से तथा कितनी बिजली द्वारा चलाये हुये क्रशरों से और कितनी बिना बिजली वाले क्रशरों से बनी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

*१७—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कुल कितनी खांडसारी चीनी सन् १९५८–५९ में बाहर भेजी गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि वांछित सूचना अब तक किस कारण से उपलब्ध नहीं हो सकी और क्या जब वह उपलब्ध हो जायगी तो वह सदन में हमको उसकी सूचना देंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिए तो वह कहते हैं कि उपलब्ध ही नहीं है। यानी उसके लिए देर लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनका तो जवाब हो गया कि नहीं दे सकते।

श्री अमरनाथ—मैंने पूछा था कि किस कारण से उपलब्ध नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—यह सारा काम इतना फैला हुआ है कि जिसमें सभी चीजों को मिला कर के पूछा गया है। उस सब के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास इकट्ठा नहीं हैं। जहां तक बड़ी चीनी मिलों का सवाल है, उन के उत्पादन के फीगर्स हमारे यहां भी आते हैं और केन्द्रीय सरकार के पास भी जाते हैं। तो उनके सम्बन्ध में तो कह सकते हैं लेकिन जो छोटी-छोटी तमाम फैक्टरीज हैं उन सब के विधिवत् स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि सरकारी सूत्रों से सूचना उपलब्ध नहीं है तो क्या गैरसरकारी सूत्रों से उपलब्ध है ? यदि गैर सरकारी सूत्रों से सूचना उपलब्ध है तो प्रश्न संख्या १७ के बारे में वह सूचना क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—गैर सरकारी खबरें तो गेंदा सिंह जी अधिकृत रूप से देते रहते हैं, मैं क्या कहूं।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब क्रशर्स में लाइसेंस है और उस के नियम हैं जिनके अनुसार वह चलते हैं तो क्या सारा हिसाब-किताब उनके उत्पादन का नहीं लेते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—लाइसेंस की व्यवस्था हाल की है और वह भी सब पर नहीं है बल्कि जो यंत्रचालित क्रशर्स हैं उन पर है। अगर प्रश्न सीमित और इस पीरियड तक का हो तो कुछ कहा जा सकता है वरना कुछ कहना बड़ा मुश्किल है।

औद्योगिक विवाद

*१८—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग वर्ष, १९५७, १९५८ व १९५९ में कितने औद्योगिक विवाद Labour Courts व Industrial Tribunals को फैसला करने के लिए भेजे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य सरकार द्वारा इन तीन वर्षों में अभिनिर्णयार्थ भेजे गये विवादों की संख्या निम्न प्रकार है:—

१९५७	..	..	..	.. ६८७
१९५८	..	..	..	.. ६३३
१९५९	..	..	..	.. ६८३

*१९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने कि कृपा करेगी कि उक्त विवादों में से कितने-कितने क्रमश: I. N. T. U. C. हिन्द मजदूर सभा व A. I. T. U. C. नामक महा संघों से Affiliated Trade Unions द्वारा उनके श्रमिक सदस्यों की ओर से उठाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ ८५६ पर)

*२०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—[२७ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों में स्थायी तहसीलदार

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन मुस्तकिल तहसीलदार हैं, जो तीन वर्षों से प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पद पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग', आगे पृष्ठ ८५७ पर)

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ऐसे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट हैं जो अब तक मुस्तकिल नहीं किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२०५।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ये जो मुस्तकिल तहसीलदार हैं उनको कब तक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पद पर रखा जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियम यह है कि डिप्टी कलेक्टर्स की जो स्थायी संख्या है उसके एक चौथाई तहसीलदार तरक्की से भरे जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर्स की संख्या ५४० है इसके एक चौथाई १३५ हैं, तो उनके लिए केवल १३५ जगह हैं और ज्यों-ज्यों जगह खाली होती जायेंगी लोग ऊपर उठते जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि यदि स्थान नहीं हैं तो स्थानापन्न प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के स्थान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि स्थान में और स्थायी स्थान में फर्क होता है। आई० ए० एस० और डिप्टी कलेक्टर्स का एक फिक्स्ड कैडर होता है और दोनों की जगह बंधी हुई हैं। डिप्टी कलेक्टर्स का निश्चित कैडर ५४० का है और इसके अलावा काम पड़ने से और भी जगह बढ़ गयी हैं।

श्री गेंदासिंह—२०५ साहबान गैरमुस्तकिल हैं, तो कुल कितने मैजिस्ट्रेट हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२०५ में से ८३ ऐसे हैं जो तहसीलदार हैं। वह तहसीलदार की हैसियत से मुस्तकिल हैं और इस हैसियत से गैरमुस्तकिल हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतायेगी कि २०५ में से जो मुस्तकिल नहीं हैं क्या उनका रिनुअल हर साल किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कुछ ऐसी जगह हैं और इन में २२ रेलवे मैजिस्ट्रेट्स हैं और वे गवर्नमेंट आफ इन्डिया की स्कीम के अनुसार रखे जाते हैं चाहे ५० वर्ष क्यों न लग जायं; जब तक यह स्कीम स्थायी नहीं होती तब तक वह भी अस्थायी ही रहेंगे। इसी तरह से कुछ और जगहें भी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जो लोग अस्थायी हैं उनके लिए सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत वह कुछ प्रति शत प्रत्येक साल मुस्तकिल कर देती हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन, मैं पहले बता चुका हूं कि जहां तक तहसीलदारों की बात है, उन के लिए कुल १३५ जगह हैं और जब कोई डिप्टी कलक्टर कहीं खिसकेगा तो जगह खाली होगी। रेलवे मैजिस्ट्रेटों के लिए मैंने निवेदन किया कि जब तक इस स्कीम को गवर्नमेंट आफ इण्डिया स्थायी नहीं करती तब तक वे अस्थायी ही रहेंगे, चाहे ५० वर्ष क्यों न लग जायं।

कपड़ा व्यापार सम्बन्धी लाइसेन्स हटाने की प्रार्थना

*२३---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कपड़ा कन्ट्रोल आर्डर, १९५२ के हट जाने के बाद भी जो लाइसेन्स प्रणाली प्रदेश में चालू है उससे समाप्त करने का निश्चय सरकार ने किया है ?

हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

*२४---**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि हां, तो कब से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि लाइसेंस प्रणाली समाप्त न करने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार इसको चालू रखने की आवश्यकता समझती है।

वृद्धावस्था पेन्शन सम्बन्धी नियमों में संशोधन

*२५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वृद्धावस्था की पेन्शन सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के लिए अभी हाल ही में कोई कमेटी बैठी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उक्त कमेटी द्वारा किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां। उक्त कमेटी की सिफारिश के फलस्वरूप वृद्धावस्था पेंशन योजना सम्बन्धी नियमों में हुये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज पर रख दी है।]

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८५८-८५९ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---जब कि पति-पत्नी की आयु में केवल दो-चार वर्ष का अन्तर होता है और पत्नी उक्त अवस्था में मेहनत करने में असमर्थ हो जाती है, ऐसी दशा में क्या माननीय मुख्य मन्त्री पत्नी के होते हुये भी पुरुष की पेंशन देने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इस समय जो नियम हैं वही लागू हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झाँसी)---माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो संशोधित सूची दी गयी है, उसमें है कि पत्नी के होते हुये पति को नहीं दी जायगी तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि पति अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो उस हालत में दोनो को पेंशन दी जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, सुदामा प्रसाद जी ऐसी कोशिश न करें। वह ७० साल के तो नहीं हुये हैं।

श्री राजनारायण---अगर ७० वर्ष का पति है और ६५ वर्ष की पत्नी है और दोनों असहाय अवस्था में हैं, खा-कमा नहीं सकते, दोनों को सरकार के इस नियम के मुताबिक पेंशन देना कहां तक वांछित है ?

श्री अध्यक्ष---वह यह कहते हैं कि ७० वर्ष वाले को देंगे।

श्री राजनारायण---अब तो ६५ हो गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, ६५ वर्ष का यह है कि अगर पत्नी ६५ साल की हो और पति ७० साल का हो तो पति को मिल जायगा, दोनों को नहीं मिलेगा। पहले यह था कि पत्नी के होते हुये जब तक पत्नी ७० साल की न हो तब तक पेंशन का सवाल नहीं था। अब उसमें थोड़ा-सा संशोधन करके, नियमों में, उसको लिबरलाइज किया गया है।

आगरे की बलकेशर कालोनी से आवेदन-पत्र

*२६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार के पास आगरे की बलकेशर कालोनी के निवासियों का कोई आवेदन-पत्र आया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के नियमों तथा भारत सरकार के आदेशानुसार subsidized rent का लाभ केवल eligible workers को ही दिया जा सकता है। अस्तु : Ineligible workers की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका।

*२७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार उपर्युक्त आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ ८६०-८६१ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन से वर्कर्स इलिजिबिल हैं और कौन से इनइलिजिबिल हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---फैक्टरी ऐक्ट के मातहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले ही श्रमिक इलेजिबिल हैं और शेष इनइलिजिबिल हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन्डस्ट्रियल हाउसिंग ऐक्ट, १९५५ की किस धारा के अनुसार सरकार को किराया बढ़ाने का अधिकार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---किराया तो, मान्यवर, लिखा है जो निश्चित हो। वह उसमें दिया हुआ नहीं है। दस रुपया हो, पन्द्रह रुपया हो, बीस हो, वह तो अधिकार दे रखा है हाउसिंग कमिश्नर को।

भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र के उद्योगों पर व्यय

*२८--श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-तिब्बत बार्डर पर उद्योगों पर सन् ५७, ५८, ५९ और १ जनवरी, १९६० से आज तक कितना रुपया खर्चा किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--भारत-तिब्बत बार्डर पर २०,९१,३८५ रुपये व्यय किये गये, जिनका विवरण इस प्रकार है :--

वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में .. .. ६,१४,६७३ रुपये
१९५८-५९ में .. .. .. ९,७८,०५१ रुपये
१९५९-६० में (३१ जनवरी, १९६० तक) .. ४,९८,६६१ रुपये।

*२९--श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त धनराशि से कौन-कौन उद्योग-धंधे खोले गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपर्युक्त धनराशि निम्नांकित उद्योग-धंधों पर खर्च की गयी है :

(१) ऊन का विकास तथा ऊनी वस्तुओं का उत्पादन।
(२) बागबानी (Horticulture)।
(३) जड़ी-बूटियों का विकास (Herb Development)।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका कारण बतायेंगे कि ५७-५८ में ६,१४,६७३ रुपया खर्च हुआ, ५८-५९ में ९,७८,०५१ और ५९-६० में जनवरी तक कुल ४,९८,६६१ रुपया ही क्यों खर्च हुआ, जबकि ५९-६० के बीच में ही सीमा के लोगों का व्यापार बन्द कर दिया गया, तो उसी पीरियड में कम रुपया उद्योग में लगाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब तक पूरे साल का ब्योरा न मालूम हो जाय तब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते। हो सकता है कि कुछ खर्चा रनिंग हो, चल रहा हो।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऊन के विकास में ५९-६० में कितना रुपया सीमान्त प्रदेश में खर्च किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका तो तीन-चार पेज में ब्योरा है। अलग-अलग मेरे पास इस समय नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो देख लें, मेरे पास से।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ५७, ५८ और ५९ में कितना रुपया निर्धारित था कुल बजट में जिसमें से इतना रुपया खर्च किया गया जो कि उन्होंने बताया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

चीनी मिलों में गन्ने का दाम

*३०--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कौन-कौन-सी चीनी मिलें इस समय गन्ने का दाम एक रुपया दस आने से अधिक दे रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ ८६२ पर)

*३१—**श्री शिवप्रसाद नागर तथा ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन कमिश्नर ने ४-११-५९ से अब तक प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों और गन्ने की तौलों का निरीक्षण किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ', आगे पृष्ठ ८६३ पर)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ रुपया १० आने से ज्यादा यह जो २१ मिलें दे रही हैं इनमें अधिक से अधिक किस मिल में और कितना दाम दिया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अधिक से अधिक १ रुपया १२ आना है, गेट पर ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की एक-तिहाई मिलों में गन्ने के दाम अधिक दिये जा रहे हैं और दो-तिहाई में गन्ने के दाम अधिक नहीं दिये जा रहे हैं तो क्या सरकार पुनर्विचार करने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार को वह दाम देने के लिए वह रिकमेंड करे जो दाम कि इस वक्त २१ मिलों में दिया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस सम्बन्ध में तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पूरे तौर से हाउस को सारी बातें बता दी हैं ।

खांडसारी मैनुफैक्चरर्स लाइसेंसिंग आर्डर को अवैध घोषित करना

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा खांडसारी उद्योग पर लगाने वाले लाइसेंस (नियम) को अवैधानिक करार दे दिया है ? यदि हां, तो क्या जिला उद्योग अधिकारियों के पास उक्त प्रकार का आदेश प्रेषित कर दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) उच्च न्यायालय ने यू० पी० खांडसारी मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९५९ की धारा ३ को नियम विरुद्ध घोषित किया ।

(ख) जी नहीं । इसकी सूचना राज्य के चीनी आयुक्त को दी गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय ने इस नियम को कब अवैधानिक करार दिया और चीनी आयुक्त ने जिला उद्योग अधिकारियों को कब इसकी सूचना दी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अब, मान्यवर, ठीक तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है कि किस तारीख को हाईकोर्ट ने फैसला किया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस फैसले का अब तक पालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हाई कोर्ट के फैसले का पालन न करने का कोई प्रश्न मेरे सामने अब तक तो आया नहीं ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जो बन्धन और जो पाबन्दियां पहले लगाई गई थीं खांडसारी उद्योग पर इस कानून के द्वारा जिसको अवैधानिक करार दिया हाईकोर्ट ने, वही सारे बन्धन अब भी लगे हुए हैं ? अगर लगे हुए हैं तो किस अधिकार से लगे हुए हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अब कोई हाई कोर्ट में अपील हो, यह जो फैसला हुआ है उसकी स्पेशल अपील में गवर्नमेन्ट जाय या कोई और बात हो, ये सारी बातें हो सकती हैं। इसकी कोई बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इसकी स्पेशल अपील में गई या नहीं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

प्लानिंग आफिस खीरी की जांच

*३३--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में फरवरी सन् ६० के प्रथम सप्ताह में एकाउन्टेन्ट जनरल का स्टाफ प्लानिंग आफिस खीरी का चेंकिंग करने गया था? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां। परन्तु एकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

नैनी उद्योग आस्थान का उत्पादन

*३४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में नैनी उद्योग एरिया में कितने कारखाने हैं और उनमें कौन-कौन सा सामान तैयार होता है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--नैनी उद्योग आस्थान में २५ और कालोनी में १६ कारखाने हैं जिनके नाम तथा तैयार होने वाले सामानों की सूची परिशिष्ट 'अ' और 'ब' पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज', आगे पृष्ठ ८६४--८६५ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि वहां पर बहुत से कारखाने वालों ने प्रार्थना की थी उनके कारखाने इस वास्ते मंजूर नहीं किये गये कि बिजली का अभाव था। यदि हां, तो उस बिजली के अभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह बात सही है। यह जो, इंडस्ट्रियल एरिया नैनी है, यह काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां पर बिजली की कमी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने २,५०० कि० वा० बिजली जनरेटर से पैदा करने के लिये मार्टिन कम्पनी से व्यवस्था कराई। कुछ दिन पहले ही वह लगा था लेकिन बिजली की खपत वहां पर बहुत ज्यादा है। हम उससे चिन्तित हैं और चेष्टा कर रहे हैं कि किसी तरह से वह कठिनाई दूर हो सके तो अच्छा है। मार्टिन कम्पनी से बार-बार इस बात को कहा गया है और कुछ फारन एक्सचेन्ज भी मंजूर किया है। आशा है कि वह कुछ करेंगे।

*३५-३६--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--[२६ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३७--**श्री उदल** (जिला वाराणसी)--[हटा दिया गया।]

सिंधौरा बाजार में अस्पताल की आवश्यकता

*३८--**श्री उदल**--क्या सरकार सिंधौरा बाजार, वाराणसी में, जिसके अगल-बगल दस मील की एरिया में कोई अस्पताल नहीं है, अस्पताल खोलने पर बिचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सरकार की योजना है कि हर एक ब्लाक के अन्दर प्राइमरी हैल्थ यूनिट का एक एलोपैथिक अस्पताल खोला जायगा? उस इलाके के अन्दर अभी तक कोई अस्पताल नहीं खोला गया है। वह सिधौरा बाजार का क्षेत्र ५ मील के एरिया में आता है तो क्या वहां पर अस्पताल खोलने का विचार किया जायगा?

श्री सुल्तान आलम खां--पालिसी यह है कि हर एक ब्लाक को जहां तक मुमकिन हो सके, हेड क्वार्टर के ऊपर एक प्राइमरी हैल्थ यूनिट कायम करें। यह जो मौजा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सिधौरा बाजार, यह पिंडरा इलाके में वाकय है। पिंडरा में पहले से अन्तरिम जिला परिषद का एक अस्पताल मौजूद है। उसी को अपग्रेड करके प्राइमरी हैल्थ यूनिट का सेन्टर कायम किया जा रहा है।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि अगर किसी ब्लाक का हेड क्वार्टर उस इलाके के बिलकुल कोने में पड़ता हो जो दूसरे कोने से २०,१८ और १६ मील की दूरी पर पड़ता हो तो ऐसे स्थान के लिये कोई अस्पताल की व्यवस्था करेंगे?

श्री सुल्तान आलम खां--आम तौर पर ब्लाक बनाते वक्त यह खयाल रखा जाता है कि ब्लाक का हेड क्वार्टर जहां तक मुमकिन हो सेन्टर जगह पर हो और ब्लाक के अन्दर जो अस्पताल होता है, आम तौर पर देखा गया है कि उस ब्लाक के अन्दर जितना एरिया है वह सबकी जरूरत को पूरा कर लेता है।

मवाना चीनी मिल की हड़ताल

*३६--श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि मवाना चीनी मिल, जिला मेरठ, में हड़ताल हुई? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां, इस मिल द्वारा गन्ना किसानों की विभिन्न मांगों की पूर्ति न किये जाने के कारण विशेषकर धिकूली ग्राम के गन्ना किसानों की ओर से इस हड़ताल की शुरुआत १३-२-६० से हुई और मिल द्वारा गन्ने का मूल्य १२ नये पैसे बढ़ा दिये जाने पर यह हड़ताल २१-२-६० को समाप्त हो गई।

श्री गेंदासिंह--१३-२-६० से २१-२-६० तक चलने वाली ८ दिन की हड़ताल की सूचना सरकार को कब मिली?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हड़ताल की सूचना तो हड़ताल होने के पहले ही मिल रही थी, उसका अंदाजा हो रहा था और जिस दिन हड़ताल हुई उसी दिन सूचना मिल गयी थी।

श्री गेंदासिंह--तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने में, श्रीमन्, सरकार को क्या दिक्कत थी जब केवल इतना ही पूछा गया था कि मवाना मिल में क्या हड़ताल हुई? इसमें दो महीना लगाने की क्या जरूरत थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रश्न में केवल इतना ही नहीं था। इसमें यह भी था कि क्यों और कब से। इस कब से में देर नहीं लगी, इस क्यों में देर लगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन किसानों की मांगें क्या थीं जिनके कारण यह हड़ताल हुई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मांगे थीं जैसे गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाय।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, अगर उनकी केवल इतनी ही मांग थी तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इसका उत्तर देने में दो महीना क्यों लगा क्योंकि दूसरी किसी मांग का जिक्र उद्योग मंत्री जी नहीं करते ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने उदाहरणार्थ एक मांग कही, सबका जिक्र नहीं किया।

बड़हलगंज टाउन एरिया की चौहद्दी सम्बन्धित विज्ञप्ति

*४०---**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)---क्या दिनांक २-३-६० के प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के क्रम में सरकार बतायेगी कि जिस विज्ञप्ति का उल्लेख प्रश्न में है उसके संबंध में कोई रिपोर्ट टाउन एरिया चेयरमैन बक्शी और जिलाधीश से मांगी गई थी ? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा---सरकार ने जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी थी। उक्त रिपोर्ट में मुख्यतया नई चौहद्दी के विवरण दिये गये थे और यह कहा गया था कि १८७१ में निर्धारित चौहद्दी के बारे में लोगों को कुछ भ्रम था जो नई विज्ञप्ति जारी करने से दूर हो जायेगा।

*४१---**श्री इन्दुभूषण गुप्त**---क्या यह सही है कि प्रश्न संख्या ५२ में वर्णित विज्ञप्ति से पूर्व भी ग्राम चिल्लूपार के निवासी बड़हलगंज टाउन एरिया के वोटर रहे हैं और उन पर टैक्स लगता रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री जयराम वर्मा---(क) जी हां।

(ख) गलतफहमी के कारण।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो टाउन एरिया बड़हलगंज का था, पहले का, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई १९५३ की रिपोर्ट से और यह रिपोर्ट कलेक्टर गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या ३५३३, दिनांक २-५-५२, द्वारा की थी ?

श्री जयराम वर्मा---यह बात सही नहीं है कि जो नयी विज्ञप्ति १९५३ में हुई उसका एरिया उतना ही रहा जितना कि पहले था। पहले चिल्लूपार का कोई भी हिस्सा बड़हलगंज में शामिल नहीं था, लेकिन १९५३ में चिल्लूपार का कुछ हिस्सा उसमें शामिल कर दिया गया।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---४१ (क) के उत्तर में जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसमें टैक्स लगता था और लोग टैक्स देते थे, अगर वह हिस्सा शामिल नहीं था तो कैसे उन लोगों पर टैक्स लगता था और कैसे वह वसूल किया गया ? और अगर वसूल किया गया तो क्या वह रिफंड किया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा---इसमें बतलाया गया है कि कुछ गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ। चौहद्दी में कुछ हिस्सा शामिल नहीं था, लेकिन लोग यह समझते थे कि वह शामिल है और उस आधार पर कुछ लोगों से जो चिल्लूपार में रहते थे टैक्स लिया गया और उनको वोटर भी बना दिया गया।

श्री अध्यक्ष---यह भी उनका सवाल है कि क्या वह रिफंड किया जायगा।

श्री जयराम वर्मा---यह तो टाउन एरिया का मामला है। जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह करें। अगर ऐसी कोई बात आयेगी तो टाउन एरिया से इस बारे में बात की जायगी।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---मान्यवर, आपके आदेश से मैं कलेक्टर का वह पत्र पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय---

श्री अध्यक्ष---आप सूचना नहीं दे सकते, आप प्रश्न पूछें।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या यह सही है कि कलेक्टर ने अपने २-५-५२ के पत्र में लिखा है कि There is no change in the limits of Gola, Barhalganj ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप फिर खत पढ़ रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या यह सही है कि उसमें उन्होंने यह लिखा है कि चूंकि कोई लिमिट नहीं है, जो पहले एरिया था टाउन एरिया का वही रह गया है, केवल उसका क्लैरीफिकेशन सन् १९५३ के नोटीफिकेशन से हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा---जिलाधीश से इस संबंध में तीन बार रिपोर्ट आयी। एक बार की रिपोर्ट कुछ स्पष्ट नहीं थी। इसलिये फिर उनसे पूछा गया और फिर वह बात स्पष्ट हुई और यह मालूम हुआ कि चिल्लूपार का कोई भी हिस्सा उसमें शामिल नहीं था।

*४२-४३---**कुमारी कमल कुमारी गोईंदी** (जिला इलाहाबाद)---[६ अप्रैल, १९६० को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९-१० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बुलुवा-पहाड़िया व शिरस्सी-मंगारी सड़कें पक्की करने की प्रार्थना

*४४---**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी, ने बलुवा-पहाड़िया रोड व शिरस्सी-मंगारी रोड, वाराणसी, को पक्की करने की सिफारिश सरकार से की है ?

श्री जयराम वर्मा---अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी, से केवल बलुआ-वाराणसी सड़क पक्की कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे धनाभाव के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका।

श्री लोकनाथसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी, ने बलुवा-पहाड़िया रोड को अविलम्ब पक्की करने के लिये माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के पास प्रार्थना-पत्र भेजा था जिसमें यह मांग की गयी थी कि उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देने की कृपा की जाय ?

श्री जयराम वर्मा---तृतीय पंचवर्षीय योजना तो अन्तरिम जिला परिषदों की सिफारिशों के आधार पर ही बनायी जायगी। अगर वहां से इस तरह की कोई सिफारिश की गयी है तो इसको पहला नम्बर दिया गया होगा।

श्री लोकनाथसिंह---क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को ज्ञात है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने फरवरी के पहले हफ्ते में एक पत्र लिखा था कि अन्तरिम जिला परिषद् अगर प्रार्थना करे तो हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको पक्की करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष---अगर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को याद हो तो बता दें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---यह तो मुझे याद नहीं है।

पत्रकार यूनियन के अन्तर्गत वेतन बोर्ड की सिफारिशों का लागू होना

*४५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मुख्य मंत्री दिनांक ३ मार्च, १९६० के प्रश्न संख्या २०-२१ के उत्तर के क्रम में बतलाने की कृपा करेंगे कि--(१) जागरण, कानपुर (२) एडवान्स, कानपुर, (३) विश्वमित्र, कानपुर, (४) प्रताप, कानपुर, समाचार-पत्रों से वार्ता कब तक समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त समाचार-पत्रों से बकाया कब तक वसूल किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इन चारों समाचार-पत्रों में वार्ता समाप्त हो गयी है। जागरण तथा ऐडवान्स में अब कोई झगड़ा नहीं है। विश्वमित्र के सेवायोजकों ने अप्रैल मास से निर्धारित वेतन लागू करने तथा मास के अन्त तक बकाया पैसे का भुगतान करने का आश्वासन दिया है परन्तु प्रताप के प्रतिष्ठान में कोई समझौता सम्पन्न नहीं हो सका; इस कारण संबंधित कर्मचारियों को सलाह दी गयी है कि वे बकाया धन की वसूली के लिये प्रार्थना-पत्र दें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जागरण पत्र और एडवान्स पत्र पर कितना-कितना धन बकाया था और किस शर्त पर समझौता हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जहां तक जागरण दैनिक पत्र का सवाल है, उसमें ६ अल्पकालीन (पार्ट टाइम) श्रमजीवी काम करते हैं। उनमें से एक कर्मचारी के लिये मालूम हुआ कि वह वहां काम करता है और उनके यहां पार्ट टाइम संबंधी रूल्स लेड डाउन है, उसी के अनुसार उसको वेतन मिलता है। एक के बारे में यह मालूम हुआ कि उसने लिख कर दे दिया कि वह कोई मांग नहीं करता और जो उसे मिल रहा है वह ठीक है। दो कर्मचारी ऐसे हैं जो इस परिभाषा में आते ही नहीं, वे और कुछ काम करते हैं। वे जनरलिस्ट की परिभाषा में नहीं आते। एडवान्स का जहां तक ताल्लुक है, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो वेतन मिल रहा है, वह वेतन बोर्ड की सिफारिशों से ज्यादा मिलता है। इसलिये वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रताप का मामला क्यों तय नहीं हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मालिक और मजदूरों, दोनों की स्थिति में भ्रम है। वे कहते हैं कि हमें इतना मिलना चाहिये; ये यह कहते हैं इतना मिलना चाहिये। मालिक कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिये। इसलिये मजदूरों को सलाह दे दी गयी है कि वेतन मंडल की सिफारिशों के मुताबिक वे अपना पैसा ले लें। इस तरह से अगर हो जाय तो समझौता हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह प्रताप अखबार तो कांग्रेसी अखबार है और उसके विचारों का एक प्रमुख पत्र है और कुछ ऐसे लोगों ने जोर डाला जिससे यह मामला तय नहीं हो पाया, क्या यह सही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रताप तो ऐसा अखबार रहा है कि जिसने रामस्वरूप वर्मा जी के जीवन के बहुत से आदर्श गढ़े हैं। लेकिन अब वह क्या है, मैं नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि किसी तरफ से कोई जोर नहीं डाला गया। वह मालिक हैं, वे नहीं पसन्द करते समझौता। उन पर क्या जोर डाला जाय ?

गन्ने का मूल्य बढ़ाने की प्रार्थना

*४६--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दे दिया गया है कि अगले वर्ष १९६०-६१ के लिए गन्ने का दाम दो रुपया प्रति मन निर्धारित किया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं। गन्ना बोर्ड की राय के अनुसार सिफारिश की गयी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि गन्ना बोर्ड ने गन्ने का दाम २ रुपये मन देने के लिए प्रस्ताव किया था लेकिन उन्होंने १ रुपये १२ आना मन दिया है ? तो क्या सरकार ने १ रुपये १२ आना मन के लिए सिफारिश की थी या उससे कुछ अधिक के लिए ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१ रुपये १२ आना मन के लिए ही गन्ना बोर्ड की सिफारिश हमारे सामने है।

गाजियाबाद का मास्टर प्लान

*४७--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के लिए जो मास्टर प्लान बनाने की योजना थी उसमें क्या प्रगति हुई है ? क्या अन्तिम रूप देने से पहले आम जनता की राय लेने के लिए इसको प्रकाशित किया जायगा ? अगर हां, तो कब और अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--गाजियाबाद का मास्टर प्लान अभी तैयार हो रहा है। उसको अन्तिम रूप देने से पहले जनता का मत प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया जायगा। अभी उसके प्रकाशन में थोड़ा समय लगने की सम्भावना है।

*४८--श्री तेजासिंह--क्या इस प्लान को कार्यान्वित करने के लिए गाजियाबाद में कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया जा रहा है ? अगर हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और वह कब तक बन जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के प्राविधानों के अनुसार स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

*४९--श्री तेजासिंह--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी, जो वहां अब कार्य कर रही हैं, के अधिकारों में क्या अन्तर होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अधीन विकास योजनाएं बना कर कार्यान्वित करेगा तथा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य (विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन निर्माण कार्यों के विनियमन की व्यवस्था करेगी।

बरेली में सिन्थेटिक्स ऐण्ड केमिकल्स फैक्टरी की स्थापना

*५०--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Synthetic Rubber Factory के विषय में जो बरेली में लगने वाली है, कितनी प्रगति हो चुकी है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह फैक्टरी Synthetics and Chemicals Ltd. के नाम से रजिस्टर्ड हो गयी है। फैक्टरी को लाइसेंस मिल गया है और आवश्यक भूमि को उपलब्ध करने के लिए land Acquisition Act के अन्तर्गत सरकारी विज्ञप्ति भी जारी कर दी गयी है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग विकास के लिए धनराशि

*५१--**श्री देवकीनन्दन विभव**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने जो रूप-रेखा तैयार की है उसमें कितनी धनराशि नये उद्योगों के स्थापित करने में लगाये जाने का सुझाव है और वह उद्योग कौन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उद्योग सम्बन्धी तृतीय पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*५२--**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)--[२७ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

अतिरिक्त बिक्रीकर आयुक्त का पद

*५३--**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिक्रीकर आयुक्त के कार्यालय में इस समय उप-आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर का कोई स्थान रिक्त है ? यदि हां, तो कितने दिनों से तथा क्या यह स्थान I.A.S. कैडर का है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। अतिरिक्त बिक्री कर आयुक्त का पद राज्य के आई० ए० एस० कैडर में सम्मिलित है।

*५४--**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)--[२६ अप्रैल, १९६० के लिए प्रश्न १०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोवर्धन टाउन एरिया में तहबाजारी की वसूली

*५५--**श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोवर्धन टाउन एरिया, जिला मथुरा में लदने-उतरने तथा गुजरने वाले वाहनों से तहबाजारी वसूल करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां।

*५६--**श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल**--क्या यह सही है कि टाउन एरिया तथा सरकार ने अपने विशेषज्ञों से कानूनी राय ली और क्या यह भी सही है कि उन्होंने इस टैक्स को अवैध बतलाया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--टाउन एरिया ने सरकारी वकील से राय ली थी जिन्होंने इसको अवैध बताया।

कानपुर की ऊनी, सूती और जूट मिलों में बोनस व छटनी

*५७--**श्री उमाशंकर शुक्ल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की सूती मिलों में सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में कितने मजदूर काम कर रहे थे ? उनमें से कितने मुस्तकिल एवजीदार, कितने टेम्पोरेरी, और कितने डेढ़ रुपया रोज की मजदूरी पर थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कानपुर की सूती मिलों में सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में कुल लगभग ५९,५०१ मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से लगभग ३०,१४१ मजदूर मुस्तकिल, ८,६८९ एवजीदार, ३,२०८ टेम्परेरी और १७,४६३ डेढ़ रुपया रोज की मजदूरी पर थे।

*५८--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की सूती, ऊनी और जूट के किन-किन मिलों में सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ के वित्तीय वर्षों में किस अनुपात से बोनस बांटा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में कानपुर की दो सूती मिलों में निम्नलिखित अनुपात से बोनस बांटा गया है :

(१) एल्गिन मिल्स कं० लि० कानपुर २ आना प्रति रु० की दर से।

(२) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि० कानपुर औसत वेतन का १/१६।

इसके अतिरिक्त जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स कं० लि०, कानपुर में १९५७ का बोनस औसत वेतन पर ३ आना प्रति रु० की दर से घोषित किया गया परन्तु अभी इसका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ है।

*५९--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में कानपुर के सूती, ऊनी और जूट के मिलों से कितने मुस्तकिल कर्मचारी छंटनी कर दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कानपुर के सूती और जूट के मिलों से वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में क्रमशः लगभग ७४ और ५ और वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में क्रमशः लगभग १२० और २ मुस्तकिल कर्मचारी छटनी किए गए। उक्त वित्तीय वर्षों में कानपुर के किसी ऊनी मिल में कोई मुस्तकिल कर्मचारी छटनी नहीं किया गया।

*६०--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में पोलिटेक्निक स्कूल खोलने की प्रार्थना

*६१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बस्ती में आगामी तृतीय योजना में पोलिटेक्निक स्कूल और औद्योगिक बस्ती बसाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अंतिम रूपेण अभी तक निश्चित नहीं हुआ है।

फर्रुखाबाद नगरपालिका के प्रेसीडेंट को पत्र तथा मेहतरों को महंगाई भत्ता न मिलना

*६२--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल कर्मचारी संघ, फर्रुखाबाद, के सभापति द्वारा कार्यपालिका के प्रेसीडेंट को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि जुलाई, १९५९ में मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग को मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। चूंकि यह पत्र शासन को केवल सूचनार्थ भेजा गया था इसलिये शासन द्वारा इस पर कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं समझी गई।

*६३--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार नगरपालिका फर्रुखाबाद के मेहतरों की महंगाई के लिये सहायता प्रदान करती है ? यदि हां, तो वह सालाना रकम क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

*६४--श्री होरीलाल यादव--क्या यह सच है कि उपरोक्त सहायता गत १२ वर्षों से मेहतरों को नहीं मिली है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, प्रदेश सरकार से नहीं मिली है क्योंकि प्रदेश सरकार से सहायता सिर्फ पूर्णकालिक मेहतरों को मिलती है परन्तु यहां के मेहतरों को नगर-पालिका स्वयं सहायता दे रही है।

गाजीपुर जिला परिषद् में अनियमितताओं की शिकायत

*६५--**श्री गौरीशंकर राय**--(जिला बलिया)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि विधान मंडल के किसी सदस्य ने गाजीपुर जिला परिषद् की अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। श्री राम सूरत सिंह, सदस्य विधान परिषद् का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

*६६--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया उक्त शिकायत की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८६६-८६७ पर)

*६७--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध की कोई जांच सरकार द्वारा कराई गई है? अगर हां, तो उसका नतीजा क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट मंगाई गई है जो शासन के विचाराधीन है। निर्णय से सदन को यथासमय अवगत कराया जायगा।

प्राइमरी करघा बुनकर सहकारी समितियों व सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, इटावा को दी गई छूट

*६८--**श्री सुखलाल** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में चालित प्राइमरी करघा बुनकर सहकारी समितियों को पृथक-पृथक सन् १९५३-५४, ५४-५५, ५५-५६, ५६-५७, ५७-५८ ५८-५९ में कितना-कितना छूट रिबेट का पैसा दिया गया है और सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, इटावा, को उपरोक्त वर्षों में कितना छूट रिबेट का पैसा दिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना इस प्रकार है:--

वर्ष	प्राइमरी करघा बुनकर सहकारी समितियों को दी गई छूट	सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव लि० इटावा को दी गई छूट
१	२	३
	रुपया नया पै०	रुपया नया पै०
१९५३-५४	..	१०,०००.००
१९५४-५५	३,६०२.३०	४,१३५.०२
१९५५-५६	३९,४६५.८८	३२,९११.५५
१९५६-५७	१,११,८३४.३२	७३,७५२.००
१९५७-५८	८४,५०८.१४	१,७७,३३५.७५
१९५८-५९	९०,३५९.८१	१,५८,४२२.४४
योग ..	३,२९,७७०.४५	४,५६,५५६.७६

*६९--श्री सुखलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समितियों को यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर से अब तक कितना रुपया रंगाई घर तथा बिक्री दुकान के लिये अनुदान के रूप में दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रंगाई घर तथा बिक्री दूकान के लिये इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

जौनपुर जिले में नवीन सड़कें तथा पुल बनवाने की प्रार्थना

*७०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार के पास जौनपुर जिला अन्तरिम परिषद् ने जौनपुर जिले की कुछ सड़कों को पक्की कराने के प्रस्ताव १९५९ में भेजे थे ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां । अन्तरिम जिला परिषद् का प्रस्ताव संख्या ९ (१), दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ फरवरी, १९५९ में प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा मछलीशहर से मड़ियाहूं व तरती होकर वाराणसी जाने वाली सड़क को पक्का कराने हेतु सहायता मांगी गई थी। यह प्रार्थना तो अस्वीकार कर दी गई थी किन्तु जिला अधिकारियों के लिखने पर तथा सहायक विकास आयुक्त (निर्माण) की सिफारिश पर उपर्युक्त सड़क को विलेज रोड डेवलपमेंट कोआपरेटिव स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

*७१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा वसुहि नदी पर जमालापुर के पास सड़क पर पुल बनवाने के लिये सिफारिश भेजी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार १९६० के अन्त तक पुल बनाने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रथम भाग--

जी हां।

द्वितीय भाग--

जी नहीं।

*७२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*७३-७४--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[हटा दिये गये ।]

*७५-७६--श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

शाहजहांपुर जिले में पुराने पंचायत मंत्री

*७७--श्री बालकराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में ऐसे कितने पंचायत मंत्री हैं जो पांच साल से अधिक समय से एक ही हल्के में कार्य कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--दो ।

*७८--श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)--[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

यू० पी० सिविल सेक्रेटेरियेट एसोसियेशन की शिकायतें

*७९—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय कर्मचारी संघ ने इस सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायत भेजी है कि तरक्की देने के विषय में पक्षपात किया जाता है और सीनियर कर्मचारियों की अवहेलना करके जूनियर कर्मचारियों को तरक्की दे दी जाती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त शिकायत पर क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस नाम का कोई कर्मचारी संघ नहीं है । हां, यू० पी० सिविल सेक्रेटेरियट एसोसियेशन से अन्वीक्षकों की पदोन्नति के बारे में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है । इस विषय में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है । तरक्की लोक सेवा आयोग की सिफारिश तथा नियम के अनुसार योग्यता के आधार पर ही दी जा सकती है न कि ज्येष्ठता के आधार पर ।

रविदास जयन्ती पर गजटेड छुट्टी देने की प्रार्थना

*८०—**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार रविदास जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष माघ पूर्णमासी को गजटेड छुट्टी घोषित करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । किन्तु जहां कहीं आवश्यक हो वहां इस पर्व को स्थानीय छुट्टियों में शामिल करने के आदेश हैं ।

अस्थायी पदों को स्थायी घोषित करने के आदेश

*८१—**श्री शब्बीर हसन** (जिला फतेहपुर)—क्या यह सही है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व यह आदेश दिया था कि सभी विभागों में अस्थायी स्थान जो ३ वर्ष से अधिक पुराने हैं स्थायी कर दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ वर्ष पूर्व तो ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गए थे किन्तु हाल ही में शासन ने आदेश दिया है कि ऐसे अधिक से अधिक अस्थायी पदों को स्थायी करने का सक्रिय रूप से विचार किया जाय जो स्थायी विभागों में ३ वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं तथा जिनके भविष्य में भी चलते रहने की संभावना है ।

*८२—**श्री शब्बीर हसन**—क्या इस वर्ष सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि १ अप्रैल, ५८ तक जितने स्थान अस्थायी थे उन्हें स्थायी कर दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

लखनऊ में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सम्बन्धित योजनायें

*८३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिपार्टमेंट है उसने सुपरसेशन की अवधि में कौन-कौन सी इम्प्रूवमेंट स्कीमें स्वीकृत कीं तथा किन-किन स्कीमों को पूरा किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टाउन इम्प्रूवमेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्ट को इम्प्रूवमन्ट स्कीमें स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है, अतएव इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा स्कीमें स्वीकृत

करने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त अवधि में शासन ने निम्नलिखित चार स्कीमें स्वीकृत की, जिनमें से कोई भी पूरी नहीं हुईं :—

(१) जनरल इम्प्रूवमेंट एन्ड रिहाउसिंग स्कीम, हाता खुदाबख्श,

(२) पेपर मिल के पीछे के क्षेत्र की जनरल इम्प्रूवमेंट एन्ड रिहाउसिंग स्कीम, आउट्रम रोड,

(३) मवइया थर्ड एडिशनल स्कीम, तथा

(४) टी० जी० नार्थ चांदगंज हाउसिंग ऐकोमोडेशन स्कीम ।

*८४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सुपरसेशन की अवधि में कुल कितना धन व्यय किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सुपरसेशन की अवधि में ट्रस्ट ने कुल ५३,०२,०७० रु० व्यय किया ।

राज्य में उर्वरक कारखाना खोलने की योजना

*८५—**कुंवर श्रीपालसिंह**—(जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना खोलने जा रही है जिसके लिये उपर्युक्त स्थान की राय सरकार से पूछी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार ने उसे जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के किसी स्थान में खोलने का परामर्श दिया है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारत सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में, उत्तर प्रदेश में, एक उर्वरक कारखाना खोलने का विचार कर रही है ।

प्रस्तावित कारखाने का स्थान भारत सरकार की (Fertilizer Technical Committee) के परामर्श से निश्चय होगा ।

सहारनपुर जिले में बुनकरों को सहायता

*८६—**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहारनपुर के बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कौन-कौन कार्य किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार द्वारा जिला सहारनपुर के बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कार्य-संचालन पूंजी के लिये ऋण तथा बिक्री दुकान, रंगाई घर एवं यन्त्र-सुधार के लिये अनुदान दिया गया है ।

*८७—**श्री रूमसिंह**—[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*८८-८९—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*९०-९२—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**—[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा जिले में उद्योगों के लिये ऋण

*९३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा जिले के उद्योग अधिकारियों ने १ अप्रैल, १९५७ से लेकर, ३१ दिसम्बर, १९५९ तक तहसीलवार जिले में कितना रुपया कर्ज, अनुदान तथा अन्य सहायता के लिये दिया एवं किन-किन उद्योगों के लिये तथा किन-किन संस्थाओं के लिये दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सम्बन्धित सूचना को एकत्रित व संकलित करने में जो धन, समय तथा परिश्रम लगेगा वह इस सूचना से प्राप्त हो सकने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा, अतः सरकार इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझती ।

विधायकों को विकास कार्य देखने की सुविधा

*९४---**श्री काशीप्रसाद पांडेय** (जिला सुल्तानपुर)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश जिला नियोजन अधिकारियों के पास भेजा है कि इस प्रदेश के विधान सभा के सदस्य जिस विकास क्षेत्र के विकास कार्यों को देखना चाहें तो उन्हें सरकारी मोटरें दी जांय ? यदि हां, तो क्या इसकी सूचना कोई विधान सभा के सदस्यों को भी दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, भेजा था और इसकी सूचना विधान सभा के सदस्यों को भी दी गई थी ।

रानीसराय और तहबरपुर विकास खंडों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

*९५---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि रानीसराय और तहबरपुर राष्ट्रीय विकास खंड में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय) खोलने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---रानी की सराय और तहबरपुर के प्रथम प्रक्रम विकास खंडों में १९६०-६१ में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खुल जाने की सम्भावना है ।

भलवानी विकास खंड में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना

*९६---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५९-६० में विकास खंड भलवानी, जिला देवरिया में कोई एलोपैथिक अस्पताल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, १९५९-६० में देवरिया जिले के प्रथम प्रक्रम विकास खंड भलवानी में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत एक एलोपैथिक जन चिकित्सालय खोलने के हेतु आदेश दिये जा चुके हैं तथा भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है ।

*९७---**श्री उग्रसेन**---क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल के लिये भलवानी ब्लाक के समीप ही भूमि भी प्राप्त कर ली गई है, फिर भी अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, यह सही है कि भलवानी ब्लाक के समीप ही जन चिकित्सालय निर्माण हेतु भलवानी एवं मिश्रनगर की सरहद पर थोड़ी भूमि दोनों गांव सभाओं द्वारा दानस्वरूप प्रदान हुई है । निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु टेन्डर प्राप्त कर अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर खंड को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

बुलन्दशहर जिले में कुटीर उद्योगों के लिये अनुदान

*९८---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में किस-किस उद्योग में कितना-कितना अनुदान १९५७-५८, १९५८-५९ व १९५९-६० में दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९९--**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)--[२७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योग विभाग से सम्बन्धित सूत का स्टाक बेचने के लिये आदेश

*१००--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--विधान सभा के प्रथम सत्र १९५९ के चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १४-१५ तथा १६ के लिखित उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूत का स्टाक बेचे जाने के हेतु संचालक, उद्योग विभाग के पत्र का उत्तर (३ वर्ष ६ महीने १२ दिन) इतने अधिक समय बाद दिये जाने का और अभी तक सूत के न बेचे जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है सरकार जनहित में उसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझती ।

अगस्त, १९५४ में ६,०८,४०९ रु० १२ नये पैसे मूल्य का सूत स्टाक में था जिसमें से अब तक ३,६९, ६८० रु० ९५ न० पै० का सूत उत्पादन कार्य में आ चुका तथा बिक चुका है। शेष २,३८,७२८ रु० १७ न० पै० मूल्य के सूत को बेचने के प्रयत्न जारी हैं ।

*१०१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त जो सूत का स्टाक शेष है उसकी कुल वेल्यू और वजन क्या है और इस समय उक्त सूत का मार्केट रेट क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--स्टाक में जो सूत शेष है उसका मूल्य २,३८,७२८.१७ नये पैसे है तथा वजन ४३,६२३.१८५ पौंड है।

बचा हुआ सूत दो प्रकार का है--रंगा हुआ और बगैर रंगा हुआ। बाजार में रंगा हुआ सूत नहीं बिकता है इसलिये जो सूत रंगा हुआ है उसका बाजार भाव बताना सम्भव नहीं है। बगैर रंगे हुये सूत का भाव १३ रु० से लेकर ५० रु० पौंड तक है।

खांडसारियों से लाइसेन्स फीस

*१०२--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने खांडसारी कारखाने हैं और उनमें से किन-किन में से कितनी रकम लाइसेन्स फीस के रूप में सन् १९५८-५९ में वसूल की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्राप्य आंकड़ों के अनुसार यन्त्रचालित कोल्हुओं, बैलों तथा केन्द्रापगों, जो कि राब, गुड़ और खांडसारी बनाते हैं, की अनुमानित संख्या वर्ष १९५९-६० में क्रमशः १८३९, १११३ तथा ९५५ है।

१९५८-५९ में खांडसारियों से कुल लाइसेन्स फीस १,००,३५० रु० वसूल की गई।

व्यक्तिगत खांडसारियों के नाम तथा प्रत्येक से ली गई फीस सम्बन्धी सूचना को एकत्रित व संकलित करने में जो धन, समय तथा परिश्रम लगेगा वह इस सूचना से प्राप्त लाभ से कहीं अधिक होगा, अतः यह सूचना देना सरकार उचित नहीं समझती।

बुनाई शिक्षण केन्द्र, आनन्द नगर का तोड़ा जाना

*१०३--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजकीय बुनाई शिक्षण केन्द्र आनन्द नगर, जिला गोरखपुर में ६ दिसम्बर, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कितने लोगों ने बुनाई की शिक्षा पायी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१२ लोगों ने अधूरी शिक्षा पायी।

*१०४--श्री गौरीराम गुप्त--क्या यह सही है कि उपरोक्त शिक्षण के लिये १४ माह का कोर्स (टाइम) था जो बीच ही में तोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां।

(ख) भारत सरकार से उस प्रयोजन के लिये आर्थिक सहायता न मिलने के कारण।

*१०५--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त राजकीय बुनाई शिक्षण केन्द्र की ट्रेनिंग में कितना रुपया व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लगभग ४,८०० रुपया।

अनक्वालीफाइड विकास अधिकारी

*१०६--श्री गौरीशंकर राय--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने स्थानापन्न सहायक तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी हैं जो हाई स्कूल पास नहीं हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--४ स्थानापन्न क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा ८६ स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी हाई स्कूल पास नहीं हैं।

*१०७--श्री गौरीशंकर राय--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने स्थानापन्न सहायक तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी हैं और वे कितने-कितने दिनों से कार्य करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रदेश में कुल १३१ स्थानापन्न क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा १८६ स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी हैं। उनके कार्यकाल की**सूचना संलग्न है।

चीनी मिलों में गन्ने का क्रय, पेराई तथा शक्कर का विक्रय

*१०८--श्री उग्रसेन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों में पृथक्-पृथक् १४ दिसम्बर, १९५९ लगायत २० दिसम्बर, १९५९ तक रोजाना कितना गन्ना खरीदा गया, कितना गन्ना पेरा गया तथा कितनी चीनी बनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वर्तमान सीजन में इस प्रदेश की सभी चीनी मिलों में अलग-अलग १४ दिसम्बर, १९५९ से २० दिसम्बर, १९५९ तक रोजाना जितना गन्ना खरीदा व पेरा गया तथा जितनी चीनी बनी उसका विवरण क्रमशः संलग्न† तालिका 'क', 'ख' व 'ग' में दिया हुआ है।

फजलगंज, कानपुर की गौड ट्वाय फैक्टरी बिल्डिंग के लिये ऋण की मांग

*१०९--श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गौड ट्वाय (toy) फैक्ट्री, फजलगंज, कानपुर की ओर से ४८ हजार रुपये कर्ज की दरख्वास्त, २६-११-५६ को डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को दी गई और डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, ने ४८ हजार रुपये के कर्ज देने की सिफारिश यू० पी० फाइनेन्शल कारपोरेशन, कानपुर से की जिसमें कारखाने की इमारत के लिये २० हजार रुपये, मशीनरी के लिये १८ हजार रुपये तथा वर्किंग कैपिटल के लिये १० हजार रुपये देने की सिफारिश थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां (प्रार्थना-पत्र की तारीख २०-११-५६ थी।)

**सूचना छापी नहीं गई।

†तालिका छापी नहीं गई।

*११०--श्री राजनारायण--क्या यह सही है कि यू० पी० फाइनेन्शल कार्पोरेशन ने ४८ हजार रुपये के बजाय ३० हजार रुपये का लोन जिसमें से १३ हजार रुपये जमीन व १७ हजार रुपये फैक्ट्री की बिल्डिग के लिये था मंजूर किया तथा मशीनरी व वर्किंग कैपिटल के लिये रुपया नहीं मंजूर किया और जमीन वाले १३ हजार रुपये में से ८ हजार रुपया डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर को पहले का कर्ज जो रहाइशी मकान के सम्बन्ध में लिया गया था सीधे दे दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्र० पी० फाइनेन्शल कारपोरेशन ने ३० हजार रु० का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें १७ हजार रु० फैक्ट्री की बिल्डिग के लिये व १३ हजार रु० जमीन के लिये था। मशीनरी व वर्किंग कैपिटल के लिये रुपया नहीं मंजूर किया। जमीन वाले १३ हजार रु० में से ८,२८१ रुपये ४६ न० पै० डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर को 'Low Income Group Housing Scheme' के अन्तर्गत लिये गये ऋण के भुगतान में दिया गया।

*१११--श्री राजनारायण--क्या यह भी सही है कि इस कम्पनी द्वारा ३०-९-५८ को फैक्ट्री बिल्डिग पूरी करने के लिये एडीशनल लोन की १० हजार रुपये की दरख्वास्त डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज को दी गई थी जो अभी तक मंजूर नहीं हुई है ? यदि हां, तो किस कारण ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, यह दरख्वास्त उपरोक्त ऋण के सदुपयोग न किये जाने के कारण अस्वीकृत कर दी गई।

देवरिया जिले में उद्योग विकास विभाग से ऋण

*११२--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में उद्योग विभाग से कितना धन ऋण के रूप में व कितना अनुदान इस वित्तीय वर्ष में दिया गया है ? यह धन किन-किन व्यक्तियों को कैसे वितरित हुआ है और क्या इसकी सहायता से कुछ उद्योग प्रारम्भ हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वित्तीय वर्ष १९५९-६० में देवरिया जिले में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ४,७०० रु० ऋण तथा १,०५० रु० अनुदान वितरित किया गया।

यह धन जिन-जिन व्यक्तियों को दिया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

उपरोक्त धन की सहायता से अब तक १५ व्यक्ति कार्य आरम्भ कर चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८६८-८६९ पर)

हेन्डीक्रैफ्ट्स के शो रूम में सामान व कैश में कमी

*११३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रफ्ट के प्रत्येक शो रूम, ट्राली तथा कियास्क (kiosk) में अलग-अलग कितने मूल्य का सामान कम पाया गया ?

*११४--क्या सरकार को पता है कि ३१ मार्च, सन् १९५९ के समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक जांच हो जाने के बाद से किन-किन शो रूम्स, ट्रालीज तथा कियास्कों (kiosks) से कितने-कितने मूल्य का सामान एवं कैश कम होने की सूचना सरकार को १२ दिसम्बर, सन् १९५९ तक मिली है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना एकत्रित की जा रही है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर पर व्यय तथा उत्पादन

*११५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट राजकीय कारखाना, मिर्जापुर में मासिक उत्पादन टनों में कितना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पिछले वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में फैक्ट्री ने २,०३,७५९ टन सीमेंट बनाया जिसके आधार पर मासिक उत्पादन का औसत १६,९८० टन आता है।

*११६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चुर्क सीमेंट कारखाना, जिला मिर्जापुर पर अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और कितना रुपया व्यय करने के बाद कारखाना पूर्ण समझा जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फैक्ट्री के निर्माण में ३१ मार्च, १९५९ तक ४,८४,५६,००० रु० की पूंजी लगी है। विकास योजना के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ तक ४५,२३,५०३ रु० की पूंजी लगी है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगी पूंजी के अनुमानित आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

	रु०
वर्तमान फैक्टरी पर	१,२१,२८६
विकास योजना पर	५२,४५,३३४

नियोजन विभाग जिला बलिया में नियुक्तियां

*११७--श्री गौरीशंकरराय--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के नियोजन विभाग में पिछले एक साल में कितनी ऐसी नियुक्तियां हुईं जिनके लिये रोजगार दफ्तर से नाम नहीं मांगे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई नहीं।

वाराणसी काटन मिल के मजदूरों का वेतन तथा महंगाई भत्ता

*११८--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी काटन मिल में बिनता विभाग तथा और विभागों में कितनी तनख्वाह तथा कितनी महंगाई दी जाती है ? क्या काटन मिल में इस तरह की भी शिकायत है कि मजदूरों से १० घंटा काम लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस मिल में केवल बिनता विभाग में कार्य होता है। इस समय इस मिल के श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन का विवरण निम्नलिखित है :

(१) पीस रेट बुनकर--औसतन ६ आने ६ पाई प्रति धोती जोड़ा और ६ आने ९ पाई प्रति साड़ी जोड़ा।

(२) वाइन्डर्स-- १ रु० १२ आने प्रति दिन,

(३) वार्पर्स--३ रु० प्रति दिन,

(४) साइजर्स--३ रु० ८ आने प्रति दिन,

(५) बैक साइजर--२ रु० ४ आने प्रति दिन श्रमिकों को महंगाई भत्ता अलग से नहीं दिया जाता है।

श्रमिकों से १० घंटा काम लेने के विषय में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करके सेवायोजकों क विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

सुल्तानपुर जिले में हरिजन कूप

*११९--श्री काशीप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सुल्तानपुर जिले में तहसीलवार पानी पीने के कितने ऐसे कुएं बने हैं जिन्हें सरकारी अनुदान मिला है ? उनमें हरिजनों के कितने हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८७० पर)

टेहरी गढ़वाल जिले के लिये विकास कार्य

*१२०--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचसाला योजना के शेष समय के अन्दर सरकार का टेहरी-गढ़वाल में क्या-क्या विकास कार्य करने का इरादा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८७१ पर)

कालीन उद्योग सहकारी समिति भदोही, ज्ञानपुर, वाराणसी तथा कछवां

*१२१--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालीन उद्योग सहकारी समिति, भदोही, ज्ञानपुर, वाराणसी, कछवां, जिला मिर्जापुर के लिये सरकार ने अलग-अलग कितना अनुदान व कितना कर्ज के रूप में रुपया देना स्वीकार किया है ? क्या उपरोक्त तीनों सहकारी समितियां संगठित हो गई हैं ? यदि हां, तो कब से इन्होंने काम शुरू कर दिया है ?

*१२२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दि कारपेट कोआपरेटिव फेडरेशन, भदोही के लिये कितना अनुदान व कितना कर्जे के रूप में सरकार ने रुपया मंजूर किया है और उसमें से कितना दिया जा चुका है ?

*१२३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कोआपरेटिव फेडरेशन के लिये एक मैनेजर तथा उक्त तीनों सहकारी समितियों के लिये एक-एक सहायक मैनेजर तथा तीनों समितियों में सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

उद्योग विभाग से वितरित ऋण

*१२४--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में उद्योग विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में कितना रुपया ऋण के रूप में जिलेवार दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

महापालिकाओं की आर्थिक स्थिति

*१२५--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की महापालिका को कितना-कितना ऋण अदा करना है और गत पांच वर्ष में वहां की नगर-पालिकाओं को कितना-कितना अनुदान मिला था ?

*१२६--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत पांच वर्षों में उन नगरपालिकाओं में जहां अब नगरमहापालिकायें स्थापित हुई हैं वहां प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय और कितना-कितना व्यय हुआ तथा इन पांच वर्षों में कौन-कौन से नये मुख्य-मुख्य टैक्स लगाये गये ?

*१२७--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश की महापालिकाओं को आर्थिक सहायता की मांगें उसके विचाराधीन हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की विकास योजनायें

*१२८--**श्री उग्रसेन**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में लखनऊ नगर महापालिका की स्थापना के पूर्व लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कितनी विकास योजनाओं (इम्प्रूवमेंट स्कीम्स) को स्वीकृत कर के विज्ञप्त किया है? यह योजनायें कौन-कौन सी हैं? इनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या-क्या हैं ?

*१२९--क्या सरकार उक्त योजनाओं के एक्वीजीशन प्लान तथा ले-आउट प्लान सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह बतायेगी कि इन स्कीमों द्वारा कितने व्यक्ति विस्थापित होंगे और उनके पुनर्वासन की क्या-क्या योजनायें हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्रित की जा रही है।

फीरोजपुर कनियारी ग्राम सभा के प्रधान की शिकायत

*१३०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा फीरोजपुर, कनियारी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के प्रधान ने ६-११-५९ को पंचायत राज संचालक, उत्तर प्रदेश तथा जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ के पास कोई पत्र भेजा है जिस में सरकारी कर्मचारियों द्वारा गांव सभा के रजिस्टर को छीन करके फाड़ने, नया प्रस्ताव जोड़ने और रुपया निकाल कर ठेकेदार को देने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा क्या जांच में प्रधान का भी बयान लिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। ऐसी शिकायत संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश को गांव सभा प्रधान ने ७ नवम्बर, १९५९ को पत्र भेजकर की। उसकी जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा करायी गयी। जांच में प्रधान का बयान अभी नहीं लिया गया।

ओयल तथा खीरी टाउन एरियाओं को अनुदान

*१३१--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में टाउन एरिया, ओयल और टाउन एरिया, खीरी को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की अवधि में कब-कब, कितना-कितना अनुदान दिया गया और किस-किस कार्य के लिए ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--वर्ष १९५७-५८, ५८-५९ और ५९-६० में टाउन एरिया खीरी और ओयल को प्रतिवर्ष २,००० रु० सड़कों की मरम्मत, निर्माण आदि के लिए य० पी० रोड फण्ड से दिया गया। इस के अलावा टाउन एरिया ओयल को वर्ष १९५८-५९ में तथा टाउन एरिया खीरी को वर्ष १९५९-६० में ७५० रु० टाउन कम्पोस्ट स्कीम के अन्तर्गत भूमि तथा गाड़ियों के क्रय करने के लिए दिया गया।

निधौली कलां टाउन एरिया की लेखा जांच

*१३२---श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टाउन एरिया, निधौली कलां, जिला एटा का सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ का आडिट हो गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां।

पटोड़ी जोशी खोला हल्द्वानी पेय जल योजना

*१३३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले की पट्टी मल्ला कोस्या में पटोड़ी-जोशी खोला हल्द्वानी पेय-जल योजना के जीर्णोद्धार हेतु अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस क्षेत्र के लिए ३२,५०० रुपये की अनुमानित लागत की एक संयुक्त योजना बनायी गयी थी जिस के लिए २०,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ था। सम्बन्धित ग्राम सभा अपना अंशदान देने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं। अतः योजना अपूर्ण है। इसे पूर्ण करने का प्रश्न सम्बन्धित विकास क्षेत्र कर्मचारियों तथा जिला अधिकारियों के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जिले में कुवों की बोरिंग के लिये धन

१---**श्री ऊल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में १९५७-५८ में कितने रुपये कुओं की बोरिंग्स के लिए अग्रिम जमा हुये, उनमें से कितने बोरिंग हुये, १९५८-५९ में कितने रुपये जमा हुये और कितने बोरिंग हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५७-५८ में ३,७५० रु० कुओं की बोरिंग के लिए अग्रिम जमा हुये उनमें से २४ बोरिंग हुईं, जिनमें से एक असफल रही। १९५८-५९ में १०,१९२ रु० अग्रिम जमा हुये और ७५ बोरिंग हुईं। एक बोरिंग का कार्य चालू है।

रामायण फाड़ने की घटना के सम्बन्ध में श्री भूपकिशोर तथा श्री राजनारायण द्वारा कथित गलत बयानी पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कुंवर श्रीपालसिंह जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव की नोटिस दी है। तो इसके संबंध में चूंकि माननीय सदस्य के सदन के बयानों पर यह आधारित है जो कि यहां पर श्री भूप किशोर जी ने दिया था जब उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा था। तो मैं कुंवर श्रीपाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने प्रस्ताव की प्रति उनके पास भी भेज दी है ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---दे दिया है तो मैं कम्पेयर कर लूं कि जो आपका कथन इसमें है कि उन्होंने जानबूझ कर जो कि पहले रोज कहा था उसको दूसरे रोज दूसरे ढंग से कहा। मैं कार्यवाही देख लूंगा तब इस पर फैसला कल दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल विधान का नहीं है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत महत्व का, राष्ट्रीय हित का

और देश हित का प्रश्न है। इसलिये मैंने कल भी यह आज्ञा चाही थी और आज फिर मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि इस प्रश्न को विधान और दंडों से ऊपर उठकर अगर सभावनापूर्ण ढंग से हल कर दिया जाय जिससे सबके हृदयों की कटुता दूर हो जाय तो अधिक अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो आपकी भावनायें हैं वही मेरी भी हैं। इसीलिये मैंने विचारार्थ समय भी दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे हर्ष भी है कि माननीय भूप किशोर जी ने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है और कल ही उन्होंने मुझसे यह कह दिया है कि उनका वह मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं पालीवाल जी.....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--वे खेद प्रकट करने को तैयार हैं और वह भी आज ही।

श्री अध्यक्ष--ऐसा है तब ठीक है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--कल से ही वह खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला है। इसीलिये मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रश्न को विधान और दंडों से ऊपर उठकर देखा जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय श्रीपाल सिंह जी, आप इसके ऊपर प्रेस तो नहीं करेंगे फिर उसके बाद ?

कुंवर श्रीपालसिंह--जैसा माननीय पालीवाल जी कह रहे हैं उसके बाद आप उसको पढ़ दें और वह अगर उससे . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि इसको आगे न बढ़ाया जाय। मैं भी देख लूं और पालीवाल जी से भी और आपसे भी आज दोपहर में बात कर लूंगा और खूबसूरती के साथ, अभी तो कल भी हमको बैठना ही है और अगर वह खेद प्रकट कर दें तो मामला वहीं खत्म कर दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--आपके द्वारा मैं माननीय पालीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला महज भूप किशोर जी का नहीं है, यह मामला माननीय राजनारायण जी का भी है क्योंकि विशेषाधिकार से संबंधित प्रस्ताव उनके भी नाम है। तो भूपकिशोर जी उसके लिये चाहे जो करने वाले हों लेकिन मैं उसको वापस करने वाला नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि जिन्होंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे खिलाफ उठाया है आप मुझे भी आज्ञा दें कि मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाऊं क्योंकि उन्होंने इस पत्र द्वारा हमारे जजबात को भी ठेस लगायी है और उन्होंने अनुचित ढंग से हमारे ऊपर लांछन लगाया है।

श्री अध्यक्ष--मैं अभी इसके ऊपर कोई आगे बहस नहीं करने देना चाहता।

कुंवर श्रीपालसिंह--मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भूपकिशोर जी के संबंध में जैसा कि पालीवाल जी ने कहा, अगर वह खेद प्रकट करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं उसे आगे नहीं उठाऊंगा लेकिन श्री राजनारायण जी मेरे ऊपर जो विशेषाधिकार का प्रश्न लाना चाहते हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्हें आज्ञा दे दी जाय।

श्री राजनारायण--अगर आप भी खेद प्रकट करेंगे तो मैं आपको माफी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--मालूम होता है गरम वातावरण में कोई ठंडी बात नहीं हो सकती।

प्रदेश में कोयले के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार मेरे पास कई प्रस्ताव आये हैं उनमें श्री गौरीशंकर राय जी का महत्व का है। उसको ही आज मैं स्वीकृति दे रहा हूं। मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं :

"पूरे प्रदेश में कोयले का अभाव है। इस संबंध की चर्चा के समय सदन में खाद्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री ने कुछ दिन पहले यह बताया था कि उन लोगों ने संबंधित केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा है ताकि यह कठिनाई दूर हो जाय। मुझे यह सूचना मिली है कि कोयले के अभाव का कारण यह है कि सरकार ने कोल डिपो का लाइसेन्स ऐसे लोगों को दे दिया है जिन्होंने या तो अपने लाइसेन्स को किसी पैसे वाले को दे दिया है या अगर स्वयं कोटा उठाते हैं तो उनके पास इतनी हैसियत नहीं कि समय से रुपया जमा करके कोटा उठा सकें। मुझे यह निश्चित जानकारी है कि चार अप्रैल को केन्द्रीय सरकार के असिस्टेन्ट आइरन एन्ड स्टील कंट्रोलर ने प्रदेशीय सरकार के असिस्टट आइरन एन्ड स्टील कन्ट्रोलर को यह पत्र लिखा है कि कोल डिपो के मालिकों के रुपया न जमा करने के कारण उत्तर प्रदेश के कोयले का कोटा समय से न उठ सका। अतः लोक-महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर मैं माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं"

माननीय खाद्य मंत्री के पास अगर आज पूरी जानकारी हो तो आज ही वक्तव्य दे दें नहीं तो किसी दूसरे रोज दे दें।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--श्रीमन्, अगर उनका इसी से मन्तव्य हो कि आइरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर ने क्या कहा तो वह मेरे पास है और शार्टेज तो है ही, उसको दूर करने का प्रयत्न भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने क्या कहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उन्होंने लिखा है :

"I had a talk with the Deputy Iron and Steel Controller, Kanpur and with Sri G. C. Lal, Joint Secretary, Planning (Movement). He told me that the Assistant Iron and Steel Controller, Government of India, never told them that one of the main reasons for delay in the supply of coal to U. P. was the delay with which the depot-holders deposited the price of coal."

यानी इस तरह की बात कहीं किसी से नहीं कही गई, यह बात तो निश्चित है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या ४ अप्रैल को केन्द्रीय सरकार के डिप्टी आइरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर का कोई पत्र प्रदेश के कन्ट्रोलर को मिला जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि प्रदेश के कोल डिपो के मालिक रुपया न जमा करने के कारण से कोल का कोटा नहीं उठा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---तो मंत्री जी यह कह दें कि कोई ऐसा पत्र नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त उनके पास सूचना नहीं है, आपके पास अगर कोई सूचना हो तो आप दे सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---मेरी निश्चित जानकारी है कि ऐसा पत्र आया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मंत्री जी पूरी जानकारी करके कल ही वक्तव्य दें तो ज्यादा अच्छा है।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्ति के लिये श्री आदिराम सिंघल का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम २७९ के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री आदि राम सिंघल के प्रार्थना पत्र पर विचार होगा। उनका प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में है। वह छपकर बंट ही गया है। यह मार्च का मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"As I am ailing since 19th December, I could not attend the session of the Assembly in February and may not be able to attend the session this month too as I am yet bed-ridden. I have informed the Hon'ble Speaker too. I have not the necessary printed forms with me. I am therefore writing to inform you of my inability to attend the session due to my illness."

उन्होंने सेक्रेटरी को लिखा कि मैं १९ दिसम्बर से बीमार हूं और सेशन में नहीं आ सकता हूं और अब भी बिस्तर में पड़ा हुआ हूं। ६० रोज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह सदन उनकी दरख्वास्त को स्वीकार करता है?

कई सदस्य---हां।

श्री अध्यक्ष---तो यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुआ।

श्री गयाप्रसाद द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये विषय के संबंध में जानकारी

श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---मैंने नियम ५२ में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष---एक ही लिया जा सकता है। आप कल दीजिये।

पुस्तकालय समिति तथा आवास मंत्रणा समिति में मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---जो कमेटियां रह गई थीं उनमें से याचिका समिति को छोड़कर पुस्तकालय समिति के लिये मैंने निम्न सदस्य मनोनीत किये हैं उनमें २५ सदस्य रहते हैं जिनमें ४ परिषद के होते हैं। श्री राम नारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष रहते हैं। इनके अलावा, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री मंगलाप्रसाद, श्री गोविन्द सहाय, श्री उदय शंकर दुबे, श्री शब्बीरहसन, श्रीमती बिन्दुमती दास, श्री सुदामा प्रसाद, श्री मोहन लाल (हमीरपुर), श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री दीन दयाल शर्मा, श्री शिव राज सिंह, श्री कैलाश प्रकाश, श्री शोभनाथ, श्री अनन्तराम वर्मा, श्री रामचन्द्र उनियाल, श्री जरगाम हैदर, श्री कुंवर श्रीपाल सिंह,

श्री राजनारायण, श्री झारखंडे राय, आचार्य दीपंकर, श्री जगन्नाथ आचार्य, श्रीमती सावित्री श्याम, डाक्टर ईश्वरी प्रसाद, और कुंवर गुरु नारायण को मैं मनोनीत करता हूं।

एक और समिति नयी बनाई जा रही है। वह आवास के संबंध में जो सुविधायें सदस्यों को दी जाती हैं, उनके लिये बहुत से सदस्यों ने इच्छा प्रकट की थी कि एक समिति ऐसी बनाई जाय जो अध्यक्ष को सलाह दे और फिर अध्यक्ष का अन्तिम निर्णय उनके सुझाव पर होगा। मेरी नेता सदन से भी इस विषय में बातचीत हो गई है। यह ऐसी प्रथम समिति बनाई जा रही है और अगर इसका प्रयोग सफल हुआ तो यह जारी रखी जावेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--इसका नाम क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--आवास मंत्रणा समिति के निम्न सदस्य मनोनीत करता हूं :--

डिप्टी स्पीकर, श्री रामनारायण त्रिपाठी, इसके चेयरमैन होंगे। श्री कमला पति त्रिपाठी, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री कैलाश प्रकाश, श्री बी०बी० शरण, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना, कुमारी कमल कुमारी गोईंदी, श्री उग्रसेन, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री प्रताप सिंह। ये सदस्य होंगे।

श्री राजनारायण--आपने जो नाम अभी बताये हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने से योग्य व्यक्ति के नाम का सुझाव देना चाहे तो नाम बदलने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--उसके ऊपर तो बड़ी सहानुभूति से विचार होगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मेरा निवेदन है कि अगर आपने त्रिपाठी को चेयरमैन बना दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। मैं मथुरा चला जाऊंगा। मैं जिन्दा नहीं रहूंगा।

२८ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न २५-२६ से सम्बद्ध सहारनपुर-बागपत रोड के निर्माणार्थ ली गई जमीन के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)--२९ जुलाई, १९५९, को श्री गयूर अली खां द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५-२६, जो बागपत-सहारनपुर सड़क के निर्माण के लिये जलालाबाद ग्राम, जिला मुजफ्फरनगर में ली गई भूमि के संबंध में थे, से संबंधित जो वाद विवाद सदन में १२ अगस्त, १९५९ को हुआ था उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार मैं सदन की सूचना के लिये निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं :--

बागपत-सहारनपुर सड़क के निर्माण के लिये जलालाबाद ग्राम, जिला मुजफ्फरनगर में २२.३५ एकड़ भूमि १९४९ में स्थायी रूप से ली गई थी। परन्तु वास्तव में इस्तेमाल की गई भूमि का क्षेत्रफल केवल २१.६१ एकड़ है। १९५४ में जलालाबाद ग्राम के काश्तकारों की न तो और भूमि ही ली गई थी और न खड़ी फसल ही काटी गई थी। कथित ग्राम में ली गई भूमि के लिये ६,५५७ रु० ६४ नये पैसे मुआवजे के रूप में ८ अक्टूबर, १९५९ को काश्तकारों में बांटे जा चुके हैं। प्रश्नगत भूमि के लिये जो लगान वसूल किया गया था उसके ३२५ रुपये ८५ नये पैसे २ नवम्बर, १९५९ ई० को काश्तकारों को लौटा दिये गये हैं। काश्तकारों से जो एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स वसूल किया गया था उसको वापस करना अब कानूनन संभव नहीं है। भूमि संबंधी कागजात ठीक करा दिये गये हैं, इसलिये भविष्य में उस भूमि के लिये काश्तकारों से लगान नहीं लिया जायगा।

[श्री महावीर सिंह]

चकबन्दी की कार्यवाही जलालाबाद ग्राम में १६ फरवरी, १९५९ ई० को पूरी हो गई थी परन्तु चकबन्दी ऐक्ट की धारा ५२ के अन्तर्गत जो विज्ञप्ति चकबन्दी को कानूनी तौर पर बन्द घोषित करने के लिये प्रसारित की जाती है वह ११ फरवरी, १९६० ई०, को प्रसारित की गई है। मुआवजा देने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में छानबीन की जा रही है।

जहां तक काश्तकारों द्वारा मुआवजा लेने से इन्कार करने की बात है, बाद की जांच से पता चला है कि किसी काश्तकार ने मुआवजा लेने से इन्कार नहीं किया था।

ऐसे आदेश जारी करने के प्रश्न पर कि जिस समय कोई भूमि किसी निर्माण कार्य के लिये ली जाय उसी समय ऐसे भी आदेश जारी किये जावें कि उसी दिन से काश्तकार से लगान लेना भी बन्द हो जाय, अभी विचार किया जा रहा है।

(श्री गयूर अली खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष---इस समय आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। नये प्रश्न दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आधे घंटे के विवाद की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष---आधे घंटे के विवाद के बाद ही तो यह वक्तव्य दिया गया है।

गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ में इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स खोलने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष---आचार्य दीपंकर जी के बजाय श्री मदन पान्डेय इसे पेश करेंगे। ऐसा दीपंकर जी ने चाहा है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आचार्य दीपंकर जी का यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"प्रदेश में टैक्निकल एजूकेशन की आवश्यकता को तथा लखनऊ शहर के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि गवर्नमेन्ट टैक्निकल इस्टीट्यूट, लखनऊ, में इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था की जाय।"

श्रीमन्, आजकल टैक्निकल शिक्षा की देश को कितनी आवश्यकता है। इसके बारे में जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने अभी भाखरा नांगल में बोलते हुए कहा था कि हमारे देश को इंजीनियरों की आवश्यकता है, टैक्निकल हैंड्स की आवश्यकता है इसलिये एक टैक्निकल इंस्टीट्यूशन के बारे में यह प्रस्ताव कि वह अच्छी एजूकेशन दे सके, अपनी जगह कितना उपयुक्त है, यह सदन और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जहां तक लखनऊ के इस टैक्निकल इंस्टीट्यूशन का संबंध है यहां पर अब तक एजूकेशन दिये जाने के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाता रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले एक टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड सरकार की तरफ से बनाया गया जिसके मातहत इस संस्था को कर दिया गया और अब वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाई समाप्त करने के बाद नैशनल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। लेकिन इस विषय की ऊंची पढ़ाई के लिये इस संस्था में कोई व्यवस्था नहीं है।

जहां तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का ताल्लुक है, यह ज्ञात हुआ है कि हमारे प्रदेश में कुछ टैक्निकल इंस्टीट्यूशन्स खुलने वाले हैं आगरा, कानपुर तथा अन्य स्थानों में। लेकिन लखनऊ शहर के महत्व को देखते हुए, यह निवेदन करना चाहते हैं कि यदि उच्च एजूकेशन

का प्रबंध (टैक्निकल टाइप की एजूकेशन का) इस शहर में न किया जायगा, और स्थानों पर रहते हुए भी, तो इस स्टेट के लिये वह बहुत अच्छा न होगा। इसलिये जहां तक आगरा और कानपुर तथा अन्य स्थानों का प्रश्न है, मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन उसके साथ साथ यहां के टैक्निकल इंस्टीट्यूट को भी डिग्री कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था अवश्य प्रदान की जाय। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं समझता हूं कि हमारा यह सदन और यह सरकार स्वयं उसकी आवश्यकता को महसूस करती होगी और सहर्ष वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। मैं इस संबंध में बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करके सदन का वक्त लेना नहीं चाहता क्योंकि इसके बाद बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। इसलिये मैं दो-तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा।

डिग्री कोर्स पढ़ाने के लिये आजकल आम मांग हो रही है। होमियोपैथिक बोर्ड के द्वारा भी डिप्लोमा प्रदान किया जाता रहा है। इसके बारे में भी कुछ दिनों पहले यह कमी महसूस की जाती रही कि डिप्लोमा की शिक्षा अपूर्ण है। उसे किसी विश्वविद्यालय से एफीलिएट करके जब तक उसको समूचे विकास का अवसर न प्रदान किया जाय तब तक पूर्णता के नजदीक भी पहुंच पाना असंभव है। इसी प्रकार से टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के विद्यार्थियों को भी डिप्लोमा कोर्स एक असंतोष का कारण रहा है। गत वर्ष भी वहां के विद्यार्थियों की ओर से जोरदार मांग हुई थी, कई बार हड़ताल भी हुई तथा और भी कुछ हुआ, कई बार असंतोष का प्रदर्शन किया गया। लेकिन इसके बाद भी विद्यार्थियों की यह इच्छा अधूरी ही रही। मैं यह नहीं कहता कि सरकार हड़तालों से मजबूर होकर ऐसा करे। क्योंकि सरकार को हड़ताल और प्रदर्शन के नाम से तो चिढ़ ही हो गयी है इसलिये मैं उनके सामने झुकने को नहीं कहता, लेकिन अब उपयुक्त अवसर आ गया है जब सारे देश और प्रदेश में ऊंची टैक्निकल एजूकेशन की मांग हो रही है, उस वक्त सरकार को अपनी पुरानी भूल को सुधारने का एक मौका है। इस प्रकार से उस भूल का भी परिमार्जन होगा और आगे होने वाले असंतोष को भी समाप्त करने में उसको सहायता मिलेगी तथा उसका यह कदम एक अच्छा कदम होगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिग्री कालेज बनाने में या डिग्री प्रदान करने में समर्थ बनाने में, आम तौर से विभाग की तरफ से अनेक प्रकार की अड़चनें पेश की जाती हैं और वे अड़चनें होती हैं कि इसको कैसे साधन सम्पन्न किया जाय, किस यूनिवर्सिटी से इसको सम्बद्ध किया जाय तथा उसके कांस्टीट्यूशन को दुरुस्त किया जाय। तमाम ऐसी बाधायें उसमें आया करती हैं। मुझे यह भी तजुर्बा है कि यदि किसी ऐसी संस्था को किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किये जाने में कोई अड़चन डालना अभीष्ट हैं तो ऐसी अनाप सनाप योजनायें बनायी जाती हैं कि जहां एक रुपये का खर्च हो वहां १० रु० का खर्च बताया जाता है और ऐसे आंकड़े दिखलाये जाते हैं जिन्हें देखकर कोई भी समझने लगे कि यह बहुत बड़ी रकम है।

मुझे हाल ही का एक नमूना मालूम है कि एक कालेज को आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने का प्रश्न है लेकिन उसके सम्बद्ध करने के रास्ते में एक योजना बना कर अड़चन डाल दी गयी कि अगर इस कालेज को उस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जायगा तो एक करोड़ रुपये का खर्चा होगा। यह इतनी बड़ी रकम है जिसको इस वक्त नहीं दिया जा सकता। यह डिपार्टमेन्ट की तरफ से किया गया यद्यपि साधिकार रूप से नहीं लेकिन जो खबर है वह यही कि एक ऐसी योजना बनाकर उसके रास्ते में बाधा डाल दी गयी। मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार केवल २० लाख रुपये खर्च करके उसे किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिग्री प्रदान करने योग्य बनाने के लिये मैं सरकार से

[श्री मदन पाण्डेय]

कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की स्पिरिट का समर्थन करते हुए उसे कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये जो सस्ती भी हो और जो आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भी हो और इस तरह उन्हें किसी यूनिवर्सिटी के साथ सम्बद्ध करने में कोई अड़चन न हो।

लखनऊ का यह जो टेक्निकल इंस्टीटयूशन है उसे चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही इंजीनियरिंग की फैकल्टी खोल कर उसके साथ ही सम्बद्ध कर दें या प्रदेश के सौभाग्य से जो रुड़की में पहले से ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुली हुई है जहां इसके लिये नयी फैकल्टी खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसके साथ इसको सम्बद्ध करके वहां डिग्री कोर्स की पढ़ाई तथा डिग्री प्रदान करने का प्रबन्ध कर दें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप सब की मंशा को पूरा कर सकेंगे। कितना अच्छा हो कि इसे सरकार इसी वक्त स्वीकार कर ले बजाय इसके कि कोई डिमांस्ट्रेशन हो, कोई प्रदर्शन हो तब उसे स्वीकार किया जाय। इस दृष्टि से भी यह प्रस्ताव दुरुस्त है और अच्छे ढंग से सामने आया है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि समय रहते माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी से इसे सम्बद्ध कर देना चाहिये। यह जो थोड़ी सी बातें मैंने उनके सामने पेश की हैं, मैं समझता हूं कि उस पर वे उचित ध्यान देंगे और इस प्रस्ताव पर वोटिंग का मौका न आने देकर इसे पहले ही स्वीकार कर लेंगे। इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव जो श्री दीपंकर जी ने उपस्थित किया था, उनकी अनुमति से और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैंने आज इस सदन के सामने पेश किया है, उसे यह माननीय सदन स्वीकार करे, ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---श्रीमन्, समय के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि इसके लिये कुछ समय निश्चित हो जाय। मेरा प्रस्ताव है कि २ बजे तक इस पर बहस खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को एतराज तो नहीं है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं समझता हूं कि २ बजे तक का समय बहुत कम है, दूसरा प्रस्ताव लिया जाना भी आवश्यक है लेकिन इस प्रस्ताव पर ४ बजे तक बहस की जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को एतराज है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रीमन्, ४ बजे तक का समय तो बहुत अधिक है। यह तो भाषण करने वालों की संख्या देख कर आप कर देंगे।

श्री अध्यक्ष---अगर किसी को भी एतराज है तो फिर यह होगा तो समय निर्धारण नहीं होगा और बहस समाप्त करने के लिये क्लोजर मूव करना होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं समझता हूं कि ४ बजे के पहले ही इस पर बहस खत्म हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---सवाल तो यह है कि इस पर बहस कब खत्म की जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, ३ बजे तक अगर यह हो जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अगर इसमें किसी को एतराज नहीं है तो इसके लिये ३ बजे तक का समय रहेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत संकल्प पर निम्न संशोधन पेश करता हूं कि:

पंक्ति दो में शब्द "तथा लखनऊ शहर के बढ़ते हुये महत्व को" हटा दिये जायं।

पंक्ति ३ में शब्द "इंस्टीट्यूट" के स्थान पर "इंस्टीट्यूट्स" रख दिया जाये।

पंक्ति ३ में शब्द "लखनऊ" हटा दिया जावे तथा इसी पंक्ति में शब्द "में" तथा शब्द "इंजीनियरिंग" के बीच शब्द "टेक्नालाजिकल" बढ़ा दिया जाय।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता---आप सब संशोधन अपने एक साथ रख दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---वह मैंने रख दिये हैं।

आप देखें कि मैंने जो संशोधन रखे हैं उनमें पांडेय जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प से कोई विभिन्न राय नहीं है, मैंने उसी को कुछ थोड़ा सा विस्तृत किया है। मूल संकल्प केवल गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के बारे में था और कहा गया था कि वहां का पाठ्यक्रम डिग्रीकोर्स तक किया जाय। उसी को लेकर मैंने चाहा है कि इसी प्रकार के जितने भी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट हों उन सब में वृद्धि की जाय, यह उन सभी के बारे में है कि जो चल रहे हैं या आगे चलने वाले हैं। जितनी भी चीजें पांडेय जी ने कही हैं मैं उन सबका समर्थन करता हूं और अपना दृष्टिकोण भी इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं।

आज यहां इन टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स की बहुत आवश्यकता है और इस जरूरत को महसूस कर के सरकार बहुत कुछ कर भी रही है। अगर आप की आज्ञा से मैं कह सकूं कि इन इंस्टीट्यूट्स में आज विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन ये संस्थायें तीन प्रकार की हैं, एक टेक्निकल है, एक एलेक्ट्रिकल है और एक सिविल है, तीन प्रकार की इंजीनियरिंग यह संस्थायें पढ़ाती हैं। यद्यपि अभी इन तीनों ही प्रकार की संस्थाओं की कमी है लेकिन टेक्निकल और पालिटेक्निक शिक्षा के लिये अभी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है और आगे सरकार की शायद योजना यह भी है कि हर जिले में एक पालिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोला जाय लेकिन मेरा विचार है कि ये जो संस्थायें खोली जायं उनमें टेक्नालाजी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाय।

आयल टेक्नालाजी के विषय में जो हमारी संस्थायें लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर में हैं उनमें विशेष जानकारी हासिल की गई है और अब शायद एक नेशनल टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट खोलने की योजना कानपुर के लिये है और उसके लिये, विदेशों से भी सहायता लेने की कोशिश की गई है। अब प्रश्न यह है कि इन संस्थाओं में किस प्रकार का वैज्ञानिक शिक्षण दिया जाय, वैसे जो आज मेकेनिकल, टेक्निकल और सिविल तीनों प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है और बिना एक के भी हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन विशेष आवश्यकता इस समय टेक्नालाजी के शिक्षण की है और इससे देश के हर कोने के लोगों को लाभ पहुंच सकता है, प्रत्येक उद्योग, धन्धे और कार्य में इससे लाभ पहुंच सकता है। वैसे इंजीनियरिंग तो चाहे मेकेनिकल हो, सिविल हो या एलेक्ट्रिकल हो हर विषय में उसकी जरूरत है लेकिन टेक्नालाजी हमारे आये दिन के काम में आने वाली चीज है और इसके प्रशिक्षण के लिये जो संस्थायें चल रही हैं वे सचमुच सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। इस सम्बन्ध में जो सरकार ने सोचा है कि उनके शिक्षकों का शिक्षण किया जाय और शायद अगले साल इस का काम भी प्रारम्भ होगा। वह कार्य मैं तो समझता हूं कि अविलम्ब और जल्दी शुरू कर देना आवश्यक है। लेकिन आज जो प्रश्न है वह इस प्रकार का है कि इन टैक्नीकल इंस्टीट्यूट्स में जो पाठ्यक्रम है उससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

विद्यार्थियों को केवल डिप्लोमा ही प्राप्त हुआ करता है और उससे वह अपनी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हमें इन इंस्टीट्यूट्स में उच्च शिक्षा देने के लिये भी प्राविधान करना चाहिए और उसके लिये आवश्यक है कि पाठ्यक्रम उच्च भी हो और डिग्री कोर्स का भी हो।

आज टैक्नालाजीकल एजूकेशन के लिये बड़ी मांग है। न केवल हमने ही बल्कि हमारे प्रधान मंत्री ने भी इस बात को उठाया है कि टैक्नालाजीकल शिक्षा देश में अधिकाधिक बढ़े। टैक्नालाजीकल शिक्षा देने के लिये देश में तीन-चार संस्थाएं प्रारंभ की गई हैं। अपने प्रदेश में कानपुर में है। इसके अतिरिक्त पूना में और एक कहीं दक्षिण में खुली है, इस तरह से ये संस्थाएं हैं। अमेरिका आदि से भी कुछ सहायता उपलब्ध है। हम तो यह चाहते हैं कि टैक्नालाजीकल शिक्षा के लिये सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं हों और उनमें डिग्री कोर्स तक की शिक्षा दी जाय। इसके लिये यह प्रस्ताव है और इसमें मेरा संशोधन है। मुझे आशा है पांडेय जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

इस समय जो लखनऊ इंस्टीट्यूट की आन्तरिक व्यवस्था के बारे में बात कही गई कि वहां के विद्यार्थी बड़े उतावले हैं कि उनको शिक्षा उच्च कोटि की हो और उसके बारे में कुछ प्रतिवेदन आदि भी दिये हैं, उन बातों को मैं दोहराना तो नहीं चाहता लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यह बात प्रकट करती है कि विद्यार्थी भी आज चाहते हैं कि उनकी शिक्षा इस ओर अधिकाधिक बढ़े। अपने प्रतिवेदन और आवेदन के द्वारा कई इस प्रकार के प्रयत्न भी किये हैं। देश की मांग भी है, विद्यार्थी भी चाहते हैं और सरकार की भी शायद इच्छा है, ऐसी हालत में इस बात को लाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गैर-सरकारी पक्ष की तरफ से बहुत से संकल्प आते रहते हैं। उनको सरकार कभी कभी अपने दृष्टिकोण से देखती है और उन्हें अमान्य भी समझती है, किन्तु मैं समझता हूं कि आज का जो प्रस्ताव है वह किसी भी दृष्टि से देखा जाय उसे अमान्य नहीं कहा जा सकता और उसको सरकार को सहर्ष मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

यह शिक्षा संबंधी प्रस्ताव है। हम देश में शिक्षा फैलाने के पक्ष में हैं। यह प्रस्ताव उस शिक्षा के संबंध में है जो एक विशेष शिक्षा होगी और जिसकी प्राप्ति करने के बाद इस देश में न केवल औद्योगीकरण ही बढ़ेगा बल्कि देश की वह मांग पूरी होगी जिससे देश की निर्धनता दूर होगी। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षा क्रम में आमूल परिवर्तन हो। अभी हमारी शिक्षा जो है वह केवल साहित्यिक शिक्षा है, कला की है, आर्ट की तरफ है और उसके कालिजों की संख्या भी अन्य कालिजों से कई गुनी अधिक है। लेकिन केवल कला से परिचित विद्यार्थी इतने बढ़ चुके हैं कि बेकारी की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। अब आवश्यकता इस बात की है इन संस्थाओं में ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे कि विद्यार्थी स्वावलम्बी बने और देश की उस मांग को पूरी करें जिसके लिये देश चिल्ला रहा है और जिससे औद्योगिकरण की पूर्ति हो।

इसकी पूर्ति के लिये इन शिक्षण संस्थाओं में कुछ विशेष शिक्षाओं के देने की आवश्यकता है। इसलिये इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इंजीनियरिंग और उससे सम्बन्धित दूसरे विभाग हैं, टेक्नोलाजी की शिक्षा है, वह भी विशेषता रखती है लेकिन सरकार ने इसका विधान देर से किया है। इसका परिणाम यह है कि विद्यार्थियों की तादाद कम है। यह भी देखा गया है कि कभी कभी इन विशेष संस्थाओं से निकले हुए विद्यार्थी बेकार दिखाई पड़ते हैं। अभी अभी कुछ दिन हुए ओवरसीयर्स के बारे में कहा गया कि उनकी तादाद बेकारों की लिस्ट में आ रही है और यह सब हमारी सरकार के बेरुखेपन के कारण है।

हम इस बात की आशा करते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की तादाद बढ़ेगी और उनको कार्य मिलेगा और केवल सरकारी कारखानों में, सरकारी नौकरियों में ही नहीं वरन् निजी कारखानों में भी। चाहे प्राइवेट सैक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो दोनों सेक्टरों का उद्योगी-

करण होना है, उनका काम पूरा करने के लिये यही विद्यार्थी काम में लगायें जायंगे और प्रस्ताव में इसलिये टेक्नोलाजी का भी प्राविधान किया गया है। इस सर्वमान्य प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करेगी। प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें आधार भूत शब्द भरे हुए हैं, मैंने इसीलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि लखनऊ की संस्था को तथा ऐसी अन्य संस्थाओं को भी वृद्धि मिलेगी। लखनऊ में ही ऐसी संस्था नहीं है, कानपुर और गोरखपुर में भी हैं, इन सभी संस्थाओं को सहायता देने का मतव्य इस संशोधन से है या भविष्य में जो ऐसी शिक्षण संस्थायें खुलें उनको सहायता देने से है। लिहाजा मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई)

श्री अधिष्ठाता---इसके लिये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। काम चल सके, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही जारी हुई।)

***श्री लालबहादुर** (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मदन पांडेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है और अवस्थी जी ने जो संशोधन उसमें किया है अगर ये दोनों आदमी किसी क्लब में इनको रखे होते तो मैं मान लेता. . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह "क्लब" शब्द क्या पार्लियामेंटरी है? यह कुछ सोटिव बतलाता है।

श्री अधिष्ठाता---क्लब तो बहुत अच्छी जगह है। सभी लोगों के जाने की जगह है।

श्री लालबहादुर---मान्यवर, यह सदन इस प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता है, प्रदेश के सारे अधिकार यहां निहित हैं। हमारे पांडेय जी एक चीज क्यों भूल जाते हैं कि यह प्लानिंग का युग है। जो कुछ भी हो रहा है चाहे वह टेक्निकल एजूकेशन के बारे में हो, चाहे कोआपरेटिव के बारे में हो, चाहे इंडस्ट्रीज के बारे में हो, सब एक प्लान के मुताबिक हो रहा है। जो प्रस्ताव है उसको देख कर मुझे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे मदन पांडेय जी और अवस्थी जी को लखनऊ से बड़ा प्रेम पैदा हो गया है। कभी उनको गोरखपुर से प्रेम था कि वहां यूनिवर्सिटी होनी चाहिये, मेडिकल कालेज होना चाहिये मगर अब उन्हें लखनऊ से प्रेम हो गया है यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता।

कहा जाता है कि टेक्निकल एजूकेशन और इंजीनियरिंग हाई डिग्री के तरीके पर कर दी जाय। अरे, इसके बड़े-बड़े प्लानर्स हैं, प्लानिंग कमीशन है, वह देखता है कि कहां खोला जाय, कहां रुपया लगाया जाय और किस तरह से लगाया जाय तब वह आपकी सरकार को डायरेक्शन देता है कि फलां जगह यह इंस्टीट्यूशन खोलो तब आप रुपया एलाट करते हैं और इंस्टीट्यूशन खोलते हैं। हमें तो कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे पोलिटिकल स्टन्ट होता है वैसे ही इस प्रस्ताव के द्वारा ये लोग लखनऊ के लड़कों को भड़काना चाहते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आपको लखनऊ से एतराज क्यों है?

श्री लालबहादुर---मुझे एतराज नहीं है, आप ५ खुलवाइये लेकिन जो लखनऊ के प्रति आपका प्रेम उमड़ा है उस पर मुझे ताज्जुब है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---अवस्थी जी का प्रेम केवल लखनऊ के लिये नहीं, उन्होंने सर्वत्र के लिये कहा है ।

श्री लालबहादुर---तब तो मैं वापस ले रहा हूं । देखा जाय तो ६ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं और एक कोई और हायर तरीके पर बनाया जा रहा है । एक्सपर्ट्स बैठेंगे और सूटेबिल जगह पर बनायेंगे । यह आप क्यों भूल जाते हैं कि सरकार को यह भी देखना है कि जितने टेक्नीशियन्स निकलें उनको नौकरी भी वह प्रोवाइड करे । बेकारी हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में बढ़ती जा रही है । सभी तो नौकरी चाहते हैं । अब तक तो कोई ऐसा प्रमाण मिला नहीं कि कोई टेक्नीशियन निकला हो और उसने घर पर बैठ कर कोई काम शुरू किया हो । सभी सरकार पर आश्रित रहते हैं ।

(इस समय १२ बज कर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुयीं ।)

प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स आप क्यों नहीं खोलते । जब अंग्रेज थे तब क्या प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स नहीं चलते थे । गुरुकुल कांगड़ी मौजूद है । जरा आप भी कदम बढ़ाइये । सरकार के ऊपर ही निर्भर न रहिये । अगर आप लोग तैयार हों तो मैं आपके साथ चलूंगा और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाइये । अरे भाई, हमारी भी कुछ ड्यूटी होती है, हमारा भी कुछ कर्त्तव्य होता है । इसलिये हमें एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिये और देखें कि सरकार के इंस्टीट्यूशन्स से हमारा इंस्टीट्यूशन किसी भी हालत में कम न हो । मैं गुरुकुल कांगड़ी को देख कर दंग रह जाता हूं ।

श्री मदन पांडेय---अधिष्ठात्री महोदया, मैंने अपने भाषण में कहीं भी मना नहीं किया है कि लाल बहादुर जी प्राइवेट स्कूल न खोलें । इसलिये यह बात मेल नहीं खाती है ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपने मन की बात कहने की कोशिश करें दूसरों की बात लेकर आप न बोलें ।

श्री लालबहादुर---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, दूसरों ने जो कहा है उसका खंडन न किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---खंडन कीजिये, लेकिन इतना न कीजिये कि दूसरों से आपको उत्तर मिले ।

श्री लालबहादुर---मैं तो यहां देखता हूं कि टैक्नीकल ऐजूकेशन बहुत ऊंची जा सकती है । लेकिन हमको और आपको एक चीज देखनी है जैसा कि किसी कवि ने कहा है "तेते पांव पसारिये जेती लम्बी सौर" यानी जितने हमारे साधन हैं, जितनी हमारी ताकत है उसी के अन्दर हमें रहना चाहिये । उससे आगे बढ़ने से क्या होगा, इसको आप स्वयं सोच लें । हमारे पांडेय जो स्वयं जानते हैं और वह गोरखपुर क्षेत्र के अच्छे उम्मीदवार हैं । उन्हें सोचना चाहिये कि इस देश की मनोवृत्ति क्या है ? खाली डिस्टर्बिंग मनोवृत्ति से काम नहीं चलेगा और कंस्ट्रक्टिव मनोवृत्ति को हमें अपनाना है । खाली लखनऊ में ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की और इस देश की हर तहसील में एक एक टैक्नीकल स्कूल होना चाहिये ।

माननीया, मैं आपके द्वारा अपने साथी से एक बात निवेदन कर दूं कि आज दूसरे प्रदेश वाले हमारे प्रदेश को कृषि प्रधान कहते हैं । लेकिन हालत यह है कि पश्चिमी जिलों में चाहे जो कुछ हो लेकिन पूर्वी जिलों में हम आज भी सैल्फ सफीशेन्ट नहीं हैं । हमारे यहां एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिये । सिर्फ कानपुर में एक स्कूल है और शायद पश्चिमी जिलों में कोई नहीं है । आज गल्ले की हमारे यहां बहुत कमी है और बाहर से गल्ला मंगाना पड़ता है और फिर भी हमारे प्रदेश को कृषि प्रधान कहा जाता है। अगर हम इसको टेक्नीकल कर देंगे तो न जाने क्या हालत होगी । लोहार का लड़का अगर बी० ए० पास कर लेगा तो वह अपना

काम नहीं करेगा और सोचेगा कि वह असेम्बली का मेम्बर हो जाय या कहीं क्लर्क हो जाय। इसी तरह से कुम्हार का लड़का या बढ़ई का लड़का बी० ए० हो जाय तो वह अपना काम न करके बाबूगिरी करना पसन्द करेगा। इस तरह से सभी लोग क्लर्की को ही पसन्द करेंगे।

टेक्निकल एजूकेशन के माने यह हैं कि लुहारगीरी, बढ़ईगीरी आदि जितने काम हैं उनमें लोगों को एक्सपर्ट कीजिये। नाजियों ने पी० एच० डी० आदि की डिग्रियां दीं तो यह थोड़े ही किया कि लिटरेचर वालों को दीं बल्कि बढ़ईगिरी और लुहारगिरी वगैरह में पी० एच० डी० की डिग्री दी। इसी तरह से यदि हम सोचें तो हमारा देश आगे चल सकता है। लेकन हम एक चीज सोचने लगते हैं कि फलां जगह फलां काम हो। प्लानिंग कमीशन बैठा हुआ है और लोग देश की अच्छाई की बातें सोच रहे हैं और वह स्वयं सोचेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस जगह बनाया जाय वह करेंगे। हमारी आपकी जिम्मेदारी जरूर हो जाती है कि हम और आप सहयोग दें। उसके साथ-साथ जो दूसरों को भड़काने की मनोवृत्ति है उसको भी खत्म कर दें। मैं हृदय से कहता हूं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपने खाली लड़कों को भड़काने के लिये प्रस्ताव रखा है कि लड़के सोचें कि नहीं लखनऊ में ही हो और कुछ लड़के कोई और बात शुरू कर दें। आज हमें और आप को ठंडे दिल से सोचना है। दो ही प्रश्न हमारे सामने हैं। एक तो गरीबी और दूसरे यह कि कितने आर्डलरी कंट्री के साथ चलें। हमारी नेशन—बिल्डिंग की बुनियाद पड़ चुकी है। अगर हम ये दो बातें करें तो हमारे नेशन को बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी।

तीसरी बात यह है कि हम लोग अपने दिल और दिमाग पर भी काबू रख कर चलें। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा पहला काम यह है कि सभी को इस चीज को समझाएं कि वे दिल व दिमाग पर काबू रखें। उसके बाद देश को नैतिकता उठाने की कोशिश करें। यह भी एक टेक्निकल एजूकेशन है। जब आप यह करेंगे तो आप का देश बहुत जल्दी निर्मित होगा।

एक चीज और देखनी है। देश में आज फ़्रस्ट्रेशन फैल रहा है। वह हमारी आपकी जिम्मेदारी है, उस फ़्रस्ट्रेशन को रोकने की। हम और आप राइट डाइरेक्शन में चलें। यह नहीं कि चूंकि हम इधर बैठते हैं और आप उधर बैठते हैं, इसलिये मिसगाइड करने लगें। तो देश खतरनाक युग में जायगा। एक पौधा है, उसको जिस तरफ घुमा दिया जाय घूम जायगा। वही हालत देश में है। यह प्लानिंग का युग है। बड़े-बड़े प्लानर क्या सोचते हैं? विदेशी लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान इतनी जल्दी तरक्की कर गया। लेकिन हम आप सोचते हैं कि जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी तरक्की नहीं हुई। वह तरक्की हो कैसे? हमारे रिसोर्जेज कम हैं।

जब अंग्रेजों का जमाना था तो हम लोग लेक्चर दिया करते थे कि अगर अंग्रेज चला जायगा तो हम बड़ी तरक्की कर सकेंगे। लेकिन आज तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी तक एक भी ऐसा साइन्टिस्ट नहीं हो सका, जो रशा और अमेरिका की साइंस से आगे जाय। मैं नहीं कहता कि सरकार मदद न करे। सरकार का पहला कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे लोगों को टेक्निकल चीजों के लिए हर प्रकार की एड दे। लेकिन यह संशोधन अगर अवस्थी जी रखे होते कि हम प्राइवेट टेक्निकल इन्स्टीटचूट बनायेंगे और सरकारी प्रभाव से अलग रहेंगा तो मैं उनके संशोधन को मान जाता।

मैं इतना ही कह कर पांडेय जी के प्रस्ताव का और अवस्थी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं बड़े ध्यान से माननीय लालबहादुर जी का भाषण सुन रहा था। कुछ हंसी भी आ रही थी। हम लोग ब्रज के रहने वाले हैं। वहां एक कहावत मशहूर है। एक जाट और तेली में आपस

[श्री जगन्नाथ लहरी]

में, बातों में संघर्ष हो गया। तेली ने कहा—"जाट रे जाट, तेरे सर पर खाट। तो जाट बोला "तेली रे तेली" तेरे सर पर कोल्हू"। इस पर तेली ने कहा कि "बात कुछ बनी नहीं" तो जाट बोला, बात बने या न बने वजन तो पड़ेगा।' ठीक वही हाल माननीय लालबहादुर जी का हो गया है। उन का काम यही हो गया है कि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आ जाय तो उसका समर्थन करना और अगर किसी विरोधी भाई ने कोई प्रस्ताव रखा तो चाहे उसे उन्होंने पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, बीच में टांग अड़ाकर उसका विरोध करना उनका एक मौलिक अधिकार हो गया है। अगर भाई मदन पांडेय जी ने लखनऊ में इन्जीनियरिंग का एक डिग्री कोर्स खोलने का प्रस्ताव रख दिया तो उन्हें इसी बात से जलन हो गयी कि गोरखपुर को छोड़कर लखनऊ से उन्हें क्यों मोह हो गया ?

हमने तो यह समझा कि अभी तक तो हमारे देश के बड़े-बड़े नेता प्रान्तीयता के रोग के लिए यह कह रहे थे कि यह जहर हमारे यहां बढ़ता चला जा रहा है और उस के प्रति वे अपना रोष व्यक्त कर रहे थे, उस के लिए अपनी यह राय जाहिर कर रहे थे कि हमें इस जहर को किसी न किसी तरह दूर करना है, लेकिन माननीय लालबहादुर सिंह जी की इस बात ने हम लोगों की आंख खोल दी। हम यह समझ गये कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता आज कितने नीचे गिर गये हैं कि वह जहर शहर और गांव गांव को लेकर यह जहर फैलाना चाहते हैं। उन को यह भी बरदाश्त नहीं है कि गोरखपुर का निवासी लखनऊ में डिग्री कोर्स खोलने के लिए प्रस्ताव रखे। इससे ज्यादा गिरावट और क्या हो सकती है ?

दूसरे लाल बहादुर जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि सरकार के पास पैसे की बड़ी कमी है। प्लानिंग कमीशन से इजाजत लेनी पड़ती है। टेक्निकल आदमियों के लिए जगह भी तलाश करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा किस तेजी से चल रही है ? जहां पहले हमारा इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट पहले टेक्निकल शिक्षा दे रहा था वहां अब एक दर्जन शहरों में हमारे इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अतिरिक्त लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से टेक्निकल इन्स्टीट्यूशंस जारी हैं। और उनका प्रति वर्ष सेलेक्शन होता है। तीन वर्ष से मैं खुद सेलेक्शन कमेटी का मेम्बर हूं।

श्री लाल बहादुर—मैं पांच वर्ष पहले रह चुका हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी—आगे की सुनिये। आप ने कहा कि प्राइवेट क्यों नहीं खोला जाता है ? मैं आप को बताऊं मेरे नगर फिरोजाबाद में एक प्राइवेट टेक्निकल स्कूल बन रहा है, एक हाथरस में भी चल रहा है, एक मथुरा में प्राइवेट इन्स्टीटच्यूशन है और एक आगरे में है। मैं नहीं कह सकता हूं कि उन के क्षेत्र में क्या उनका प्रभाव नहीं है या क्या बात है कि हम अपनी तरफ से इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जगह-जगह सरकार द्वारा ऐसे टेक्निकल इन्स्टीटच्यूट खोले जायं और प्राइवेट संस्थाएं भी टेक्निकल स्कूल खोलें, जिन के पास पैसा है, जो धनी व्यक्ति हैं उन से भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि वह टेक्निकल इन्स्टीटच्यूट खोलें। अभी अगस्त के महीने में हमारे यहां फिरोजाबाद में एक डिग्री कालेज कायम हुआ है और ग्लास टेक्नालाजी की कक्षायें चालू करने के लिए उस ने अप्लाई किया है और मांग की है कि उस को मान्यता प्रदान की जाय। तो प्राइवेट लोग भी टेक्निकल शिक्षा देने के लिए बराबर प्रयत्नशील हैं।

हमारे इस देश की सरकार राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू की छत्र छाया में बनी हुई पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार है, वह इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि इस देश में टेकनिकल शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो। विदेशी माल जो इस देश में आता था उस के ऊपर आयात-निर्यात विभाग द्वारा इन वस्तुओं में से अनेक के इस देश में आने पर रोक लगा दी गयी है। बड़े-बड़े विदेशी उद्योगपति और पूंजीपति जिन के माल की खपत यहां होती थी, उन के सामने भारत का प्रस्ताव है कि उन को अपने माल की खपत अगर करनी है तो वे यहां ही भारत में अपना

कारखाना खोलें। शर्त यह रहेगी कि उन को भारतीय टेक्नीशियन्स को शिक्षा देनी होगी और इस उद्योग के सारे भेद उन्हें बताने होंगे।

आज प्राइवेट एन्टरप्राइजेज के भी जो बड़े-बड़े इन्स्टीटयूशन्स खुले हुये हैं वहां भी टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। अभी २६ जनवरी को केन्द्रीय सरकार के रेलवे उपमन्त्री, श्री शाहनवाज हमारे यहां फिरोजाबाद में पधारे थे, उन्होंने ५० हजार की भीड़ के सामने बड़े गर्व के साथ में कहा था कि मुझे भारतीय टेक्नीशियन्स के ऊपर गर्व है, जिन्होंने भारत में ही रेलवे इंजिन बनाकर भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि चित्तरंजन का रेलवे वर्कशाप इस बात की गवाही दे रहा है कि यदि भारतीय नवयुवकों को टेक्निकल शिक्षा दी जाय तो कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय वे दे सकते हैं। आज वे एक रेलवे इंजिन रोज तैयार करते हैं। जो भारत सरकार भारत की आजादी के बाद विदेशों के सामने रेलवे इंजिनों के लिए भीख मांग रही थी, और भारतीय रेलों की व्यवस्था जो अस्त-व्यस्त हो गयी थी, उस के संचालन के लिए इंजिनों की जरूरत थी। कम से कम ८ या १० लाख रुपया खर्च करने के बाद किसी मुल्क से एक या दो इंजिन मिलते थे, लेकिन भारतीय टेक्नीशियन ने चित्तरंजन के कारखाने में, जो कुछ ही वर्षों से काम कर रहा है, रेलवे इंजिन को तैयार कर के दे दिया है। वह इंजिन ८ या १० लाख में नहीं बल्कि पौने दो लाख में ही पड़ता है। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। यह शाहनवाज के शब्द हैं जो उन्होंने ३० जनवरी को फीरोजाबाद में ५० हजार नागरिकों के बीच में कहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय टेक्नीशियन की इस बुद्धि की प्रखरता को देखकर भारतीय सरकार डीजेल से गाड़ियां चलाने का विचार कर रही है। डीजेल का इंजिन यदि इस्तेमाल किया जाय तो उस से बहुत सस्ती गाड़ियां चलती हैं किन्तु वह डीजेल का इंजिन २० लाख से कम नहीं मिलता है। शाहनवाज ने यह कहा था कि भारतीय टेक्नीशियन ने यह कहा है कि आप शुरू में हम को एक डीजेल इंजिन दे दीजिये, हम आप को ३ लाख रुपये की लागत से ही डीजेल इंजिन एक साल के अन्दर बना कर दे देंगे। तथा उसका उत्पादन भी प्रति दिन एक इंजिन ऐसा भारत-भूमि पर तैयार होने लगा है।

भारतीय नवयुवक टेक्नीशियन हवाई जहाज भी बनाने लगा है। जिन्होंने कृषि प्रदर्शिनी दिल्ली म जाकर देखी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि लखनऊ के पास ही कानपुर क बने हुये हवाई जहाजों का वहां पर प्रदर्शन हुआ था। मोटर और ट्रैक्टर का भी प्रदर्शन किया गया था जो भारतीय नवयुवक टेक्नीशियनों के हाथ के बने हुये थे। यह उस टेक्निकल शिक्षा का ही प्रभाव था कि हमारे नवयुवकों ने सीखकर इतनी जल्दी से यह सब काम करने शुरू कर दिये जिस से भारत सरकार के बहुत कारखानों का संचालन हो रहा है। परन्तु आप लोगों का साहस इतना गिर चुका है कि आप रुपये के लालच में भारतीय नवयुवकों को टेक्निकल शिक्षा देने से महरूम रखना चाहते हैं। लानत है आप की इस मनोवृत्ति को। जब कि आप जरा-जरा सी बात में करोड़ों रुपये व्यर्थ में बरबाद कर देते हैं तो चन्द लाख रुपये भारतीय नवयुवकों को टेक्निकल शिक्षा देने में खर्च करने के लिए इस तरह से कंजूसी दिखा रहे हैं। इस से बढ़कर और क्या गिरावट की बात हो सकती है? मैं लाल बहादुर सिंह जी को बतलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रदेश के कोने-कोने में अनेक जगहों पर डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स टेक्निकल शिक्षा के स्कूल चला रखे हैं। उन टेक्निकल इन्स्टीटचूट में लड़के सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। अगर उनमें से कुछ प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी निकलते हैं..

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)——मेरा वैधानिक प्रश्न है। वह यह है कि अभी माननीय सदस्य ने 'लानत' शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या यह शब्द संसदीय है या असंसदीय है?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने 'लानत' कंजूसी की मनोवृत्ति के लिए कहा है।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं यह कह रहा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के प्राइवेट लोग इस प्रदेश में नवयुवकों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए टेक्निकल इन्स्टीटचूट चला रहे हैं, एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में, जिन में से कुछ में दो वर्ष का कोर्स है जिस को पास कर के सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ में ३ वर्ष का कोर्स है, जिस को पास करके डिप्लोमा दिया जाता है। कहीं पर ४ वर्ष का कोर्स है तो उस को पास कर के भी उन को एक डिप्लोमा की उपाधि मिलेगी। जब कि सर्टिफिकेट की क्लास चल रही है, डिप्लोमा की क्लास चल रही है और इनमें से अच्छे विद्यार्थी निकल रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी प्रखर बुद्धि वाले निकल रहे हैं कि जो डिग्री क्लास की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं तो फिर क्यों न उन के लिए किसी बड़े टेक्निकल इन्स्टीटचूशन का प्रबन्ध किया जाय?

आप यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं, नवयुवकों के अन्दर वह जोश नहीं है जिस से वे बड़ी योग्यता प्राप्त कर सकें। ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे जो प्रखर बुद्धि वाले होंगे। ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आज टेक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। उनके लिए आज डिग्री क्लास खोलने की जरूरत है। इस प्रदेश को यह गौरव है कि यहां पर क रुड़की इन्जीनियरिंग युनिवर्सिटी है, किन्तु केवल रुड़की युनिवर्सिटी से ही काम नहीं चल सकता है। आज जगह-जगह टेक्नीकल शिक्षा की जरूरत है। इसी दृष्टि से लखनऊ में गवर्नमेंट एक टेक्निकल इन्स्टीटचूट चला रही है जहां पर तीन, चार साल का कोर्स चलता है। यह प्रस्ताव अपनी जगह पर विशेष महत्व रखता है। इस बात को देखते हुये कि गवर्नमेंट को विशेष असुविधा न हो यह मांग की गयी कि लखनऊ में ही उस डिग्री कोर्स को चालू कर दिया जाय। लेकिन लखनऊ का नाम लेने से, यह पता नहीं था कि हमारे कुछ साथी ऐसे भड़क जायेंगे कि जिस को सम्हालना मुश्किल पड़ेगा और वे उसे पसन्द नहीं करेंगे।

आप कहते हैं कि यह लड़कों को भड़काने के लिए एक स्टंट खेला जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि यह विरोधी पार्टियों का लखनऊ के विद्यार्थियों को भड़काने के लिए एक स्टंट ही है, लेकिन क्या आप सरकार की तरफ से यह बतला सकते हैं कि जब-जब कोई आन्दोलन चला है, हुकूमत ने क्या उसका विरोध नहीं किया, उस को कुचलने की कोशिश नहीं की, उस को लाठी ही नहीं, गोली तक से कुचला नहीं गया, लेकिन उस के बाद भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और बाद में उन मांगों को मंजूर करना पड़ा। आज भले ही अर्थाभाव के कारण आप इस मांग को न मानें, लेकिन एक या दो वर्ष बाद सरकार स्वतः ही इस बात के लिए विवश होगी और लखनऊ में ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी टेक्निकल डिग्री कोर्स के लिए स्कूल चालू करेगी। अगर लाल बहादुर जी को लखनऊ से कोई परहेज है तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे इस में कोई संशोधन लायें और लखनऊ के स्थान पर किसी अन्य शहर का नाम रख दें और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह लालबहादुर जी के या सर्वसम्मति से जो स्थान तय हो जाय, उसके प्रस्ताव को मान लें।

हमें लखनऊ से कोई मोह नहीं है। हम इस प्रदेश के नवयुवकों और योग्य बालकों को जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सुविधा दिलाना चाहते हैं और उन्हीं के लिए यह प्रस्ताव रख रहे हैं। मैं, अधिष्ठात्री महोदया, फिर कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर जी ने जो यह कहा कि टेक्नीशियन्स को काम देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि काम की कमी नहीं है। काम की कमी है, यह मैं नहीं मान सकता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विस्तार का लक्ष्य रखा गया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे बड़े-बड़े नेता और पंडित जवाहर लाल नेहरू भी कह रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर देश की गरीबी को हमें दूर करना है, इस की उन्नति करना है तो इसका एक ही इलाज है कि यहां औद्योगिक उन्नति की जाय। औद्योगिक उन्नति करने से ही हमारी समृद्धि, सुख और शान्ति बढ़ेगी। तो इस के लिए टेक्निकल एजूकेशन की जरूरत है।

शरीर तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि उस में प्राण है, बिना प्राण के वह निर्जीव हो जाता है। इसी प्रकार उद्योग का संचालन कुशल टेक्नीशियन्स द्वारा ही हो सकता है, इसलिए उन के निर्माण के लिए, उन की शिक्षा दीक्षा के लिए इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि हम जगह-जगह इस बात का प्रबन्ध करें कि योग्य नवयुवकों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। यह तभी हो सकता है कि जब जगह-जगह पर डिग्री कालेजेज खोले जायं।

इन शब्दों के साथ में आचार्य दीपंकर के प्रस्ताव का, जिसे श्री मदन पांडेय जी ने पेश किया है, समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टी या व्यक्ति को लखनऊ के नाम से परहेज हो तो वे अपने सुझाव रखें और श्री मदन पांडेय जी अपने प्रस्ताव में उस के लिए संशोधन करने को सहज ही सहमत हो जायंगे। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)——माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इस सदन में जो यह प्रस्ताव पेश हुआ है उस के भाषणों पर जो माननीय सदस्यों को उच्च स्तर कायम रखने का अवसर मिला है उस के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे खेद है कि हम इस सदन में बैठ कर किसी भी मसले को देश के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं करते।

जो कोई भी मामला इस सदन में पेश किया जाता है हमें उस पर व्यक्तियों की निगाह से दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हितों के दृष्टिकोण से ही उस पर अपनी सम्मति और अपनी राय या जो सुझाव हों वह देना चाहिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं इस भावना की कद्र करता हूं कि हमारे प्रदेश में आज टेक्निकल स्कूल्स अवश्य खुलने चाहिये और टेक्निकल नालिज का प्रसार हमारे प्रदेश में होना चाहिए। अगर हम अपने देश को इन्डस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं तो वह बिना टेक्निकल नालिज का प्रसार किये नहीं हो सकती। बिना इस के हम इस देश को इन्डस्ट्रियलाइज करने में समर्थ नहीं होंगे।

आप को पता होगा कि बार-बार अखबारों में जो खबरें छपती हैं उनमें पंडित जवाहर लाल जी ने अक्सर इन बातों पर जोर दिया है कि हमारे इस देश में टेक्निकल नालेज, टेक्नीशियन्स और टेक्नालाजिस्ट्स की बहुत कमी है और यही कारण है कि हमारे देश में उद्योगों की प्रगति संतोषजनक नहीं है और इस ओर हम असमर्थ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सदन में एक बार नहीं, कई बार जब कभी कोई प्रस्ताव नयी युनिवर्सिटी खुलने का आता है तो हमारे दोनों तरफ के माननीय सदस्य फौरन उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। परन्तु यह नहीं सोचा गया कि हमारी जितनी भी यह नयी युनिवर्सिटीज खुल रही हैं वे सब उसी पुराने पैटर्न की ही हैं और यही कारण है कि हमारे प्रदेश में अनइम्पलायमेंट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षा-दीक्षा दी जा रही है उस से हमारे अन्दर किसी निर्माण कार्य को करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। वह तो कागज और कलम की लिखायी पढ़ाई का काम ही सिखाती है। वह किसी इन्डस्ट्री की शिक्षा दीक्षा देने में असमर्थ है। यही कारण था कि मैंने कई बार इस सदन में यह दरख्वास्त की थी माननीय सदस्यों से कि जब कभी बहुत बड़े खर्चे की मद का मसला इस सदन में पेश हो तो प्रायरिटी हमें उन कामों को देनी चाहिए जिन कामों के कारण आज हमारे देश की प्रगति रुकी हुई है और उन चीजों को न होने के कारण हमारी प्रगति के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

श्री देव नारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)——अधिष्ठात्री महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय ट्रेजरी बेंचेज पर कोई मन्त्री या उप-मन्त्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता——पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी बैठे हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---उधर भी कोई नेता या उप-नेता नहीं हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत---तो मैं यह कह रहा था कि हमें प्रायरिटी उन कामों को देनी चाहिये जिनकी हमको देश की प्रगति के लिये आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होगी।

अब यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि लखनऊ ही इसके लिये क्यों उपयुक्त जगह छांटी गयी? उसका कारण यह है कि सरकार लाखों रुपया टेक्निकल इंस्टीट्यूट्शंस पर खर्च करती है। वहां पर हर तरह की सुविधा पहुंचाने की बात होती है, इस इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की बात है, और भी तमाम बातें हैं, तो जब वह यहां पर होगा तो किसी भी माननीय सदस्य को उसके खिलाफ आवाज उठाने का मौका नहीं हो पायेगा।

जहां तक इसके फाइनेन्शल आस्पेक्ट का सवाल है, वह तो बाद को देखा जाता है। सरकारें फैसला लेती हैं, प्रस्ताव पास हो जाते हैं, कैबिनेट के फैसले हो जाते हैं परन्तु अगर फाइनेंन्स डिपार्टमेन्ट उसके लिये रुपया नहीं देता है तो वह काम चल नहीं सकता। तो यह तो बाद की बात है। जब काम को एक्जीक्यूट करने की बात आवेगी तब सरकार देखेगी और फायनेंस डिपार्टमेंट के जरिये उस वक्त उसके फायनेंशल आसपेक्ट को एक्जामिन किया जायगा, परन्तु आज तो प्रिलीमिनरी स्टेज पर ही यह समस्या उपस्थित है।

मैं समझता हूं कि अगर हम बुद्धि से काम लें और उत्तर प्रदेश की जनता के दृष्टिकोण से और देश के मसलों को हल करने के लिये विचार करें तो कोई गुंजाइश इस बात की नहीं रह जाती कि हम उन कामों के खिलाफ उज्रदारी करें जिनके न होने के ही कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अतएव मैं निहायत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे देश में टेक्निकल कालेजों और विशेषकर हायर टेक्निकल कालेजों की बहुत बड़ी कमी है और उसके कारण हमारे देश में गरीबी है। इतना रुपया पैसा खर्च करने के बावजूद हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

आप को मालूम है कि फारेन कंट्रीज में जब वह हमको फायनेंशल एड देते हैं या कोई लोन हमको देते हैं तो उसके साथ-साथ वह अपने एक्सपर्ट्स को भी उन कामों की देखभाल करने के लिये नियुक्त करते हैं और उस रुपया का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी तनख्वाहों और उनके एलाउंसेज पर हम लोगों को फारेन एक्सपर्ट्स को देना पड़ता है। अगर वह एक्सपर्ट्स हमारे यहां मौजूद होते तो मैं समझता हूं कि हमारे देश वासियों को नौकरियां मिलतीं, उनको वहां पर काम करने का मौका मिलता और उनको अपने देश की सेवा का अवसर प्राप्त होता। परन्तु न तो हमारे पास टेक्नीशियन्स हैं, न एक्सपर्ट्स हैं, न स्पेशलाइज्ड स्टाफ हैं। इन कमियों के कारण हमें गैरों की अंजलियों का मुहताज बन कर रहना पड़ता है, जो हमारे देश के लिये खतरे की घन्टी है। अगर हम गैरों का मुंह ताकते रहें, अपने मुल्क के एडवांसमेंट के लिये, अपने यहां की शिक्षा व दीक्षा के विस्तार के लिये गैरों पर मुनहसिर रहे तो हम कितने दिनों तक जीवित रह सकेंगे उस शान और अभिमान के साथ जिससे एक राष्ट्र सर ऊंचा उठा कर रह सकता है? अगर हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे तो हम अपने राष्ट्र के हित की बात नहीं करेंगे। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि रुपये पैसे की बाद बहुत बात की बात है। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद अगर गवर्नमेंट इसको एक्जीक्यूट करने की भी सोचे तब भी धन तो बिना फायनेंस डिपार्टमेंट की राय के मिल नहीं सकता। इसलिये अगर डेवलपमेन्ट हम करना चाहते हैं देश का, प्रदेश का तो हमें इस प्रस्ताव को पास करना चाहिये। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---सदरे मुहतरिमा, मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार को इस प्रस्ताव को मान लेने में क्या दिक्कत पेश आयी? इसमें कौन सी बात ऐसी आई है जिससे हमारी सरकार चौंक रही है? बहरहाल, तालीम की चर्चा हर तरफ अरसे से हो रही है और रोजाना कहा जा रहा है कि साहब तालीम की तरक्की कीजिये।

यहां तक कि जो नाबीना हैं, अन्धे हैं, उनको भी पढ़ाया जाय, बूढ़े लोगों को भी पढ़ाया जाय और जीस्त में ही नहीं, मरने के बाद भी तालीम दी जाय। तो इस टेक्निकल एजूकेशन में क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से सरकार पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देती? इसमें तो बड़ी इन्नोसेन्ट सी बात है कि आप वह तालीम लोगों को दें कि जिसकी मुल्क को जरूरत है, जिस पर मुल्क की तरक्की का सवाल मुनहसिर है और वह इन्डस्ट्री में भी हेल्प करे।

जैसा कि अभी कहा गया कि अगर आप दरहकीकत इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं कन्ट्री का तो उसके लिये टेक्निकल एजूकेशनवालों की जरूरत होगी और वह ऐसी जगह खोलने की तजवीज की जा रही है जहां पर सरकार की हर वक्त निगरानी रहे, सरकार का मश्विरा मिले और सरकार के एक्सपर्ट्स मौजूद रहें। वहां पर आसानी से तालीम हो सकती है। तो ऐसी शक्ल में सिर्फ यही खयाल हो सकता कि चूंकि यह तजवीज इस जानिब से की गई है इसलिये यह आप के मानने के काबिल नहीं है। यह डर इस मौके पर जब कि हाउस इतना थिन है, अखबारों के नुमाइन्दे भी ज्यादा तवज्जह नहीं दे रहे हैं, नहीं होना चाहिये, क्यों कि यह पता भी नहीं चल सकता है कि यह तजवीज इधर की थी या उधर की थी। ऐसे वक्त में तो सरकार के लिये आसानी होनी चाहिये इसको तसलीम करने में। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इसको तसलीम करले जिससे इस सूबे का ही नहीं बल्कि उनका भी नाम हो।

हम यह नहीं कहते कि इस सेहरे को अपने सर पर बांधें, हमारे सर पर बांधने का जब मौका आयेगा तब वह बंध ही जायगा और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बदकलामी भी नहीं की गई, कोई बुरी बात भी नहीं कही गई, कोई स्लोगन्स इसमें ऐसे नहीं हैं, कोई ब्लैक फ्लैग्ज भी नहीं हैं और जब ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप लोगों को टेक्निकल एजूकेशन फराखदिली से दीजिये और ऊंचे दरजे की टेक्निकल एजूकेशन दे दीजिये, और उसके लिये यहां मदरसा खोल दीजिये, चाहे डिग्री कालेज या इन्जीनियरिंग डिग्री कालेज कहें, मगर खोल दीजिये। हम अर्से से यहां बैठते हैं और आज इतने दिन बाद इसपर यहां इतनी चर्चा हुई, अगर हम हिसाब लागायें जैसा कि एक मर्तबा पार्लियामेंट में हिसाब लगाया गया था तो हमें मालूम होगा कि यहां पर फी मिनट इतना खर्चा हो जाता है। तो यह चार लाइनों की तजवीज हमें सिर्फ मिनट भर में पास कर देनी चाहिये थी, मगर इस तजवीज पर भी इतना टाइम लग गया। अगर हम इस टाइम का भत्ता, तन्ख्वाह और दूसरा खर्चा जोड़ें तो इतने में ही डिग्री कालेज खुल जाता। इतना ही मुझे अर्ज करना था।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, यह प्रस्ताव जो सदन में उस्थित हुआ है उसके शब्द बड़े सीधे सादे हैं और उसका भाव भी सीधा है। मेरे एक दोस्त ने अभी फपमाया कि यहां पर बहस मुबाहसे में जितना खर्च हुआ, उससे कालेज खुल जाता। इस तरह की बात अगर समझी जाय कि एक दिन के इस सदन के खर्चे से टेक्निकल डिग्री कालेज खुल सकते हैं तो हमारे प्रदेश में अब तक गांव-गांव में टेक्निकल डिग्री कालेज खुल गये होते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई इन्कार नहीं होता अगर यह मालूम होता कि हमारी योजना के अन्दर यह मांग ठीक बैठ सकेगी। अगर यहां पर प्रस्ताव पास करने से ही विद्यालय और डिग्री कालेज खुलने लगें तो वह अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि डिग्री कालेज, या इन्डस्ट्रियल कालेज या यूनवर्सिटी को चलाने के लिये अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। इस रकम को हम रोज यहां पर प्रस्ताव पास करके पैदा नहीं कर सकते। कानपुर में एक इन्डस्ट्रियल यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। मेरा अन्दाजा है कि इसी जुलाई में खुलेगी। वह एक स्टैन्डर्ड यूनीवर्सिटी होगी। जब वहां से स्नातक निकलेंगे तो और दूसरी जगह भी कालेज खोलने में आसानी होगी।

यह कहना कि चन्द लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया जाय और उसके पास करने से कालेज खुल जायगा, यह कोई बुद्धिमानी की आसान बात नहीं है। आज गाजियाबाद में चले जाइये या

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

लुधियाने और बटाला चले जाइये वहां पर बिना इस प्रकार के ग्रेजुएट के ही बहुत से कारखाने चल रहे हैं। उन लोगों को परवाह नहीं है, उनके पेट में, कपड़ों में कालिख लगे, एसिड गिरे, ग्रीस लगी हो लेकिन वह अपनी इन्डस्ट्री में जो जान से जुटे हुये हैं, यद्यपि किसी कालेज के डिग्री याफ्ता वे नहीं हैं। मुझे स्वयं ज्ञान है। बहुत से मिस्त्रियों का ज्ञान बहुत से इन्जीनियरों से बहुत अधिक है। कानपुर में एक मिस्त्री है जो केवल उर्दू में खतोकिताबत करना जानता है। वह एक शूगर फैक्टरी चलाता है, आयल मिल का संचालन करता है, तथा एक कोल्ड स्टोरेज चलाता है, उसको अच्छा खासा मशीनों का ज्ञान है। अगर हमारे नवयुकों को ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो छोटे-छोटे स्कूलों में ज्ञान प्राप्त करके फैक्टरियों में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कानपुर आदि जहां भी इन्डस्ट्रियल स्टेट हैं वहां वे प्रवेश पाकर अपने ज्ञान को बढ़ावें।

मैंने देखा कि लोग डिग्री लेकर भी नौकरी की तलाश करते हैं। अब अगर केवल नौकरी के खयाल से टेक्निकल कालेजेज खोले जायं तो देश का भला नहीं हो सकता। दूसरे अगर प्रदेश के पास उसके लिये रुपया नहीं होगा, अच्छे अध्यापकों की कमी है, तो ऐसे प्रस्ताव के पास करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा खयाल है कि अगर आर्थिक कठिनाई नहीं होती, तो सरकार अवश्य ही इस प्रस्ताव को मान लेती।

निकट भविष्य में भी अगर सरकार के पास पैसा हुआ और टेक्निकल अध्यापक मिल सके तो सरकार को टेक्निकल कालेज खोलने में कोई हिचक न होनी चाहिये और आज नहीं तो निकट भविष्य में इस प्रकार का डिग्री कालेज खोला जा सकता है। इस प्रस्ताव को इस समय पास करके गवर्नमेन्ट को मजबूर करें, यह एक दिखावे की बात होगी। मैं समझता हूं इस प्रकार के मामलों में गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मदन पांडेय जी ने जो आचार्य दीपंकर जी का प्रस्ताव पेश किया है, वह उसको वापस ले लेंगे और सरकार को अगले बजट में कालेज खोले जाने की संभावना पर विचार करने के लिये एक मौका देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, माननीय पांडेय जी के संकल्प में जो अवस्थी जी ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनके समेत उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीया, देखा जाय कि अभी तक जो बहस हुई उसमें थोड़ा सा भ्रम हुआ है। खासतौर से सरकारी पक्ष के लोगों ने जो दो तीन तर्क उपस्थित किये हैं उसमें भ्रम है। उसमें एक तर्क यह है कि अगर इस तरह विद्यार्थी निकलें भी तो--सम्भवतः माननीय सदस्य, वाराणसी, ने कहा उनको काम नहीं मिलेगा और एक बेकारी फैलेगी। एक माननीय सदस्य कानपुर ने कहा कि इस समय पैसा नहीं है, यानी आर्थिक समस्या सरकार के सामने है, इसलिये इस प्रश्न पर इस वक्त विचार नहीं करना चाहिये, वैसे उनकी सरकार की इच्छा जरूर है।

अब अगर इसको ध्यान से देखा जाय तो हमारे सामने सवाल इस बात का है कि चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, इस देश का निर्माण करने, सुचारु रूप से इसको विकसित करने और बनाने की सब के दिल में आकांक्षा है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उस आकांक्षा की पूर्ति कैसे की जाय। जो साधन सरकार ने उपस्थित किये हैं, जिन साधनों का प्रयोग सरकार करती है वे इतने अपर्याप्त हैं, मैं इसपर नहीं जाता कि सरकार की नीति में खराबी है या नहीं लेकिन सरकार अपनी जिन योजनाओं को कार्यन्वित करना चाहती है उनके कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त और योग्य टेक्निकल हैन्ड्स हैं या नहीं, इस बात का सवाल सब से पहले है। इस समय यह प्रश्न नहीं उठता है कि इसको कैसे पूरा किया जाय।

मैं यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे इसकी पूर्ति होगी, लेकिन पहला प्रश्न यह है कि किस प्रकार से उन सभी योजनाओं को पूर्ण किया जाय? अगर इस बात पर कुछ ध्यान दें

तो, माननीया, मैं आप के लिये ५, ७ उदाहरण सदन में प्रस्तुत कर दूंगा जिनको देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि सरकार के पास टेक्निकल हैन्ड्स हैं या नहीं या किस प्रकार से उसको नीति में कमी है। माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने जो संशोधन उस प्रस्ताव में किया था उसमें उन्होंने जोड़ दिया है कि किसी एक स्कूल में ही नहीं बल्कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें टेक्नालाजिकल इन्जीनियरिंग की पढ़ाई हो। उनको केवल लखनऊ के एक या दो स्कूलों से मोह नहीं है बल्कि उनको प्रान्त के सभी इंस्टीट्यूशन्स से मोह है।

श्री मोतीलाल अवस्थी जी का कहना यह है कि लखनऊ में अभी तक दो सिविल इन्जीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां पहले दो साल का कोर्स था और अब तीन साल का डिप्लोमा कोर्स कर दिया गया है, जहां से आमतौर पर ओवरसियर निकलते हैं, जो बहुत अच्छे किस्म के या बहुत योग्य नहीं होते जिनके लिये कहा जा सके कि वे कोई बहुत अच्छी योजना कार्यान्वित कर सकेंगे। तो सवाल इस बात का था कि हम मुल्क के अन्दर एक संख्या कायम करें, यानी क्वान्टिटी बढ़ायें या क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। मेरा तो सुझाव यह है कि क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों का समन्वय होना चाहिये, लेकिन फिर भी किसी सूरत से क्वालिटी को नहीं भूलना चाहिये।

आज इन्जीनियरिंग कालेज हैं वहां से घटिया किस्म के ज्ञाता निकलते हैं, अब उनको अच्छा कैसे किया जाय, यह सवाल सामने आता है। उनके अच्छा करने का एक ही तरीका है कि इन कालेजों की जो पढ़ाई है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो। यह तभी हो सकता है जब कि उसके लिये अध्यापक अच्छे हों, जो छात्रों को अच्छी शिक्षा के पात्र बना सकें, यह उच्च शिक्षा की स्थापना से हो सकेगा। इसके लिये माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है वह बहुत ही अच्छा है, इससे इस बात की पूर्ति हो जायगी। हमको केवल एक या दो स्कूल से मोह नहीं है, हमें तो अपने देश और प्रदेश की तरक्की करनी है और उसके लिये हमको अच्छे साधनों के उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी और उनको उचित मात्रा में उपयोग करने के लिये काफी अच्छी संख्या में योग्य आदमियों को रखना होगा। बाहर के देशों में भी हमें योग्य आदमियों को रखना पड़ेगा जो कि समय समय पर हमें सुझाव देते रहें और उच्च शिक्षा की पूर्ति करें।

अब आप देखें कि सरकार भले ही चाहती हो कि हमारे पास टेक्निकल हैन्ड्स हों लेकिन हमारे सामने मुसीबत यह है कि सरकार कभी किसी बात पर दृढ़ नहीं रही। अगर आप इस सदन की पिछड़ी कार्यवाहियों को उठा कर देखें तो पायेंगे कि दो दिन भी नहीं बीते होंगे जबकि सरकार ने अपनी बात का प्रतिवाद न किया हो। माननीय बहुगुणा जी मौजूद हैं, यथानाम तथा गुणः, वे इस बात में इतने चतुर हैं कि जब वे एक बात को कह देते हैं तो अगर कहीं बहस में फंस गये तो तर्क देकर फिर उसी बात को उल्टा कर कह देते हैं। और कह देते हैं कि दोनों बातें अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इस बात का विश्लेषण किया जाय कि जो टेक्निकल काम हैं उनको पूरा करने के लिये जो योजनायें चल रही हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या सरकार के पास पर्याप्त विशेषज्ञ हैं? अगर इसको देखा जाय तो हमारे सामने एक स्पष्ट नक्शा आ जाता है और इसके लिये अगर हम ४, ६ मिसालों को लें तो हमें मालूम होगा कि कहां कहां क्या कमजोरियां और खराबियां हैं।

माताटीला बांध के सम्बन्ध में आप को याद होगा कि एक करोड़ के गबन की बात हमने कही थी। वहां बांध टूटा और उसके बनाने में डिजाइन की खराबी थी और उसी सिलसिले में पिछले साल भी डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स के बह जाने से १० लाख का नुकसान हुआ। इस विषय में मैंने सदन में यह प्रश्न पिछली बार उठाया भी था और बताया था कि चीफ इन्जीनियर महोदय को कोई डिजाइन की अच्छी जानकारी नहीं थी और ऐसा डिजाइन बनाया गया कि जिसके कारण मई-जून में जो काम हुआ वह बरसात आते ही बह गया।

इसी तरह से शारदा सागर बांध पर भी टेक्निकल स्किल की इतनी कमी थी कि वहां भी सिविल इन्जीनियर की जगह मेकेनिकल इन्जीनियर रखे गये और उसका नतीजा यह हुआ कि

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

वहां का भी डिजाइन गलत हुआ, बांध आधा चौड़ा बंधा, वह पानी भरने पर रसने लगा और उसकी मरम्मत के लिये अस्थायी फिल्टर के डालने में ५ लाख रुपया दिया गया। इस तरह से एक करोड़ का वहां और सब मिला कर ५० लाख का यहां नुकसान हुआ।

अभी एक तुमड़िया बांध नैनीताल में बंध रहा है, किस नदी पर बंध रहा है वह तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं अभी से उनको कहे देता हूं कि वह बांध जिसमें दस मील का पानी आता है वह बांध कभी नहीं भरेगा और उससे सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त न होगा और उसमें लाखों रुपया इस तरह से बरबाद हो जायगा। अगर देखा जाय तो जब भी प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों हुआ तो हमें या यही जवाब मिलता है कि अभी हमारे पास टेक्निकल आदमियों की कमी है और इसलिये जांच करने में देर है। यह तो मैं ने एक दो मिसालें दीं, लेकिन इंजीनियरिंग से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं, चाहे वह सिविल, टेक्निकल या कृषि किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग से सम्बन्धित हों या कोई दूसरे टेक्निकल विभाग हों, उन सब में आज योग्य आदमियों की कमी है। अतः यह बात सिद्ध होती है कि इस कमी को पूरा करने के लिये आज अच्छी संस्थाओं की आवश्यकता है।

यह बात इससे भी प्रमाणित होती है कि जब भी इस तरह की शिकायतें की गई हैं तो बराबर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जांच हो रही है। अब २ साल हमारी जिन्दगी के इस विधान सभा में रह गये हैं, लेकिन २ साल भी हमें सरकार की तरफ से उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार का काम केवल कहना ही है कि कितने आदमी रख कर उनसे काम लिया गया और बाद में कहेंगे कि हमारे पास आदमी नहीं हैं, और संस्थायें खोलने के लिये फंड भी नहीं है कैसे संस्थायें खोली जायं ?

फंड्स की जहां तक बात है, दो, तीन करोड़ का गबन तो मैं ही बता चुका हूं। एक्सपर्ट हैंडस की कमी वह स्वयं स्वीकार करते हैं, वह कहते हैं कि अच्छे आदमी नहीं हैं और जो हैं भी वह समझते हैं कि हमारी गलती कौन समझ सकता है ? पी० डब्लू० डी० को 'प्लन्डर विद-आउट डेन्जर" विभाग कहा ही जाता है, क्योंकि हमारे यहां नान-टेक्निकल लोग हैं और इन्जीनियरों की कमी है और कोई उनके गलत या सही काम की जांच करने वाला नहीं है। व्यक्तिगत रूप से यह ठीक है कि बहुत से लोग इन्जीनियरिंग सीख कर आये होंगे, वह भी अपनी राय नेशनल स्पिरिट में स्टेट सरकार के सामने रख सकते हैं और लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसा कोई ही इंजीनियर होगा कि जो देश प्रेम से प्रभावित होकर हमें सुझाव न दे सके।

जब भी बात होती है तो कह दिया जाता है कि पैसा नहीं है, धनाभाव है। आज तक सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया, सरकार को पता नहीं कि हमारा कितना पानी बेकार बह जाता है, कोई स्कीम उसने कायम की ? किन नदियों में कहां-कहां कितना पानी बहता है, आज तक इस सरकार के पास इसका कोई सर्वे नहीं है। इंजीनियरों की कमी है, नहीं हो सकता।

बिजली के बारे में हमने कहा कि कहां-कहां बांध बन सकते हैं इसका सर्वे करा लिया जाय। उत्तर दिया गया कि इंजीनियर्स नहीं हैं, किससे सर्वे करवाएं। दूसरे सदन में विधान परिषद् में कहा गया कि जितनी स्कीमें सिंचाई विभाग की चल रही हैं या बिजली वगैरह की चल रही हैं उनका किसी का इस सरकार ने कोई सर्वे नहीं करवाया, जितना सर्वे है वह सब अंग्रेज इंजीनियरों का है, हम सिर्फ एक्जीक्यूट कर रहे हैं। और एक्जीक्यूशन का हाल यह है कि माता-टीला का खर्च २ करोड़ से १२ करोड़ तक पहुंच गया और ६ करोड़ और मिलाकर तब बिजली मिलेगी। तो यह मानकर चलें कि इंजीनियर्स नहीं हैं, तब सरकार के पास क्या औचित्य है, और क्यों नहीं टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट्स खोलती ? जो करोड़ों रुपया इस तरह से बरबाद होता है उसको इंजीनियर्स के कालिज खोलने में लगावें और ऊंचे दर्जे की शिक्षा दें।

माननीया, इतनी इतनी बड़ी खराबी हो रही हैं कि आने वाली पीढ़ी कोसेगी। दारुलशफा की बात ही देख लीजिये। अभी हमारे पास दरख्वास्त आई थी सिंचाई विभाग के बारे में कि इतना ज्यादा प्रेशर है इंजीनियर्स पर कि ठीक से काम नहीं कर पाते। मातातीला के संबंध में एक इंजीनियर साहब मिले और कहा कि ५ लाख रुपये साल से ज्यादा एक इंजीनियर को काम नहीं देना चाहिये, लेकिन मातातीला में डेढ़ करोड़ का दे दिया, कभी कहीं गड़बड़ हो जाय तो कहां तक देखें।

एक तरफ तो उन गलतियों का औचित्य दिखाने के लिये कहा जाता है कि इंजीनियर्स बहुत कम हैं और काम बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ जब विद्यालय खोलने की बात आती है तब कहा जाता है कि हमारे पास धन नहीं है। तो धन बरबाद तो हो जाय, किसान और मजदूर की आशालता पर कुठाराघात तो हो, लेकिन सरकार के पास पैसे का अभाव रहेगा। (लालबत्ती जलने पर) वैसे तो समय का बंधन नहीं होना चाहिये, लेकिन पांच-सात मिनट और दे दें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता--सभी लोग इस पर बोलना चाहेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं चाहता हूं कि सरकार के सामने सब बातें आ जायं, इसलिये ५ मिनट की आपसे आशा करके बोल रहा हूं।

अब हमारे सामने सवाल यह है कि दो-तीन करोड़ रुपया जो गबन हो गया क्या उससे टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूटस नहीं खुल सकते थे? इस दिशा में कानपुर में कहीं खोलने का विचार कर रहे हैं तो विचार ही ६ साल तक चलेगा। देश की उन्नति में एक दो साल का भी कितना महत्व है इसका ध्यान रखना चाहिए। चीन है, कितनी जल्दी तरक्की करके हमला करने की भी सोच लेता है और हम बचा भी नहीं पाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया है कि क्यों नहीं चीनियों को भगाया जा रहा है? परन्तु करें क्या? योग्य विशेषज्ञों की कमी है। इसकी वजह से भी मुल्क तबाही की तरफ चला जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह तर्क बिलकुल तर्कहीन, निराधार, असार और असंगत है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिये वह टेक्नोलाजिकल कालेज नहीं खोल रही है। पैसा बहुत हो सकता है। डेढ़ करोड़ रुपये का मेडिकल कालेज कानपुर में खोलने के लिये पैसा है और फिर उसमें ८०० रुपये प्रति पर्दे के २०० पर्दे लगे हुए हैं इतना बड़ा वेस्टेज हो रहा है, इसके लिये पैसा है, लेकिन बांध न टूटें, फ्लड स्कीम्स चल सकें, हर जगह तरक्की के साधन उपलब्ध हों, बिजली हर जगह पहुंच सके इसके लिये सरकार हठ करे कि रुपया उसके पास नहीं है कि वह टेक्नोलाजिकल कालेज खोल सके यह कुछ उचित नहीं मालूम होता। कहा जाता है कि टेक्निकल हैंड्स बेकार हो जायेंगे। सरकार को ज्ञात होना चाहिये कि जितने इंजीनियर होते है बाहरी मुल्कों में सब गवर्नमेन्ट सर्विसेज में नहीं होते, वहां ज्यादा इंजीनियर्स वे पाये जायंगे जो सरकार में न रह कर बाहर अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि की प्रखरता दिखाते हैं और नये-नये अविष्कार करके देश के लोगों का हित करते हैं। बड़े उद्योगों के लिये बड़ी-बड़ी मशीनें अमेरिका या रूस से ही आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में चर्खे को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है। या तो हम बीसवीं शताब्दी की बात करते हैं, या फिर ढाई हजार वर्ष पीछे के युग की बात करने लगते हैं। मंत्री महोदय बतलायें कि हमारे देश में ऐसे कौन से इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने कुटीर उद्योगों को लाभप्रद बनाने का प्रयत्न किया होता और ऐसी मशीनों का निर्माण किया होता कि १००, २०० रुपये की मशीनें मिलतीं। लेकिन सरकार द्वारा कहा जाता है कि ऐसी संस्थायें वह नहीं खोलेगी, जिनसे ऐसे इंजीनियर्र निकल सकें जो हमको ऐसी मशीनें दे सकें और हमारी जो समस्यायें हैं उनको वे पूरा करवा सकें। आज जो इंजीनियर्स हैं वे यह काम करने में असमर्थ हैं।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

इंग्लैंड में यूरेनियम की कमी थी। वहां के इंजीनियर्स का दिमाग इस बात पर लगा कि समुद्र के पानी में अणु को तोड़ कर किस प्रकार हाइड्रोजन पैदा किया जा सकता है जिससे यूरेनियम निकल सके। वहां के इंजीनियर्स जो साधन उपलब्ध हैं उनका पूरा प्रयोग करके यह सोच रहे हैं कि किस तरह से देश की तरक्की हो सके, लेकिन हमारे देश के इंजीनियर्स कुटीर उद्योगों तक को नहीं पनपा पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन के साथ सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और अपनी हठवादिता को छोड़ेगी।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, जब शुरू-शुरू में मैंने इस प्रस्ताव पर बहस सुनी तो ऐसा लगता था कि वाकई यह प्रस्ताव निर्दोष ही है, लेकिन माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने और रामस्वरूप जी ने जो कुछ इस प्रस्ताव के हक में कहा है उससे तो ऐसा पता चलता है कि यह निर्दोष नहीं है, शायद इसकी तह में कुछ अपोजीशन की तरफ से साजिश है। चाहे मौका हो या न हो, गवर्नमेन्ट के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर कहना चाहिये। जिस सज्जन ने इस प्रस्ताव को रखा है उन्होंने खुद कहा है कि गवर्नमेन्ट टेक्निकल एजूकेशन पर खर्च कर रही है।

श्री देवनारायण भारतीय---व्यवस्था का मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि अपोजीशन की तरफ से साजिश है। तो यह "साजिश" शब्द का इस्तेमाल करना क्या पार्लियामेंटेरियन है ?

श्री तेजा सिंह---"साजिश" से मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई उन्होंने बुरा काम किया हो। मतलब यह है कि उन्होंने कुछ सलाह कर ली है, वर्ना जो कुछ मातटीला में या अन्य जगहों पर करप्शन हुआ उससे टेक्निकल स्कूल्स खोलने से कोई सम्बन्ध नजर नहीं आता।

एक कहावत है कि जो औरत किसी बच्चे को उसकी मां से ज्यादा प्यार दिखलाये तो शक होता है कि जरूर कुछ दाल में काला है। मातटीला के बारे में माननीय रामस्वरूप जी ने जो पहले कहा और कई दफा कहा उसको टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ना, मैं समझता हूं, कुछ बहुत ठीक नहीं था। गवर्नमेंट टेक्निकल एजूकेशन पर खर्च कर रही है और जैसा पाण्डेय जी ने कहा कानपुर, आगरा, इलाहाबाद जैसी जगहों पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं जहां डिग्री की तालीम दी जायगी। फिर गवर्नमेंट को क्यों इतना कोसा जाय कि वह इस इंस्टीट्यूट को डिग्री कालेज नहीं बनाती ? गवर्नमेंट को इसे डिग्री कालेज बनाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। कोई नये सिरे से तो उन्हें खोलना नहीं है। यहां एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट चल रहा है। जैसा मुझे बताया गया है, जो पढ़ाई आज कल वहां हो रही है, जो टीचर्स वहां हैं, जो आपरेटर्स उस इंस्टीट्यूट में हैं वे इतने काफी हैं कि उसे डिग्री कालेज बनाया जा सकता है।

इस वक्त उस स्कूल का तीन साल का कोर्स है और दो साल ऐपरेन्टिस की हैसियत से काम करना पड़ता है। तो पांच साल तो बच्चों को लगाना ही पड़ता है। डिग्री कालेज में चार साल का कोर्स है और एक साल एज ऐपरेन्टिस काम करना पड़ता है। सिर्फ फर्क यह है कि यहां मैट्रिक की क्वालीफिकेशन रखी गयी है और डिग्री कालेज में इंटरमीडियेट की क्वालीफिकेशन होती है। लेकिन मुझे पता चला है कि यहां मैट्रिक की क्वालीफिकेशन होते हुये भी कई लड़के बी० एस० सी० और एफ० एस० सी० हैं और वे वहीं तालीम हासिल कर रहे हैं जो लड़की वगैरह में दी जाती है। तो इसको डिग्री कालेज बनाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

मैंने सुना है कि यहां आपरेटर्स इतने काफी हैं कि डिग्री क्लासेज बखूबी चलायी जा सकती हैं। तो फिर यह सब होते हुये अगर एक साल का कोर्स इसमें और शामिल कर लिया जाय तो गवर्नमेंट को क्या एतराज है ? हां, यह जरूर है कि इस स्कूल के बच्चों ने कुछ हड़ताल वगैरह

की जिसकी वजह से यह सोचा जा सकता है कि अगर इनकी बात मान ली गयी तो दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि उपद्रव करके बात मनवाई जा सकती है । यह ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सोचना पड़ता है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, वे जरूर गलतियां करते हैं। इसलिये उनका खयाल न करके जब यहां स्कूल मौजूद हैं, टीचर्स हैं, आपरेटर्स हैं, बिल्डिंग है तो मेरी राय में इस बात को मान लेना चाहिये। इसमें न कोई ज्यादा खर्च पड़ेगा और न कोई और ही दिक्कत होगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं धन्यबाद देता हूं माननीय मदन पांन्डेय जी को और माननीय अवस्थी जी को जिन्होंने इस एक आवश्यक प्रश्न की तरफ सदन का और आपका ध्यान दिलाया। मैं समझता हूं कि जो कमी प्रस्ताव में थी उसको दूर करने का प्रयास अवस्थी जी ने किया। माननीय लालबहादुर जी की बात मैं सुन रहा था मगर माननीय बहुगुणा जी की बात सुनने का मौका मुझे अभी नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुगुणा जो इस मामले में उदारतापूर्वक जितना गुरुतर भार उनके कंधों पर पड़ा है उसकी ध्यान जरूर रखेंगे। देश में जितने ही विशेष प्रकार के हुनरमन्द लोग बन सकें वह देश के हित की बात है।

मैं ऐसा जरूर समझता हूं कि कोई आवश्यक नहीं है कि अक्षर ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही बेकार रहें। कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि बी० ए०, एम० ए० पास करके अगर लोग बेकार रहें तो वह सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है। और अगर विशेष प्रकार का हुनर सीख ले जिससे वह लोहे, लकड़ी और मिट्टी वगैरह का काम कर सके और वह एक प्रकार का हुनर जान जाय जिससे जो जीवन के साधन मुहैय्या हैं उनसे वह कुछ हासिल कर सके, ऐसी विद्या लोग पढ़ें और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाने से देश के लिये खतरे की बात हो जायगी, मैं कतई इस बात को ठीक नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि बी० ए०, एम० ए० बेकार हों। और टेक्नीकल लोग भी बेकार हों तो उनकी हालत बी० ए०, एम० ए० वालों से बुरी नहीं होगी। जो केवल अक्षर ज्ञान वाले लोग होते हैं उनके लिये काम दिलाना दुश्वार होता है।

माननीया, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये कोई महिला है, उसको टेक्नीकल ज्ञान करा दिया जाय जिससे वह केवल पढ़ाने की बात न सोचे, बल्कि अपने हाथ से काम करके वह अपनी रोजी पैदा कर सके तो वह एक परिवार के लिये मूल्यवान सदस्य हो सकती है। इसी तरह से मैं किसी के लिये समझता हूं कि कोई आदमी मोटर या साइकिल का पुर्जा बनाना जानता हो या मिट्टी का ही बर्तन बनाना जानता हो और यह सभी जानते हैं कि टेक्नीकल आदमी वर्तमान बर्तन को ज्यादा सुन्दर और उपयोगी बना सकता है तो वह लोग किसी न किसी प्रकार अपनी रोजी कमा सकते हैं और बेकार नहीं रह सकते हैं। इसलिये डिग्री कोर्स करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं मालूम होती है। वैसे अच्छा काम करने में सदैव कठिनाई होती है और रुपये की कमी की बात सदन सुनना नहीं चाहता है।

आज सौभाग्य से हमारे उद्योग मंत्री जी प्लानिंग के मंत्री भी हैं। अगर आप नियोजन के संबंध में पता लगायें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना खर्च करना चाहिये था और कितना बाकी है तो मालूम होगा कि धन का अम्बार पड़ा हुआ है और खर्च करने में नहीं आता है। जनरल ऐण्ड मिनिस्ट्रेशन पर तो सारे का सारा खर्च कर देते हैं और टी० ए०, डी० ए० में ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। हां यह बात जरूर है कि मुल्क के रचनात्मक कार्यों के लिये जिनसे लोगों को रोजगार मिल सकता है उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं हो पाता है। इसका हमें उत्तर यह मिलता है कि टेक्नीकल परसोनेल की कमी है जिसकी वजह से यह रुपया खर्च नहीं हो पाता है। आज इस कमी को दूर करने के लिये ही यह प्रस्ताव है। बहुगुणा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

जी ने देवरिया का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हम बड़ी उदारतापूर्वक लोगों को कर्जा देना चाहते हैं जिससे लोग अपना काम धंधा चला सकें। लेकिन लेगा कौन ? वही ले सकता है जिसमें थोड़ी अक्ल हो या कुछ हुनर हो। अगर किसी के पास हुनर नहीं है तो वह कर्जा लेकर क्या करेगा ? इसका बंदोबस्त सरकार को करना होगा। इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और मेरे कान में भी यह बात पड़ी है। वहां भी यह मांग की गई है—और मेरा खयाल यह है कि वह बहुत किनारे पर है—कि गोरखपुर में जो टेक्निकल स्कूल है उसको डिग्री कोर्स का इंस्टीट्यूशन मान लिया जाय। उसको वह हैसियत मिल जाय जो रुड़की और दूसरी जगह की है। मैं समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी इस पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे। बहुत पिछड़ी हुई जगह है। मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि टेक्निकल लोगों की कमी है। अगर टेक्निकल लोग बढ़ते हैं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, टेक्निकल आदमी जब बेकार रहेगा तो कुछ न कुछ करेगा। वह सोचेगा और मुल्क की तरक्की का कारण बनेगा। अगर बिना टेक्निकल ज्ञान का आदमी बेकार रहता है तो सिवा भूखों मरने के और क्या तरीका है ?

आज ही जब पूछा गया कि गुड़ और खंड सारी के बारे में आपकी जानकारी क्या है तो माननीय बहुगुणा जी ने चातुर्य के साथ यह कहा कि हमारे पास ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसमें भी टेक्नीक है। यह टेक्नीक माननीय बहुगुणा जी ने सीख ली है कि जो मौजूद हो उसको कह दें कि नहीं है। माननीय लालबहादुर जी ने कहा कि रुपया नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि रुपया है। मैं समझता हूं कि माननीय जगदीश शरण जी को इस प्रस्ताव पर जरूर बोलना चाहिए क्योंकि वह ऐसी बात कहते हैं जिससे हजारों आदमियों का कल्याण होता है।

विशेष में न कह कर इतना कहना चाहता हूं कि हमारे गोरखपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ध्यान में रख कर माननीय बहुगुणा जी ऐसी बात कहेंगे जिस पर हम लोग उनको धन्यवाद दें और उसी के साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय अवस्थी जी के संशोधन को मदन पांडेय जी को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जिस प्रकार से मदन पांडेय जी संशोधन को कबूल कर रहे हैं उसी प्रकार इस प्रस्ताव को जो बड़ा उपयोगी है माननीय बहुगुणा जी स्वीकार करने की कृपा करेंगे जिससे हमारे प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में टेक्निकल लोगों की कमी है, वह कमी दूर की जा सके ।

*श्री जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं जो आज मुझे इस विषय पर आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

इस चीज पर चर्चा की जा रही है कि टेक्निकल कालेज खुलना चाहिए। यह बात सही है, इसमें दो राएं नहीं हो सकतीं कि खुलना चाहिए। लेकिन वह कहां खुलना चाहिए इसके लिए जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं वह ज्यादा अच्छा विचार कर सकते हैं। उन लोगों को विशेष जानकारी होती है कि कहां पर टेक्निकल कालेज खुलना चाहिए, कौन कौन चीज की जरूरत पड़ेगी और कहां वह चीज आसानी से मिलेगी, या वह क्षेत्र ऐसे हों जहां पर ऐसे विद्यार्थी मिल सकते हों, इसको वह अच्छा समझेंगे। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जिले में हों या जहां ऐसे कालेज हैं, उनसे मिलते जुलते, जैसे और एजूकेशन के कालेज हैं चाहते हैं कि वहां हो जाय तो अच्छा है। ऐसे मैं भी कह सकता हूं कि इलाहाबाद में अभी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। वह छोटा सा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमें सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर इलाहाबाद में खोलने का विचार किया है जहां तक मुझे मालूम है। पता नहीं क्यों प्रदेश की सरकार उधर इलाहाबाद में जो खोलने पर विचार किया गया है उस तरफ से उदासीन है, उधर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि जो विशेषज्ञ लोग उसके लिए वहां पर सुझाव देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है उसको वहां चालू करना चाहिए।

कभी कभी हमारे प्रदेश की सरकार यह कहती है कि भाई बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह हमको अनुमति नहीं देती। लेकिन यहां मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दी है या वहां के विशेषज्ञ लोगों ने जो सलाह दी है वहां खोलने के लिए हमारे प्रदेश की सरकार उस तरफ से मुंह मोड़े हुए है और उस पर कभी विचार नहीं करती कि उसे किया जाय। मैं अपने प्रदेश की सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह उस पर अपना विचार व्यक्त करे और सरकार शीघ्रातिशीघ्र वहां टेक्नालाजी की व्यवस्था करे तो बहुत अच्छा काम होगा। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है, वहां विद्यार्थियों की कमी नहीं है। सभी लोग जानते हैं। ऐसे तो इलाहाबाद, पता नहीं क्यों वहां का दुर्भाग्य है, पहले वह राजधानी थी और अब भी है लेकिन किसी कारण से वहां से काम यहां लखनऊ में आया और फिर धीरे धीरे वहां से आफिस भी उठते चले आये और फिर जो वहां के रहने वाले हैं उनके लिए काम की बहुत कमी हुई। उसमें पढ़े लिखे बहुत बेकार हुए।

वहां जो हाई कोर्ट है उसको भी उठाने की बात चल रही थी। सरकार ने उसे तो नहीं उठाया, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन उसकी एक शाखा यहां लखनऊ में खोल दी है। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि सरकार इलाहाबाद की तरफ जो इतनी लापरवाही कर रही है वह नहीं होनी चाहिए। राजनैतिक दृष्टिकोण से या किसी कारण से इलाहाबाद की जो राजधानी थी वह लखनऊ चली आयी। फिर भी यदि ऐसा हुआ तो मुझे इसमें कोई विरोध नहीं करना है। लेकिन उस दृष्टिकोण को रखते हुए, उस महत्व को देखते हुए कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, उसका महत्व घटने न पाये। मैं यह नहीं चाहता कि लखनऊ का महत्व घट जाय, इसका भी महत्व बढ़े लेकिन उसके साथ साथ एक आदमी का अगर फायदा हो तो दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर लखनऊ का फायदा होता है तो इलाहाबाद की घटती नहीं होनी चाहिए, उसकी भी उन्नति होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस पर विचार किया जाय कि टेक्निकल कालेज इलाहाबाद में खोलने की कृपा की जाय।

*श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस प्रस्ताव पर तो बोलने का विचार बहुत से लोगों का नहीं था लेकिन माननीय लालबहादुर जी और एकाध और हमारे मित्र उधर से जो बोले उनको मैं धन्यवाद दूं कि उन्होंने कुछ बोलने को मजबूर किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अंडर प्रोवोकेशन बोल रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—प्रेरणा कहिए उसको। इतना बुरा क्यों बनाते हैं ? इलाहाबाद के साथ जो इतना बड़ा अत्याचार आपने किया वह तो जवाहरलाल जी के मुंह से आपने सुन लिया। जवाहरलाल जी को दुख हुआ कि इलाहाबाद के साथ सौतिया व्यवहार किया जाता है और यह बात बहुत दिनों से चल रही है। हालांकि उसका आज के डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जब बात आ गई तो हमें जवाब देना ही चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से जवाहरलाल जी का प्रभुत्व हुआ है तभी से यह गिरावट वहां की हालत में हुई है। तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि वह क्यों गिरता जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[गोविन्दसिंह बिष्ट]

इस प्रस्ताव पर एक बात कही गई कि सरकार के एक्सपर्ट जहां पर ठीक समझेंगे वहां पर यूनिवर्सिटी खोल दी जायगी। इस प्रस्ताव में यह कहीं पर नहीं कहा गया है कि किसी एक जगह पर इसको खोला जाय या उसके लिये कोई दूसरी जगह तलाश की जा रही हो। चाहे आप मदन पांडेय जी के प्रस्ताव को लें या मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन को लें इसमें सिर्फ इतना है कि लखनऊ का जो टेक्निकल कालेज है उसको उच्च कर दिया जाय। माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि इस प्रस्ताव के अन्दर केवल यह कहा गया है कि उसकी आवश्यकता अब बहुत महसूस की जा रही है और वह शिक्षा अब बढ़ने की आवश्यकता है तो वह डिग्री कोर्स खोलना चाहते हैं। मैं अपने मित्र से यह निवेदन करूंगा कि वह तो सोचने की बात है और इस आदरणीय सदन के स्वीकार करने की बात है कि किस तरह से कहां पर उसको स्थापित किया जाय, किन्तु जो आज पढ़े लिखे बाहर आ रहे हैं उनसे इस वैज्ञानिक ज्ञान की पूर्ति नहीं होती है। पंडित जवाहरलाल जी ने भी इस बात को कहा है कि हमारे यहां टेक्निकल परसोनेल की बहुत कमी है। वही बात हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं किन्तु हमारी सरकार उस को भूल गई है। शायद वह और दूसरे कामों को ज्यादा महत्व का समझती है। माननीय मदन पांडेय जी ने तो एक बात कही है और एक मांग की है कि आप उसको कर दें। अगर यहां पर सरकार ठीक नहीं समझती है तो और कहीं इसको कर दें।

लालबहादुर जी ने तर्क दिया था कि रुपये की कमी है और शायद मेहरोत्रा जी ने यह बात कही लेकिन इनकी कठिनाइयों को श्री तेजासिंह जी ने आसान कर दिया। मैंने इसको नहीं कहा है, यह तो उनका स्वयं कहना है और सरकारी बेंचों पर बैठने वाले भाइयों को अवसर अधिक मिलता है और सरकारी बातों का उनको ज्यादा ज्ञान होना चाहिये। मैं तो उनकी बात को सच मानता हूं। उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि जितने आपरेटस और जितना सामान वहां है वह सब इस डिग्री कोर्स के लिये यथेष्ट है, जो खर्चा हो रहा है उसी खर्चे से उसको अपग्रेड किया जा सकता है। लखनऊ के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अन्दर यह काम भी हो सकता है जिसको पांडेय जी अपने प्रस्ताव में चाहते हैं। ऐसी अगर यह बात है तो सरकार को कोई इसमें असुविधा नहीं होनी चाहिये।

एक तरफ तो मैं श्री गेंदासिंह जी का तर्क रखता हूं कि हर साल हमारी जो शिक्षा या उद्योग की मदें हैं उनमें से जो बचत होती है वह काफी बचत होती है। किसी-किसी साल में तो ३ करोड़ ४३ लाख रुपये की बचत हुई है। अनेक बार करोड़ों की ऐसी बचत हुई है। उद्योग विभाग के ऐसे बहुत से बजट में दृष्टान्त मौजूद हैं। अगर रुपया नहीं है तो उस रुपये से यह काम हो सकता है और अगर नहीं है तो फिर तेजा सिंह जी का तर्क सामने है। अब और क्या अड़चन रह जाती है। चाहे जिस तर्क को लिया जाय, चाहे वह बचत की बात हो या तेजा सिंह जी की बात हो, दोनों इस बात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं। इसी सम्बन्ध में लालबहादुर सिंह जी ने कहा कि यह कृषि प्रधान देश है और यहां पर कृषि कालेज खुलना चाहिये। हम तब कहते हैं कि नहीं खुलना चाहिये। इसीलिये यह आदरणीय सदन स्वीकार कर चुका है कि एक लैन्ड स्कूल रुद्रपुर में खुले। उसमें कृषि का सारा काम होगा। वह तो ऐसी बात उन्होंने कही है जिसको हम सदा ही कहते हैं। वह कालेज का साधन जितना है उतना ही रहेगा।

जब तक टेक्निकल नालेज हमारी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा ज्ञान भी नहीं बढ़ सकता है। जो हमारे पास खेती के मौजूदा साधन हैं उनके लिये सरकार रात दिन कहती रहती है कि वे साधन दकियानूसी हो गये हैं, अब उनसे आगे बढ़िये। हमारे पास अगर वैज्ञानिक ज्ञान पर्याप्त हो जाय तो यही फसल ड्योढ़ी हो सकती है। एक-एक दाना करके भी अगर हम बढ़ायें तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। यह एक टेक्नोलाजी की बात है। या तो सरकार यह कहे कि जितने हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वह सब गलत बने हैं और अनसाइन्टिफिक बने हैं, हम उनको अपग्रेड नहीं करना चाहते। वह योजना के मुताबिक नहीं आते। हम पहले

एक योजना बना कर उनका स्थान निर्धारित करेंगे और तब तक के लिये इनको तोड़ दिया जाय। अगर यह तर्क है हमारे लालबहादुर जी का तब तो मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन अगर यह बात नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने इस के साथ ही कहा कि ५ साल तक उनको आई० टी० आई० में रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आई० टी० आई० के इंस्ट्रक्टर्स किस कैलिबर के हैं इसके लिये वे अपनी याददाश्त ताजी करें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—कोरम है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—उसके बारे में मेरा अपना निजी अनुभव है। मैंने एक सवाल पूछा था और उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया था कि वहां केवल डेढ़ साल का कोर्स पास किये हुए इंस्ट्रक्टर्स रखे जाते हैं। एक साल का कोर्स है उसके बाद शायद उन्होंने कहीं ६ महीने की ट्रेनिंग ली हो और वे रखे गये हैं। १२ लड़कों के बारे में तो मैं जानता हूं। उन्होंने बतलाया कि हमारे पास टेक्निकल आदमी ही नहीं हैं। तो हम सरकार को इस बात की याद दिला रहे हैं कि वह इस बात का ध्यान रखे और विरोधी पक्ष का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार को उसके कर्त्तव्यों का ध्यान कराता रहे।

एक बात यह कही गयी कि लोहार का लड़का अगर बी० ए० पास कर लेगा तो क्लर्क हो जायगा। यह गलत नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को ब्रेक न लगता तो पता नहीं क्या-क्या कहते चले जाते। यहां फिर वही बात आ जाती कि जातिवाद का नारा लगाया जाता है। हम तो चाहते हैं कि लोहार का लड़का लोहार ही न रहे, उसे उठने का मौका मिले और इसी के लिये यह प्रस्ताव है। हम इसके द्वारा आप दोनों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। गोंड़ा के सदस्य को इस बात का बुरा लगा कि लोहार के लड़के को आप बाबू नहीं बनने देंगे, दूसरे माननीय सदस्य को यह बुरा लगा कि टेक्निकल आदमी के लड़के को हम नान-टेक्निकल काम करा दें यह ठीक नहीं है। तो हम दोनों की बात पूरी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों खुश रहें और अनइम्प्लायमेंट भी दूर हो। भाषण तो शिष्टाचार के लिये या मंत्री जी को खुश करने के लिये हो जाता है, उनको खुश करने की एक भावना रहती है, अच्छा है वह खुश रहें, हम भी उनको नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो मांग हमारी तरफ से पेश की गयी है उसके लिये आपको हमें धन्यवाद देना चाहिये।

यह प्रस्ताव न आता तो इलाहाबाद का दुखड़ा रोने का मौका एक माननीय सदस्य को न मिलता और माननीय मेहरोत्रा जी को जो मैंने सुना उसमें वह अपने कानपुर की ही बात कह गये। कुछ ऐसी बात उनके भाषण में आयी कि और जगह हो या न हो लेकिन कानपुर में होना ही चाहिये। दूसरे सज्जन ने कहा कि इलाहाबाद में होना चाहिये। लेकिन माननीय मदन जी ने गोरखपुर की बात नहीं कही। उन्होंने सोचा कि लखनऊ केन्द्र में स्थित है, यह राजधानी प्रदेश की है, इसलिये इसको यहीं रखना उचित है।

इसके अलावा यहां से रेलवे का कनेक्शन है। चारों तरफ से बेहतरीन कनेक्शन लगा हुआ है। दिन ही दिन में आप यहां से दिल्ली जा सकते हैं। आदमी का दिन बरबाद नहीं जाता। यातायात की काफी सुविधायें यहां से उपलब्ध हैं। चाहे गोरखपुर की तरफ जायें, चाहे मेरठ की तरफ जायं, या किसी तरफ भी जायं रेलवे कनेक्शन उपलब्ध है। कानपुर से ऐसे कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। लखनऊ में सब मिलाकर, छोटी और बड़ी लाइन की, ७ लाइनें मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर ट्रान्सपोर्ट के सबसे अच्छे और सुलभ साधन उपलब्ध हैं। लिहाजा उन्होंने यह मांग रखी कि लखनऊ में ही हो। माननीय अवस्थी जी ने यह मांग रखी कि लखनऊ के अलावा और जगह भी हों। जवाहरलाल जी ने कहा कि

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

इलाहाबाद में टेक्निकल इन्स्टीट्यूट होना चाहिये, वह सरकार नहीं कर रही है, और न जाने क्या-क्या कहा ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब लोग तो समर्थन हो कर रहे हैं, मुंह से चाहे विरोध करें। इसलिये माननीय बहुगुणा जी जरा इस पर विचार करें।

इसके अलावा जहां तक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट का सवाल है, यहां पर कोई माइनर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट नहीं है। इस पर भी माननीय बहुगुणा जी जरूर ध्यान दें। हमारे यहां कापर, मैगनीज, सोपस्टोन, वगैरा कई प्रकार की बेशकीमती चीजें निकली हैं जो हमारे प्रदेश में हैं। चूंकि हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, हमें बाहर वालों का मुंह ताकना पड़ता है और उनकी रिपोर्ट आने में वर्षों लग जाते हैं। आज हम कब से सुन रहे हैं कि माननीय बहुगुणा जी जहां पर पैदा हुए हैं वहां से कुछ ऊपर काफी अच्छा तांबा निकला है। इसके अलावा बागेश्वर में सोप स्टोन निकला है। इसके लिये हमारे पास ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उसका प्रोसेसिंग कर सकें। अगर यह हो पाता तो कितना अच्छा होता।

यह सब चीजें अगर हों तो कृषि में भी तरक्की हो सकती है। कृषि का आउट-पुट बहुत कम है। इंगलैंड एक छोटा सा कन्ट्री है, बेल्जियम है, वहां खाने की चीजें इतनी पैदा नहीं होतीं जितनी की उनको जरूरत होती है, लेकिन जितनी उनकी जरूरत होती है, उतना उनको मुहइया हो जाता है। रूस और अमेरिका में जितने रिसोर्सेज हैं, उतने इंगलैंड में नहीं हैं। लेकिन इंगलैंड में भी हाइड्रोजन बम है, और भी सब तरह की चीजें हैं, करोड़ों रुपया उनका इस पर खर्च होता है। यानी वह कृषि प्रधान देश नहीं है, लेकिन वह इतना इन्डस्ट्रियलाइज्ड है, वहां इतने उद्योग धंधे विकसित हैं, कि वह एक मच्छर की तरह का छोटा टापू होते हुये भी इतनी प्रगति पर है। इसलिये आज भारतवर्ष में भी जरूरत है इन चीजों की और इनको हमें यहां खोलना चाहिये।

यह भी कहा गया कि बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलने से। मैं कहता हूं कि आपके बी० ए० और एम० ए० चाहे बेकार हो जायं किन्तु टेक्निकल लोग अगर अच्छे होंगे तो वे बेकार नहीं रहेंगे। रूरी केला और भिलाई में जब क्वालीफाइड लोग नहीं मिले तो उन्होंने अपने यहां दूसरे लोगों को भरा। तो जब हम अच्छे दे सकेंगे तो जरूर तरक्की होगी। याद रखिये स्व० आशुतोष मुकर्जी, जो डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी के पिता थे, उन्होंने कोशिश की थी कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट हो जांय, ज्यादा से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हो जायं और यही कारण था कि सारे भारत में ज्यादा से ज्यादा बंगाल के लोग पढ़े लिखे दिखाई देने लगे। इसी तरह से अगर हम अपने यहां भी ज्यादा टेकनीशियंस पैदा कर सकें तो यहां के टेकनीशियंस सारे हिन्दुस्तान में दिखाई दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, जो प्रस्ताव हमारे सामने पेश किया गया है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो टेक्निकल तालीम से ताल्लुक रखता है। दूसरा इस बात से ताल्लुक रखता है कि किसी जगह को तरक्की दी जाय।

जहां तक टेक्निकल तालीम का ताल्लुक है उस बारे में यह बहुत सौभाग्य की बात है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इस तालीम को उठाना चाहती है और यह उसके मकसदों में से एक है कि टेक्निकल तालीम को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाय। सरकार का जो बेरोजगारी को ठीक करने का जो काम है उसमें इससे मदद मिलती है और थर्ड फाइव ईयर प्लान में टेक्निकल हैंड्स की जो जरूरत है उसको पूरा करने में मदद मिलती है। तो जहां तक रिजोल्यूशन के इस हिस्से का ताल्लुक है उसमें सरकार में और पांडेय जी में कोई भेद नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर यह रिजोल्यूशन न भी रखा गया होता तब भी इस रिजोल्यूशन का जो मकसद है वह पूरा हो जाता।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसी खास जगह को तरक्की दी जाय, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि टेक्निकल तालीम आज से पहले एक बच्चा थी और वह एक महदूद दायरे में चलायी जा सकती थी, मगर आज टेक्निकल तालीम बजाते खुद एक टेक्निकल सबजेक्ट बना है और वह इतना फैल गया है तो उसके बारे में काफी सोच-विचार करके जब तक आदादो शुमार इकट्ठे न किये जायं तब तक कोई राय कायम नहीं की जा सकती। मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारी दस्तकारियां फैलती जाती हैं त्यों त्यों उस पर विचार करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेते हैं, या बड़ी इंडस्ट्रीज को लेते हैं तो उसमें हम जितनी नयी-नयी दस्तकारियों को लेते जाते हैं उतने ही नये-नये किस्म के जाब्स हमारे सामने आते जाते हैं और उतने ही नये जाब्स को कवर करने के लिये हमें अपनी टेक्निकल तालीम के मुख्तलिफ जुजों को बढ़ाना पड़ेगा और मुख्तलिफ किस्म का उसको बनाना पड़ेगा।

इसके अलावा टेक्निकल तालीम का जो मंशा है उसमें एक यह भी है कि हम उस को इस ढंग से चलावें कि उसमें कोई ज्यादा "सरप्लस" भी न हो जाय और ज्यादा शार्टेज भी न आ जाय। जैसे उदाहरण के लिये अभी एक बूम चली कि हमारे सूबे के अन्दर ओवरसियरों की ट्रेनिंग के लिये भरती की जाय, इसकी करना बहुत जरूरी है। आज पोजीशन यह है कि ओवरसियर्स हमारे यहां सरप्लस हैं और हमारे यहां के ओवरसियर्स मध्य भारत में, बंगाल में और राजस्थान में खप रहे हैं।

आज मुजफ्फरनगर और इलाहाबाद और दूसरी जगहों पर टेक्निकल एजूकेशन के लिये इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से कई तो बन्द हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने अगर टेक्निकल तालीम का बोर्ड बना कर के व्यवस्था न की होती तो हमारे सामने ओवरसियर्स की पोजीशन जो आज है वह न हो पाती। इसके अतिरिक्त आज पोजीशन यह है कि उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अन्दर जितने अच्छे दरजे का ईक्विपमेंट होना चाहिये, करीकुलम होना चाहिये, वह सब नहीं है और वह उस दिन हो सकेगा जिस दिन हम उन सब चीजों को इकट्ठा कर सकेंगे। तो जब टेक्निकल तालीम की बात हम कहते हैं तो हम उसको एक पहलू से ही नहीं देख सकते हैं, उसको हमें मुख्तलिफ पहलुओं से देखना होगा।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि गवर्नमेंट को यह जानने के लिये जरूरत रहती है कि हमें किन-किन जाब्स के लिये आदमियों की जरूरत है और इसके लिये गवर्नमेंट ने एम्प्लायमेंट रिसर्च यूनिट्स कायम किये हैं कि मुख्तलिफ शहरों के अन्दर इस बात के आदादो शुमार इकट्ठा करें कि हमारा एम्प्लायमेंट पोटेंशल क्या है और किन-किन तरह के जाब्स की जरूरत है, कौन-कौन से जाब्स सरप्लस हैं और किन-किन जाब्स की शार्टेज है। तो यह हमें देखना होगा कि क्या जो एक्सपैंशन्स के कार्य किये जा रहे हैं उनके लिये किन-किन जाब्स के लिये टेक्निकल कालेज खुलें और उनके लिये हम इस बात की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलें।

तीसरी चीज मैं यह रखना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों हमारी देहाती दस्तकारियां आगे बढ़ती जाती हैं, उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के कारीगर चाहिये। उन मुख्तलिफ किस्म के कारीगरों को भी तालीम देना टेक्निकल तालीम का एक जुज है। क्या हम उन्हीं पुराने मदरसों से, उन्हीं इन्स्टीट्यूट्स से और उन्हीं संस्थाओं से इन जाब्स को कवर कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं कवर कर सकते हैं और जब हम नहीं कवर कर सकते तो हमें नये-नये कालेज और इन्स्टीट्यूट्स खोलने पड़ेंगे और ऐसे नये इन्स्टीट्यूट्स को खोलने के लिये हमें इन सब चीजों का जानना जरूरी होगा। इसको करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बिठाई है जिसका खास तौर से यही काम है कि वह इस बात को देखे कि हम अपने प्रदेश के अन्दर किन-किन जाब्स को, किन के जरिये से, किन जगहों पर तालीम द सकते हैं।

[डाक्टर जयगोपाल]

एक बात और है। हमारे देश के कारीगर बहुत ऊंचे दर्जे के कारीगर हैं। हमारे यहां के लड़के बड़े कामयाब रहे हैं और उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को कामयाबी के साथ लिया है। लेकिन एक कमी रह जाती है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह कि जहां तक थ्योरेटिकल नालेज का सवाल है मैं समझता हूं कि विलायत के लड़कों से यहां के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन्स ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल नालेज का सवाल है उसमें थोड़ी-सी कमी रह जाती है और उसके लिये उन्हें अपनी नौकरी के अर्से का एक हिस्सा जाया करना होता है और तब वह उस स्टैंडर्ड पर आ पाते हैं। तो जब इन्स्टीट्यूट्स खोलने की बात आती है तो एक सवाल और सामने आ जाता है कि हमें उस जगह पर इन्स्टीट्यूट खोलना चाहिये जहां पर काफी इन्डस्ट्रीज हों, काफी कारखाने हों ताकि अपने लड़कों को हम अमली तालीम भी दे सकें और वह इस फील्ड में भी, जहां तक कि प्रैक्टिकल फील्ड का ताल्लुक है, किसी से पीछे रहते नजर न आयें।

जब हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम टेक्निकल तालीम के बारे में सोचें तो हमें इसके कई पहलुओं के बारे में सोचना पड़ता है और उन पहलुओं में यह भी है कि आया वह तालीम हमारे इम्प्लायमेन्ट को या हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है उसको किस हद तक दूर करती है और हमारी वह तालीम, हमारे यहां जो नये जाब्स पैदा हो रहे हैं उनको कहां तक कवर करती है और हमारी वह तालीम उन टेक्निकल हैन्ड्स को सरप्लस तो नहीं कर रही है जिनकी कि आज हमें जरूरत नहीं है।

श्री झारखंडे राय---(जिला आजमगढ़)---सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई तथा कोरम होने पर।)

डाक्टर जयगोपाल---तो जब हम इसके बारे में गौर करते हैं तब अगर हम इतने पहलुओं पर गौर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम टेक्निकल तालीम नहीं दे सकते।

जहां तक हमारे कारखानों में या मुख्तलिफ जगहों पर जो बिला लिखे-पढ़े कारीगर काम करते हैं, उनका ताल्लुक है, उनमें यह कमी है। जहां तक प्रैक्टिकल काम का सवाल है वह तो ठीक है कि वह यह नहीं जानते कि किस बेसिस पर यह चीज खड़ी है। वह सिर्फ यही जानते हैं कि हमारे गुरु ने इसको किया था इसलिये हम भी कर रहे हैं। तो उनकी इस कमी को दूर करना हमारे इन इंस्टीट्यूट्स का काम होगा। तो जब हम इन मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखकर टेक्निकल एजूकेशन की बात करते हैं तो सरकार के लिये मजबूरी हो जाती है, हालांकि सरकार की यह ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजूकेशन दी जाय। इसीलिये यह जरूरी है कि इसको एक्सपर्ट्स के सुपुर्द किया जाय ताकि वह ठीक जगह, मौका महल, फाइनेन्सेज और जरूरत, इन सब बातों को देखकर हमें तजवीज करें कि किस तरह से हमारी टेक्निकल तालीम चले। अगर हम इस पर इस नुक्ते से ध्यान नहीं देंगे तो यह एक नाकामयाबी की बात होगी। मैं समझता हूं कि पांडे जी का रेजोल्यूशन रखने का जो मंशा है उस मंशा को सरकार पहले से ही रखती है। उसके होते हुए इस रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं होगी और वह इसको वापिस लेने की मेहरबानी करें।

श्री मदन पांडेय---मुझे भी जवाब देने के लिये ५, ७ मिनट छोड़ दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---३ बजे तक इस विषय पर वादानुवाद समाप्त होने का तय हुआ था और केवल २० मिनट रह गये हैं। पाण्डेय जी भी कुछ समय चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका कार्य-काल सवा तीन बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---इस विषय का समय सवा तीन बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीया, यह प्रस्ताव काफी अक्ल लगाकर बनाया गया है, ऐसा मैं मानता हूं। विरोधी दल के लिये कोई ऐसा प्रस्ताव ले आना, जिसमें सरकार की स्थिति 'भई गति सांप छछूंदर केरी' जैसी हो जाय, इससे बेहतर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह का यह प्रस्ताव बहुत सोचकर माननीय आचार्य दीपंकर जी के नाम में पांडेय जी ने पेश किया है। मैं इसके संबंध में कुछ कहने से पहले उन्हीं का ध्यान उनके प्रस्ताव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सारी बहस इस बात पर हुई है कि अगर टेक्नोलाजी और साइंस के इस जमाने में उद्योगीकरण करने का मंशा रखने वाली सरकार टेक्नोलाजी की शिक्षा देने में कोताही करे तो बुरी बात है।

इस बात में जो लांछन निहित है उसे अस्वीकार करते हुए क्योंकि तथ्यों पर मैं बाद में आऊंगा अगर थोड़ी देर के लिये, बहस के लिये इस बात को स्वीकार भी कर लिया जाय तो क्या नतीजा निकलता है? क्या जो टीका इस प्रस्ताव के संबंध में भाई गेंदा सिंह जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने की वह इसके साथ मेल खाती है या नहीं? प्रस्ताव क्या है? वह यह है कि प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता को तथा लखनऊ शहर के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ में इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था की जाय। यानी, प्रस्ताव में ऐसा कर दिया है कि सरकार के हाथ बांध दिये हैं, पैर भी बांध दिये हैं और मुंह और आंखों पर पट्टी बांध दी और गोमती में डाल दिया कि तैर कर दिखाओ।

श्री मदन पांडेय---वह कम गहरी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मगर उसमें मगरमच्छ बहुत हैं।

यह प्रस्ताव हो सकता था कि टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इसमें कहा गया है कि वह कम है और उसे गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाकर दूर करने का उपाय बतलाया है। जोर इस बात पर नहीं है कि टेक्निकल शिक्षा दी जाय बल्कि इस बात पर है कि वह शिक्षा तभी अपनी आवश्यकता को पूरी करेगी जब कि जी० टी० आई० लखनऊ में डिग्री क्लासेज जारी कर दी जायें। इस तरह का प्रस्ताव उस मन्तव्य को भी हराता है जिससे यह लाया हुआ बताया जाता है। It defeats the intention of the mover of the resolution. मैं नहीं चाहता कि मैं उनके मंशा को असफल होने दूं।

श्री मदन पांडेय---आप संशोधन ला सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अक्लमन्द आदमी के लिये संशोधन लाने का दूसरा तरीका होता है। इसमें अमेंडमेन्ट की जरूरत नहीं है। उस पर भी मैं आऊंगा।

मैं फिर दोहरा दूं कि हमारी कतई मंशा नहीं है कि हम अपने विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और कला-कौशल का काम सिखाने में जरा भी अपना कदम धीमा करें। लेकिन टेक्नालाजी स्वयं बड़ा कठिन विषय है। वह टेक्निकल बात है और टेक्निकल बात मुश्किल बात होती है, ऐसा मैं मानता हूं। जी० टी० आई० में किन कारणों से नहीं हो सकता है, उन पर भी मैं प्रकाश डालूंगा।

मोती लाल जी के संशोधन को मानकर प्रस्ताव की यह शक्ल बनती है। प्रदेश में टेक्निकल एजूकेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, जहां-जहां वे हों, मिर्जापुर, गोरखपुर, इत्यादि वहां सब जगह इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था की जाय, यानी सरकार अगर उसमें कर सकती है तो करे वरना घर बैठे।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---टेक्नोलाजीकल है, टेक्निकल नहीं है। जरा संशोधन पढ़ें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---Government Technical Institute means technological institutes.

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---आ हा !

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---अगर आपको मोती लाल जी की गद्य में भी पद्य दिखाई देती है तो मोती लाल जी को मुबारकबाद। आपको भी।

प्रस्ताव के ढालने वालों ने जिस कारण से प्रस्ताव को ढाला है वे उसे बताते हुए जरा झेंप रहे हैं। वे चाहते हैं कि अक्ल पर पर्दा डाल कर काम हो जाय। आप और हम सभी इस सदन में बैठे हुए उस बदकिस्मत इतिहास को जानते हैं जिसे मैं दुहराना नहीं चाहता हूं, जो जी० टी० आई० के छात्रों की इस मांग के कारण हुआ कि उनके डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स कर दिया जाय। उसमें कोई हार जीत का सवाल नहीं था। जब उन बच्चों ने यह सवाल खड़ा किया तो यह सारा प्रश्न सोचने के लिये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे। ये एक्सपर्ट्स कौन-कौन हैं, कहां से आये और कैसे बैठे, मैं इसे छोड़े देता हूं।

स्वराज्य प्राप्ति के पहले हमारी टेक्निकल शिक्षा कुछ कानपुर में एच० बी० टी० आई० में थी, गवर्नमेन्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेदर का था या टेक्सटाइल्स का इंस्टीट्यूट था। ये छोटे-मोटे स्कूल थे। लड़ाई के बाद एक जाल बिछा और सभी स्तरों पर क्राफ्ट्स-मैन तैयार करने की व्यवस्था हुई। लेबर डिपार्टमेन्ट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने अपने पोलीटेक्निक खोले, दूसरे ब्लाक स्तर पर ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर चलाये। उसके साथ जूनियर हाई स्कूल, टेक्निकल, हाई स्कूल टेक्निकल भी चलने लगे। देश की और प्रदेश की उद्योगीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि टेक्निकल लोगों की हमें आवश्यकता होगी, हम साइंस और टेक्नालाजी के जमाने में रह रहे हैं, विद्यार्थियों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिये एक दौड़ चली और हर विभाग ने इसके लिये अपने-अपने कामों को अपने अपने ढंगों से करना शुरू किया।

इनके साथ-साथ हमारे प्रदेश में एक दूसरा दौर भी चला—पोस्ट १९५२ का पीरियड। हमारे यहां ओवरसियरो ड्राफ्ट्समैन, (मैकेनिकल), ट्राफ्ट्समेन (सिविल) आदि के लिये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स की होड़ लगी और बहुत से इंस्टीट्यूशन्स खोले गये। गवर्नमेन्ट के सामने इस प्रकार का सवाल सन् ५६ में आया और उसने सोचा कि इस तरह टेक्निकल एजूकेशन चलाने का काम अगर बेलगाम चलता रहा तो उसका क्या हश्र होगा और वे कौन सी मंजिल पर पहुंचेंगे। टेक्निकल ऐजूकेशन में अगर क्राफ्ट्समैन है और इंजीनियर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा और अगर क्राफ्ट्समैन नहीं है और इंजीनियर है तो भी वह एजूकेशन बेकार हो जायगी। डिप्लोमा कोर्स इन दोनों में समन्वय करता है। अगर इस कड़ी को न रखा जाय तो सारी एजूकेशन बेकार हो जायगी। इस सबका इन्टीग्रेटेड थिंकिंग किया गया और डिप्लोमा कोर्स के लिये यू० पी० टेक्निकल एजूकेशन एडहाक बोर्ड की स्थापना की गयी और टेक्निकल एजूकेशन के जितने भी ऐसे केन्द्र थे उनको हमने इस बोर्ड के मातहत कर दिया। क्राफ्ट्समैनी के लिये प्रदेश के स्तर की दूसरी कौंसिल बनायी, वोकेशनल ट्रेड्स की ट्रेनिंग के लिये और इन दोनों का एक दूसरे के साथ समन्वय करा दिया गया और इनके सहारे हम इस काम को चला रहे हैं।

इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने आल इंडिया टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड बनाया है जो सारे देश में इस तरह की संस्थाओं में इंटीग्रेशन का काम करता है। कोई भी प्रदेश अपने यहां कोई इस प्रकार की संस्था खोलना चाहे तो वह अपने मन के मुताबिक नहीं खोल सकता। पहले उसके बारे में सारी बातें उनको भेजनी होती हैं। जिस प्रकार

से हाई स्कूल खोलने के लिये रिकगनीशन लेना पड़ता है ठीक उसी प्रकार से टेक्निकल एजूकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन खोलने के लिये आल इंडिया टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होती है। तो इन लोगों को हमने जी० टी० आई० के बारे में लिखा। लखनऊ के विद्यार्थियों की मांग पर डिग्री कोर्स उसमें चलाने के लिये इस आल इंडिया टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड की एक विजिटिंग टीम आयी जिसमें इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे, जो इस बात को देखते हैं कि इंजीनियरिंग कालेजेज के लिये किन-किन साज-सज्जा की आवश्यकता है, किस सामान की, किस प्रकार की बिल्डिंग की, किस प्रकार के मास्टरों की आवश्यकता है, वह यहां मिल सकता है या नहीं। इन सब बातों को देखने के बाद उसने इस स्टेट गवर्नमेन्ट से कह दिया कि इसको डिप्लोमा कोर्स का ही रहने दिया जाय और इसके ऊपर डिग्री क्लासेज को पोक न किया जाय। जी० टी० आई० की जो इमारत है, उसका जो एरिया है, उसका जो ढंग है उसको डिस्टर्ब न किया जाय और वह जिस प्रकार की टेक्निकल एजूकेशन दे रहा है उसको वैसे ही देने दिया जाय।

अब, एक्सपर्ट्स की तो राय यह है कि जी० टी० आई० को जी० टी० आई० ही रहने दिया जाय और हमारे प्रदेश के एम० एल० एज० जो कि अपने प्रदेश की रीति-नीति को बनाने के हकदार हैं, उसको चलाने के हकदार नहीं है, वे कहते है कि इस टेक्निकल ऐजूकेशन के लिये डिग्री क्लासेज के लिये यही स्थान उपयुक्त है, जिसका नाम जी० टी० आई० है मानो कि एम० एल० एज० ही सब कुछ हो गये, वही एक्सपर्ट भी हो गये, डाक्टर हो गये और वकील तो हो ही सकते हैं, माननीय गोविन्द सिंह जी वकील हैं ही।

जो विजिटिंग कमेटी इस प्रदेश में आयी उसने इस इंस्टीट्यूट को देख कर कहा कि डिग्री कोर्स की मान्यता देने के लायक यह स्थान नहीं है, इसके लिये कोई दूसरा स्थान बनाइये। सेकेंड फाइव ईयर्स प्लान में सारे देश के अन्दर जहां ९ स्कूल डिग्री क्लासेज के खुले उनमें से एक स्कूल उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को भी दिया जो आपके इलाहाबाद में एक्जिस्ट करता है। उसके लिये पंडित जवाहर लाल जी ने हमारे ऊपर चार्ज लगाया कि इसके लिये बहुत देर हो गयी, इस स्कूल को सेकेन्ड फाइव ईयर्स प्लान में चालू हो जाना चाहिये था, वह स्कूल अब तक क्यों नहीं खुला है। वह स्कूल अब इलाहाबाद में खुल गया है जो हमारे देश के ९ स्कूलों में से एक स्कूल है और उसके ऊपर करीब १ करोड़ ९ लाख रुपया नानरेकरिंग खर्चा उसके साज-सामान, इमारत वगैरह के लिये है। तो इस तरह से आल इंडिया टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड ने हमको यह चीज दी।

इसके अलावा हिन्दुस्तान भर में ४ रिजनल हाइयर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट्स खुलने हैं जो डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के लिये नहीं होंगे बल्कि वहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लास होंगे। तो इस तरह एक हाइयर टेक्नोलाजिकिल इंस्टीट्यूट उन्होंने हमको कानपुर में दिया है जिसकी इमारत व साज-सज्जा पर करीब ६ करोड़ २० लाख रुपया लगेगा और वहां अगले साल यानी जुलाई के महीने से भर्ती होनी शुरू हो जायगी। उसमें १,६०० ग्रेजुएट्स की जगह होगी और ४०० पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिये जगह होगी। उसमें सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इतना कोर्स होगा जिसकी वहां पढ़ाई होगी। वह कालेज हिन्दुस्तान के उन ४ कालेजों में से एक कालेज होगा जो देश भर में बनाये जायेंगे और जो हमारे प्रदेश में खुलेगा।

अब इतना सब करने के बाद अगर सरकार को यह कहा जाय कि हम टेक्निकल एजूकेशन के संबंध में उदासीन हैं और ऐसी शिकायत हो कि माननीय दीपंकर जी प्रस्ताव लिख कर दें, माननीय मदन पान्डेय जी उसको पढ़ें और माननीय गेंदा सिंह जी को वे तकलीफ दें कि वे

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जोरदार सिफारिश उनकी करें, तो अपने साथ वे अन्याय करेंगे, ज्यादती करेंगे कि उनके शरीर को उस काम में लगावें। क्योंकि उनको तो अभी इस देश की बहुत सेवा करनी है, इसलिये ऐसे कामों में उनका शरीर न लगाया जाय, इस बात की मुझे विशेष चिन्ता है।

अब मान्यवर, मैं तादाद को लेकर कहना चाहता हूं कि जितने आई० टी० डिप्लोमा कोर्सेज के है, जितने स्कूल्स हैं, जितने पोलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं, जितने इंजीनियरिंग के संबंध में जूनियर हाई स्कूल्स या हाई स्कूल्स हैं, चाहे वे वाराणसी में हों, चाहे रुड़की में हों, चाहे अलीगढ़ में हों जहां कि डिग्री कालेज चलते हैं, इस तरह से हमारे प्रदेश में ६ डिग्री कालेज इंजीनियरिंग के हैं। अब यह कि हर जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाय, और रोज रोज इस तरह की मांग की जाय, गलत है। यह तो उसी तरह से है कि जैसे गांव का कोई आदमी बाजार में पहले पहल आता है तो यही समझता है कि किसी चीज का पहले मोल भाव कर लोगे तभी वह ठीक भाव पर मिल सकेगी। इस तरह से उसने पहले टिकट बाबू से ही इस फारमूले को शुरू कर दिया जब उसने कहा कि टिकट की कीमत ११ आने है तो उसने कहा कि ५ आने ले लीजिये।

तो आपको यहां यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजूकेशन की कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के विरुद्ध यहां कितना काम हुआ है और उस काम के जरिये जो हमारे टारगेट हैं वे अभी पूरे हुए या नहीं, उन टारगेट्स को पूरा करने में क्या कमी है बिना इस सबको समझे हुए जोर देना उचित नहीं है।

एक बात माननीय अवस्थी जी ने कही वह कुछ सेल्फ कन्ट्रेडिक्टरी सी थी। उन्होंने कहा कि क्या हम बहुगुणा जी से कहें कि हमें कहीं हमारे जो इन्डस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं मिलते, यानी दर्जा चार पढ़ाने वाला मास्टर ही नहीं मिल रहे हैं लेकिन वह एम० ए० क्लास खोलने की बात कर रहे हैं। खुद इस बात को मानते हैं कि दर्जा ४ को पढ़ाने वाले मास्टर नहीं हैं तो फिर वह खुद सोचें कि एम० ए० को पढ़ाने वाले कहां से आयेंगे? इस कमी के कारण हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स नहीं खुल पा रहे हैं। अमरीका के लोगों के सहयोग के लिये हम आभारी हैं कि उन्हीं के पढ़ाने वाले, उन्हीं का सारा सामान, साज-सज्जा आज उपलब्ध है जिससे हम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग अपने लोगों को दिला पा रहे हैं। यह टेक्निकल शिक्षा संस्थायें केवल स्पीच देने से या कह देने से पैदा नहीं होतीं, वह पैदा होती हैं साधन जुटाने से, लेकिन हमारे यहां बदकिस्मती, से अभी वह सारे साधन उपलब्ध नहीं हैं कि जिन की आवश्यकता इन संस्थाओं को स्थापित करने से पहले होती है। इच्छा सरकार की उनके लिये अवश्य है।

माननीय गेन्दा सिंह जी ने चाहा था कि मैं गोरखपुर के बारे में भी कुछ कहूं। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार हो रहा है और हमारी यह इच्छा जरूर है कि पूर्वी जिलों में भी हम १२० सीट डिग्री क्लासेज की उधर दे सकें। इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन और आल इंडिया टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड को कहा गया है कि वह हमारी बात मान लें। मुझे आशा है कि हमारी आवाज को बल देने के लिये प्रदेश की जनता की आवाज के साथ माननीय गेंदा सिंह जी की भी आवाज रहेगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि टेक्निकल एजूकेशन की मांग करने वाले लोगों के हृदय को चोट न लगे इस वास्ते हमने अभी हाल में एक नई योजना मंजूर की है। हमने तय किया है कि नेशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन जो केन्द्रीय सरकार का एक यूनिट है उससे जो हायर परचेज सिस्टम पर मशीनरी आती है उस को पाने के लिये कोई साइन्स ग्रेजुएट या टेक्निकल ग्रेजुएट होंगे और वह उद्योग में लगना चाहेंगे तो जितना अरनेस्ट मनी उनको उसके लिये देना होगा उसको गारेन्टी स्टेट गवर्नमेंट दे देगी और इस तरह से मशीनरी लेने वालों को पैसा न देना होगा। अबतक केवल पैसे वाले ही उद्योग लगा सकते थे लेकिन हमारा यह दूसरी दिशा में थोड़ा-सा प्रयास है

परिवर्तन लाने का और उनको भी उद्योग में भाग लेने देने का कि जिनके पास पैसा नहीं है। यह हमारे प्रदेश के लिये एक नया यन्त्र, एक नया तन्त्र और एक नया प्रयोग होगा। हमें अपनी जो संस्थायें हैं, टेक्निकल स्कूल्स हैं उनको देखना होगा कि क्या उनमें टेक्निकल ग्रेजुएट्स पैदा करने की क्षमता या प्रोजेक्टवर्दीनेस है ? वह अभी नहीं है। यह योजना केवल उन उद्योगों पर ही लागू होगी कि जो साढ़े ७ लाख रुपया का कैपिटल आउटले इन्वाल्व करते हैं।

अन्त में मुझे दो बातें और कहनी हैं। एक तो यह कि हम इस प्रस्ताव का विरोध इसलिये नहीं करते कि टेक्निकल एजूकेशन हमें प्यारी नहीं है और इसलिये भी नहीं है कि हमें लखनऊ प्यारा नहीं है। अवध की बातें, रातें और दिन सभी सुन्दर होते हैं, कोई चीज बुरी नहीं होती लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसमें कहा जा रहा है कि खाना खाना है तो यहीं पर खाया जाय, वह यन्त्र नहीं, वह जन्त्र नहीं कि वहां डिग्री क्लासेज और डिग्री कोर्सेस पढ़ाये जा सकें, जी० टी० आई० में यह शक्ति अभी नहीं है। इसलिये मैं माननीय मदन पांडेय जी से आशा करता हूं कि वह खुदा के लिये इस नान-कन्ट्रोवर्शियल ईशू को कन्ट्रोवर्शियल न बनाकर इसको वापस ले लेंगे।

श्री मदन पांडेय--माननीया, अभी माननीय उद्योग मन्त्री जी का जो भाषण मैंने सुना इसके लिये माननीय लाल बहादुर सिंह जी तथा और दूसरे माननीय सदस्यों ने जितने भी विचार प्रकट किये उन सब पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि श्री अवस्थी जी के संशोधन के साथ यह प्रस्ताव अब और भी अधिक आवश्यक हो गया है और सदन उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और अपनी स्वीकृति दे।

अभी जितनी बातें और जितने तर्क माननीय बहुगुणा जी ने इस सदन के सामने पेश किये हैं उनके सम्बन्ध में चूंकि पांच-सात मिनट का समय ही मैंने मांगा था--डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वह योजनायें बनाकर आप के सामने पेश करते हैं, रुपये की मांग जब होती है तो इस सदन के सामने ही यह योजना पेश होती है और उस पर पूरी तरह विचार करके हम रुपया देते हैं। इसलिये जो उनका यह कथन है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मौजूदा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वह डिग्री कोर्स वाले नहीं बनाये जा सकते हैं, बावजूद इस बात के कि उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं फिर भी यह सदन कम्पीटेन्ट है कि इस सम्बन्ध में चर्चा करे, गौर करे और राय दे। इसलिये कि कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो राय देते हैं उसमें सबसे पहले उनके सामने यह चीज होती है कि सरकार बताती है कि हम इतना ही पैसा देंगे और इस पैसे के अन्दर अपनी राय दीजिये। तो मैं विद ड्यू रेवरेंस टु दि एक्सपर्ट्स कहता हूं कि पैसे की मंजूरी देना इस सदन का काम है। अगर इस प्रदेश को और इस मुल्क को इन्डस्ट्रियलाइज करना है, अगर टेक्निकल हैन्ड्स जिनका कि फेमिन बताया जाता है, हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं, उसे दूर करना है तो रुपया देना पड़ेगा।

जिस तरह से और चीजों के लिये कुरबानी करने के लिये कहा जाता है, आज अपोजीशन की तरफ से यह आह्वान मन्त्री जी को है। बंगलों के साज-सज्जा में कमी कीजिये, एम० एल० एज० के इमालूमेन्ट्स में कमी कीजिये, बस के फ्री पासेज को बन्द कीजिये और रुपया बचाइये, यह सदन सहर्ष स्वीकृति देगा और मौजूदा टेक्निकल इंस्टीट्यट्स को डिग्री कोर्स के लिये उपयुक्त साज-सज्जा से युक्त करने के लिये जितने धन की आवश्यकता हो इस सदन से मांगें, हम देंगे।

इन शब्दों के साथ, बावजूद इस बात के कि लालबहादुर सिंह जी ने हमारे इस प्रस्ताव में त्रुटियां बताईं और लोकलिज्म से ऊपर उठने की बात कही--इन बातों पर अधिक समय न लेकर मैं यही कहूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसे कम्पलीमेंट समझता हूं कि हमें लोकलिज्म से उठकर प्राविन्शियलिज्म पर स्थापित किया, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मन्त्री जी ने जो रुपय की कमी की बात कही--

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने रुपये की कमी की कोई बात नहीं कही। अखबार वाले यहां बैठते हैं, यह बात बाहर चली जायगी तो ठीक नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता--किसी और सदस्य ने कही होगी।

श्री मदन पांडेय--मन्त्री जी ने कहा है कि टेक्नीकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वर्तमान साज सज्जा से युक्त जो टेक्नीकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें डिग्री कोर्स के लायक घोषित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में यह कहना था कि साज-सज्जा पैसे से होती है। सदन पैसा देने को तैयार है। हमने यह कहा है कि हमारी सुविधाओं में कमी की जाय, मन्त्रियों की सुविधाओं में कमी की जाय, जो मोटी-मोटी तनख्वाह पाने वाले सेक्रेटरीज और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके वेतन में कमी की जाय और उस पैसे से डिग्री कोर्स के लिये साज-सज्जा का प्रबन्ध किया जाय।

इन शब्दों के साथ, मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय बहुगुणा जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। पूर्वी जिलों के लिये या अन्य स्थानों के लिये जो कि टेक्नीकल एजूकेशन में पिछड़े हुये हैं जो बात उन्होंने कही है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि पहाड़ के उन हिस्सों में जो पिछड़े हुये हैं, बुन्देलखण्ड के उस हिस्से में जहां औद्योगीकरण नहीं हुआ है, उन स्थानों पर भी बनायें, जो रुड़की के दर्जे के हों। सारा अपोजीशन इस बात का समर्थन करेगा।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि श्री मदन पांडेय के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :--

पंक्ति दो में शब्द 'तथा लखनऊ शहर के बढ़ते हुए महत्व को' हटा दिये जायं।

पंक्ति तीन में शब्द 'इंस्टीट्यूट' के स्थान पर 'इंस्टीट्यूट्स' रख दिये जावें,

पंक्ति ३ में 'लखनऊ' शब्द हटा दिया जावे तथा इसी पंक्ति में शब्द 'में' तथा शब्द 'इन्जीनियरिंग' के बीच शब्द 'टेक्नोलाजिकल' बढ़ा दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि ५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ताकि इसके अन्दर यह समाप्त हो जाय।

श्री अधिष्ठाता--समय के अन्दर ही समाप्त हो जायगा।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि प्रदेश में टेक्निकल एजूकेशन की आवश्यकता का तथा लखनऊ शहर के बढ़ते हुये महत्व को ध्यान में रखते हुये यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ, में इन्जीनियरिंग का डिग्री कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री लाल बहादुर--माननीया, अब सवा ३ बज गया; इसलिये इस पर वोटिंग नहीं होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--नहीं, वोटिंग के लिये समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--२७,
विपक्ष में--७६।

सच्चरित्र नागरिकों को गांव की सुरक्षा के लिये फायर आर्म्स खरीदने की सुविधा दिये जाने के संबंध में संकल्प

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--प्रधिष्ठात्री महोदया, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

'यह सदन का निश्चित मत है कि गांव की सुरक्षा के लिये २५० की जन-संख्या या उसके किसी अंश पर प्रत्येक सच्चरित्र नागरिक को फायर आर्म्स को गांव सभा की अनुमति से खरीदने की सुविधा दी जाय।'

माननीया, १८४१ से अंग्रेजों के भारत में आगमन के पश्चात् हमारे यहां आर्म्स के ऊपर प्रतिबन्ध लगना प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजों ने धीरे-धीरे यह प्रतिबन्ध ढीला किया। उन्होंने यह प्रतिबन्ध जो देश के अन्दर राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत थे और राष्ट्र के लिये लड़ते-मरते थे, जो राष्ट्र के लिये अपना जीवन न्योछावर करते थे उन पर लगाया था और जो राष्ट्रीय भावना से धीरे-धीरे शून्य हो गये, जिनको राष्ट्र की चेतना नहीं रही उनको टेस्ट करके धीरे-धीरे इस बन्धन से मुक्त करते चले गये। यहां तक कि उन्होंने एक एग्जेम्प्टेड क्लास और दूसरा एन्टाइटिल्ड क्लास यानी एक मुस्तसना क्लास और दूसरा अधिकारी क्लास बना दिया। उन्होंने सन् १९२१ में एक कमेटी बनायी जिसने निम्नलिखित रिपोर्ट दी --

"That the Government must retain the powers to impose restrictions to prevent arms, particularly fire-arms, falling into the possession of lawless and dangerous persons."

अर्थ त् उन आदमियों को फायर आर्म्स न दिये जायें जो लालेस और डेन्जरस परसन्स हों। अब आप देखें कि १९२२ में कौन डेन्जरस परसन्स थे। वे सारे के सारे क्रांतिकारी थे। उनके लिये उन्होंने यह किया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फायर आर्म्स न मिल जायं जो हमारे खिलाफ वे बगावत खड़ी कर दें और हमको देश से निकाल दें।

लिहाजा अंग्रेजों ने यह सोचा था और अपने राज्य का तम्बू तानने के लिये उसने एक्जेम्पटेड क्लास और ऐंटाइटिल्ड क्लास कायम की जिससे वह देश में राज्य करता रहे। उसने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें देहली के मिनिस्टर्स आते थे और वह दरबार की लिस्ट थी और वह लोग आते थे जो टाइटिल होल्डर्स थे और वह लोग आते थे जिनको कमांडर द्वारा सोर्ड दी गई थी। उन लोगों को छूट दी गई थी जो अंग्रेजों के पक्के गुलाम थे या उनकी हां में हां मिलाते थे या ऐंटाइटिल्ड क्लास के लोग थे इसमें ५०० रुपये तक का जमीन्दार आता था या वह जो १०० रुपये इनकमटैक्स देता हो, या वह आता था जिसका १०० रुपये सरकार में वेतन था उनको दिये जाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस बन्धन को धीरे-धीरे ढीला किया।

१९२२ में कमेटी बैठी। उसने कुछ और आगे लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय यह नियम बना था कि लालेस और डेंजरस आदमियों को ये न दिये जायें। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि आजकल जहां चोरियां होती हैं या डकैतियां पड़ती हैं तो चोरों के पास बड़े-बड़े हथियार मौजूद होते हैं और उनके पास स्टेन गन तक रहती है। उन लोगों को कानून नहीं रोक पा रहा है जिनको हथियार नहीं मिलने चाहिये थे और जिनको मिलने चाहिये थे उनको रोक रहा है। आज हम देखते हैं कि डकैती पड़ती है और डकैत घिर जाते हैं लेकिन समूचे गांव के पास बन्दूक नहीं है। इसलिये जब वह फायर करना शुरू करते हैं तो गांव वाले अपनी जान बचा कर भाग जाते हैं। ऐसे मोड़ पर डकैत घिर गये हैं कि गांव का एक आदमी भी न मरे और डकैत सब मर सकते हैं। लेकिन हथियार न होने से गांव वाले हाथ मल कर रह जाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

यह १९२२ का कानून हमारे लिये घातक सिद्ध हो रहा है। इसके कारण हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। गांव के आदमी आज तड़प रहे हैं। वह सोचते हैं कि आजादी के अन्दर हम अपनी जान तक नहीं बचा सकते हैं। इसकी नौबत दूर रहती है। डकैत आते हैं और सीने पर बन्दूक तथा पिस्तौल रख देते हैं और वह डर के मारे आंख मूंद लेता है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंख मून्द लेता है और समझता है कि संकट टल जायगा। वह चुपचाप पड़ा रहता है और कहता है कि चोर आये हैं ले जाने दो, अगर जरा भी आवाज निकली तो गोली का निशान बना दिये जाओगे। इसलिये वह आवाज नहीं निकालता है और चाभी का गुच्छा निकाल कर फेंक देता है। इसलिये यह कानून हमारे लिये घातक बना हुआ है। इस कलंक के लिये अगर मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा।

आज हमारे थाने जो बने हुये हैं वे पुराने जमाने के बने हुये हैं और इनमें आबादी भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन थानों की संख्या वही है। आज मांग आती है कि हमारे यहां डकैतियां पड़ रही हैं लिहाजा चौकी बनायी जाय। लेकिन उसकी भी सुविधा नहीं की जाती। यह भी देखा गया है कि पुलिस के आदमी डकैतों के साथ पाये गये, उनको मुअत्तल किया गया है और निकाले भी गये हैं। पुलिस का सिपाही रात को गांव के किसी चौधरी की चौपाल पर मजे में सोता है और वह गांव की सुरक्षा की चिन्ता नहीं करता। इतना ही नहीं मेरे जिले में ६० कदम की दूरी पर थाना था। वहां कस्बे की पांच दुकानों को लूटा गया और थाने से चलकर पुलिस के आदमी उन डकैतों को पकड़ने में असमर्थ रहे। वहां की जनता ने आदमियों के द्वारा थाने में सूचना भेजी कि हमारे यहां डकैती पड़ रही है, हम लोगों को लूट रहे हैं, आओ और बचाओ लेकिन कोई चिन्ता नहीं की गई।

आज हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गयी है कि जिन्दगी भी खतरे में पड़ गई है। आज लुटेरों, चोरों, बदमाशों, उठाईगीरों को पूरा दन्ड नहीं मिल पा रहा है। जहां तक थानेदार का सम्बन्ध है, वह क्यों इन्तजाम करने लगा? उसको उन गुंडों, बदमाशों, चोरों, डकैतों से उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा रिश्वत के रूप में या हिस्से के रूप में मिल जाता है। तो फिर उनका हुक्म माने या माननीय मन्त्री जी का हुक्म मानें? तो यह एक बड़ी चिन्ता का प्रश्न है कि हम लोग अपने-अपने गांवों की सुरक्षा किस प्रकार करें। हमारे प्रदेश में जितने भी गुंडे, बदमाश, और लुटेरे हैं, सबको छूट है। दिन दहाड़े सीना तान कर चलते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं।

१९५८ में २३ हजार ५ सौ ७३ हीनयस क्राइम्स हुए और ४४ हजार ५ सौ ८१ साधारण क्राइम्स हुये। हीनयस क्राइम्स में जो चालान हुये उनकी संख्या है ९ हजार २ सौ ७१, जिनमें ५ हजार ३ सौ ५९ को सजा मिली। तो क्या माने हुये? जिन लोगों ने जुर्म किया था और जनता को तंग और परेशान किया था चाहे पुलिस की मेहरबानी समझिये या हमारी बेवकूफी समझिये आज वे सीना ताने डोलते हैं और सुरक्षा को भंग करते हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह गांव वालों को कुछ न कुछ इसमें छूट दें जिससे वह अपनी रक्षा कर सकें।

अंग्रेज ने एक स्टेटस कायम किया था कि जो हमारे गुलाम से गुलाम हैं उनको लाइसेन्स देंगे। उन स्टेटस को आज खत्म करना चाहिये। आज जितने भी एग्जेम्प्टेड क्लास के हैं, उनसे टाइटिल छीन लिये गये, जमींन्दारियां छीन ली गईं, मैं जानना चाहता हूं कि उनके हथियार क्या हुये। मैंने १९४७ में देखा था। मेरे जिले के अन्दर बोगियां भर कर के हथियार निकले थे। कारतूस और बारूद बनाने की मशीनें निकली थीं। उन हथियारों को कहां इस्तेमाल किया जाता है? पुलिस एनटाइटिल्ड क्लास, एग्जेम्प्टेड क्लास किसी से भी पूछा जाय तो वह कह देगा कि हम चोरों और डकैतों को कारतूस नहीं देते तो डकैत कहां से लाते हैं? इसलिये मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है एग्जेम्प्टेड क्लास के पास जितने भी लाइसेन्स हैं, जितनी उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यकता हो केवल उतने ही लाइसेन्स उनके पास रखे जायं।

कलेक्टर महोदय, तहसील के द्वारा जो स्टेटस की जांच करते हैं, उसमें पटवारी से लेकर तहसील तक उसकी खुली लूट होती है। उसके स्टेटस के नाम पर पटवारी, कानूनगो और तहसील में उसकी लुटाई होती है। अगर कोई नहीं देता है, ढाई तीन सौ रुपया लगान देता है, ६० हजार की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है लेकिन लिख दिया जाता है कि इसका स्टेटस ठीक नहीं है। लेकिन उसके विपरीत जिसका ४५ रुपया लगान है, कोई दूकान या मकान नहीं उसका स्टेटस बहुत बढ़िया लिख दिया जाता है। उसी आधार पर कलेक्टर महोदय लिख देते हैं। आज हम यह मांग करते हैं कि इस स्वतन्त्र प्रदेश के अन्दर प्रत्येक आदमी का समान स्टेटस है, इस स्टेट्स वाली बात को निकाल दिया जावे।

अंग्रेजी राज्य में जब १०० रुपये महीने किसी को तनख्वाह होती थी, यानी १२ सौ रुपये साल की जिसकी आमदनी थी वह हकदार था लाइसेंस का, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज ऐसे वक्त में एक मामूली से मामूली मजदूरी करने वाला भी तीन चार पांच रुपये तक कमा लेता है। तो इसलिये स्टेटस की कैद जो आज जिलों के अन्दर लगी हुई है उसको निकाल दिया जाय। मैंने भी अपने प्रस्ताव में इस स्टेटस वाली बात को नहीं रखा है और मैं यह भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मैंने मांग की है कि २५० की जनसंख्या के ऊपर लाइसेंस दिया जावे। जो सन् १९२२ में एक कमेटी बैठी थी बाबा उजागर सिंह बेदी के रिजोल्यूशन के ऊपर ; उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है--

"A resolution was moved in the Assembly on the 8th of February, 1922, by Baba Ujagar Singh Bedi, to the effect that a committee.....

.....Our colleagues Mr. Bajpai, Mr. Reddi and Mr. Faiyaz Khan, favour the adoption of a system by which licences should be issued without restriction to all applicants on payment of the prescribed fee save in the case of undesirable persons specified in a list kept for the purpose."

तो वह भी इस विचार के थे सन् २२ में उस कमेटी के सदस्य कि प्रत्येक आदमी को लाइसेंस लेना चाहिये जो दरख्वास्त देता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर के कहा है --

"In our view the normal practice should be that no limit should be placed on the number of licences which may be issued in any district or province."

उन्होंने कहा है कि कोई नम्बर निश्चित नहीं करना चाहिये कि अमुक विलेज या अमुक प्राविंस के लिये कितना लाइसेंस होना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ कुछ उन्होंने और कहा--

".....to limit the number of arms in any area or district if there is reason to apprehend serious danger from the free grant of licences and if such restriction is necessary for the maintenance of the public tranquillity."

अगर इन लाइसेंसेज से खतरा पैदा होता है पब्लिक के लिये तो उसको रोका जाय, उस पर पाबन्दी लगाई जाय। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर इन लाइसेंसेज पर कोई रोक लगाई जावे, क्योंकि आज जिनके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए उन पर छूट चल रही है। उस छूट के कारण जनता कराह उठी है। इस प्रस्ताव को कमेटी ने भी स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था--

"The Central Government accepts the principle underlying this recommendation that the grant of licences should be less restricted and more free from irksome enquiries than was represented to be the case by many

[श्री हिम्मत सिंह]

witnesses examined by the Committee and agrees with the qualifications suggested by the Committee as providing sufficient prima facie justification for the possession of arms."

उन्होंने इस बात को माना था कि लाइसेंस में भी छूट मिलनी चाहिए और जो इन्क्वायरी की जाती है उसकी परेशानी को भी कम करना चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैंने केवल एक ही बात कही है इस गरीब प्रदेश की जनता के लिए कि ढाई सौ की आबादी के ऊपर प्रत्येक आदमी को या उसके किसी अंश पर, ग्राम सभा की सम्मति से बन्दूक दी जावे और यह मैंने आपको बताया कि कमेटी का भी विचार यह था कि लाइसेंस के लिए छूट दी जावे। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया। लेकिन साथ ही साथ सामने एक प्रश्न और आता है एन्क्वायरी का। क्या एन्क्वायरी इस पुलिस के द्वारा करायी जावे।

आज हमारे प्रदेश की पुलिस इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसके लिए कमीशन बनाया जाता है। माननीय मंत्री महोदय खुद चिन्तित हैं कि क्या किया जाय, तो उसकी इन्क्वायरी किससे करायी जावे? यह प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि थानेदार भी बिना रिश्वत लिये हुए एक भले आदमी को बन्दूक की सिफारिश नहीं करता है और इतना ही नहीं वह यह लिख देते हैं कि बन्दूक नहीं देनी चाहिए। कोई ग्राउन्ड नहीं लिखते हैं। उसका डिटो एस० पी० कर देते हैं और कलेक्टर भी आंख मूंद कर उसको स्वीकार कर लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जो लाइसेंस के लिये पुलिस के द्वारा इन्क्वायरी कराई जाती है वह सर्वथा गलत है। यही विचार इस कमेटी की रिपोर्ट में भी जाहिर किये गये हैं कि यह इन्क्वायरी पुलिस के द्वारा नहीं कराई जानी चाहिए--

"We believe that the present practice by which enquiries are almost entirely carried out by the police is open to objection by the public and should as far as possible be abandoned. In any case in which it is found necessary to have an enquiry made through the agency of a police officer we are strongly of opinion that a licence should not be refused merely on the strength of the report of such an officer alone but that the District Magistrate should order a magisterial enquiry also before coming to a final decision."

मैं यह बतलाऊं कि सन् १९२२ के अन्दर भी यह विचारधारा मौजूद थी कि पुलिस के द्वारा इन्क्वायरी नहीं कराई जानी चाहिये और इस पर अमल नहीं किया जाना चाहिये। यह सच है कि उनको पहले अपनी राय रखना चाहिये। इसलिये मैंने कहा है कि गांव सभा की राय इसमें ली जानी चाहिए, क्योंकि गांव सभा के आदमी जानते हैं कि कौन आदमी भला है और कौन आदमी बुरा है। लिहाजा उनकी सिफारिश के अनुसार ही किसी आदमी को बन्दूक देनी चाहिये। मैं आपके सामने यह बात इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आज हमारे यहां जनजीवन खतरे में पड़ गया है। यह बचाना आपके हाथ में है। अगर सरकार बचाना चाहे तो उनको बचाया जा सकता है नहीं तो उनको बेकार कर सकती है।

हम देख रहे हैं कि आज जनता भयभीत होकर गांवों से भाग रही है। आज इस युग में जबकि एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात चल रही है तो आप यह बात करते हैं कि बन्दूक के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये जायं। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि फायर आर्म्स प्रत्येक आदमी को, जहां तक २५० के ऊपर आबादी है, मिलना चाहिए और वह गांव सभा की सिफारिश पर मिलना चाहिये। यह मेरा छोटा-सा प्रस्ताव है और निर्विरोध प्रस्ताव है और सारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिये हितकारी है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अधिष्ठात्री महोदया, मैंने इस बहस में जल्दी भाग लेना इस कारण उचित समझा कि स्थिति को ज्यादा स्पष्ट कर दूं तो शायद माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस ले लें। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रस्ताव का जहां तक मन्शा है, उससे मेरा कोई विरोध नहीं था लेकिन जैसा कि प्रस्ताव में आया है, मेरी समझ में यह नहीं आया कि २५० की जनसंख्या से क्या आशय है। क्या २५० की जनसंख्या जिस गांव की है उसमें यह लाइसेंस मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिए ?

दूसरी आपत्ति यह है कि गांव सभा की अनुमति से खरीदने की अनुमति दी जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीया, जिस प्रकार की स्थिति आज है, और जिस प्रकार के रूल आज बने हुये हैं वे सन् १९३५ में बने थे। इंडियन आर्म्स ऐक्ट, १८७८ के अन्तर्गत वे बने थे। आर्म्स ऐक्ट, १८७८ की जगह जो आर्म्स ऐक्ट, १९५९ में बना था उसके लागू होने में अभी देर है। जिस समय यह लागू हो जायगा, आशा यह की जाती है कि यह जल्दी लागू हो जायगा तो उस समय जो यू०पी० आर्म्स रूल्स, ३५ है, वे बेकार हो जायंगे। यह केन्द्रीय सरकार का एक ऐक्ट है। उस ऐक्ट के अन्दर इस सरकार को कोई आज्ञा निकालने का अधिकार नहीं है अतः जिस दिन यह १९५९ का ऐक्ट लागू हो जायगा, इस सरकार को कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं रह जायगा और फिर हम इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे।

जहां तक नीति का प्रश्न है, शासन की नीति जो सन् १९४८ से आज तक लाइसेंस देने के बारे में रही है उसके सम्बन्ध में मैं बाद में निवेदन करूंगा, लेकिन इस ऐक्ट में जो दो धारायें हैं उनको मैं पहले आपकी आज्ञा से सदन के सामने उसकी सूचना के लिये पढ़ देना चाहता हूं। धारा ९ जो सन् १९५९ के ऐक्ट में है उसमें दिया हुआ है--

"9. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Act—

(*a*) no person—

(i) who has not completed the age of sixteen years, or

(ii) who has been sentenced on conviction of any offence involving violence or moral turpitude to imprisonment for a term of not less than six months, at any time during a period of five years after the expiration of the sentence, or

(iii) who has been ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1898, a bond for keeping the peace or for good behaviour, at any time during the term of the bond,

shall acquire, have in his possession or carry any fire-arm or ammunition;"

इसमें यह है कि १६ वर्ष से नीचे के व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जायगा। किसी को ६ महीने की सजा किसी अनैतिक कार्य करने के लिये हो गयी हो और उसे ५ वर्ष न हो गये हों तो उसे या किसी को चेप्टर ८ जो जाब्ता फौजदारी का है उसमें प्रतिबन्धित किया गया हो, उस समय के बीच में लाइसेंस नहीं दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--पागल आदमी को दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--आप सुन लें। दूसरी धारा १४ मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है कि केवल इन्हीं व्यक्तियों को लाइसेंस मना किया जायगा। वह इस प्रकार है --

14. (1) Notwithstanding anything in section 13, the licensing authority shall refuse to grant—

(*a*) a licence under section 3, section 4 or section 5 where such licence is required in respect of any prohibited arms or prohibited ammunition ;

[श्री रामस्वरूप यादव]

(*b*) a licence in any other case under Chapter II—(i) where such licence is required by a person whom the licensing authority has reason to believe—

(1) to be prohibited by this Act or by any other law for the time being in force from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition, or

(2) to be of unsound mind, or

(3) to be for any reason unfit for a licence under this Act ; or

(ii) where the licensing authority deems it necessary for the security of the pub ic peace or for public safety to refuse to grant such licence.

(2) The licensing authority shall not refuse to grant any licence to any person merely on the ground that such person does not own or possess sufficient property.

(3) Where the licensing authority refuses to grant a licence to any person it shall record in writing the reasons for such refusal and furnish to that person on demand a brief statement of the same, unless in any case the licensing authority is of the opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement.''

प्राहिबिटेड आर्म्स साधारणतः असरकारी व्यक्तियों को नहीं मिलते, जो आर्म्स रखने के अधिकारी हैं उनको भी वे नहीं दिये जायंगे। माननीय सदस्य ने अनसाउन्ड माइन्ड वाले आदमी की बात उठायी, उनको भी यह लाइसेंस नहीं दिये जायंगे। इस धारा में सब-सेक्शन २ जो है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास काफी संपत्ति नहीं है तो लाइसेंस न दिये जाने के लिये यह वजह ही काफी नहीं होगी और उसे नहीं माना जायगा। मैं समझता हूं कि जिस समय यह ऐक्ट लागू हो जायगा, जो कि केन्द्रीय सरकार का अधिकार है, यह सब कठिनाइयां जो इस समय है हट जायंगी और साधारणतः जो व्यक्ति ठीक होंगे, जिनका समाज में कुछ स्थान होगा, और जिन्होंने ऐसा कार्य न किया होगा कि जो अनैतिक हो, मैं समझता हूं कि उनको लाइसेंस पाने में दिक्कत न होगी।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मेरे जिले में एक ऐसा बन्धन लगा दिया गया है कि जो व्यक्ति १२० रुपया लगान नहीं देता उसको लाइसेंस नहीं दिया जायगा। तो यह क्या पूरे सूबे के लिये कोई नियम है अथवा केवल मेरे जिले के लिये ही लागू किया गया है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने बतलाया कि इस समय १९३५ के रूल्स के मुताबिक लाइसेंस दिये जाते हैं। अब जो लाइसेंस दिये जायंगे वे १९५९ के ऐक्ट के मुताबिक दिये जायंगे और संपत्ति के आधार पर ही लाइसेंस इंकार नहीं किया जायगा।

श्रीमन्, जहां तक १९४८ से अब तक लाइसेंस देने की इस सरकार की नीति का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि १९५० में एक आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ था कि १९ जिलों में, जिनके नाम पढ़ना यहां मैं उचित नहीं समझता, लेकिन वहां बहुत-सी डकैतियां पड़ी हैं, उनके लिये यह आदेश हुआ था कि वहां ऐसे व्यक्तियों को जिनका समाज में कुछ स्थान है और जो फायर आर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं उनको लाइसेंस दे दिये जायं और १० फीसदी सरकार के पास जो ऐसे अस्लहा आते हैं जमा होने के लिये, वे मालखाने से उनको दे दिये जायं ।

सन् १९५५ में जो रूल १३२ है उसमें संशोधन किया गया सिर्फ इस कारण से कि स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, प्रधानों और सरपंचों को लाइसेंस मिलने में सुविधा हो सके। सन् १९५६ और सन् १९५८ में भी आदेश जारी हुए जिनके द्वारा विलेज डिफेन्स सोसाइटी भी बनाई गयीं।

इस वक्त बुलन्दशहर के लिये लाइसेंस देने की एक विशेष आज्ञा है और वहां पर लोगों ने बहुत से लाइसेन्स हासिल कर लिये हैं। वहां गांव की डिफेन्स सोसाइटी के सदस्य उनके रिटेनर होते हैं और गांव की सुरक्षा के लिये उनका प्रयोग करते हैं। हमारी यह नीति रही है कि ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दिये जायं। अगर गम्भीरता के साथ इस विषय को देखा जाय तो आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि वहां ज्यादा लाइसेंस देना भी उचित नहीं होता है। जहां दुर्भाग्यवश डकैतियां बढ़ गयी हैं वहां से यह शिकायत आई है कि वहां पर असलहा तो नहीं, लेकिन जो एम्यूनीशन होते हैं उनका प्रयोग वहां पर हुआ है। इसलिये यह सम्भव नहीं हो सकता है कि ऐसे नियम बना दिये जायं कि हर व्यक्ति को बिना, उसकी तस्दीक किये, लाइसेंस दे दिये जायं।

उन क्षेत्रों में जहां अव्यवस्था होती है वहां से ऐसी शिकायतें आती हैं और कहीं-कहीं से तो ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि लोगों ने अपने असलहा तक दे दिये हैं ऐसे जुर्मों को कराने के लिये। इसलिये यह आवश्यक होता है कि लाइसेंस देने से पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जांच करा ली जाय और यह देख लिया जाय कि वह व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि जो उसका दुरुपयोग करे। जांच के बाद ही उसको लाइसेंस दिया जाना उचित है। इसके अलावा जो माननीय सदस्य की मंशा है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने जो ऐक्ट पास किया है जब वह लागू हो जायेगा तो उससे सुविधा और बढ़ जायेगी और मैं जाहिरा यह समझता हूं कि जो अच्छे व्यक्ति मालूम होते हैं उनको लाइसेंस मिल जायेगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जो केन्द्रीय सरकार ने ऐक्ट बनाया है वह यहां कब तक लागू हो जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—निश्चित रूप से तो कहना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि यह उनका अधिकार है। लेकिन जब ऐक्ट उनका पास हो चुका है अभी सन् १९५९ में, तो मैं आशा करता हूं कि वह जल्दी ही लागू हो जायेगा। और जब वह लागू हो जायेगा तो यह रूल्स अपने आप खत्म हो जायेंगे और वे जो नियम बनायेंगे उनके अन्तर्गत लाइसेंस दिये जायेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस व्यक्ति के लिये बन्दूक के लाइसेंस के लिये विधायक सिफारिश करे उस पर कलेक्टर स्वयं अपने विवेक से हुक्म दें और उनको पटवारी या किसी तहसीलदार के पास न भेजें ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो डिटेल्स का प्रश्न है। अब जब उस ऐक्ट के मुताबिक रूल्स बन जायें तब इस पर विचार किया जा सकता है। वैसे यह कोई मुश्किल चीज नहीं है, इस पर विचार हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरे विचार से सब सदस्य प्रश्न ही कर लें तो अच्छा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं ऐसा समझता हूं कि बात बहुत साफ हो जाय। अगर माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें कि केन्द्रीय सरकार का जो कानून बना है और उसके लागू होने में थोड़ी देरी है तो उसकी रोशनी में सरकार अपने जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दें कि वे जितने उदार तरीके से लाइसेंस दे सकें दे दें। तो ऐसी हिदायत करने में इस समय सरकार को क्या दिक्कत है ? अगर ऐसा हो जाय तो इससे हमारी बहुत कुछ कठिनाई दूर हो जायेगी।

श्री रामस्वरूप यादव—मान्यवर, मैंने तो यह निवेदन किया था कि सरकार द्वारा सन् ५६ और सन् ५८ में ऐसे आदेश भेजे जा चुके हैं।

एक सदस्य—लेकिन उन पर कतई अमल नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप यादव—उनको यह आदेश दिये गये हैं कि जो व्यक्ति ऐसे हों जिनको लाइसेंस दिये जा सकते हों उनको दिये जायं। अब जो आपके सुझाव हैं, उन पर विचार किया जायेगा।

*श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, श्री हिम्मत सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को अगर सरकार मान लेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के अन्दर जो राहजनी, चोरी, डकैती और नकबजनी आदि होती है उनमें बहुत कुछ कमी हो जायगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि डकैतियों में, राहजनियों में और चोरियों में इस सरकार का हाथ है और इसलिये अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश के अन्दर डकैतियां, चोरियां और नकबजनियां न हों तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह कम से कम हर गांव के अन्दर एक-एक, दो-दो आदमियों को लाइसेंस दे दे। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस तरीके के काम नहीं हो सकते। आज प्रदेश में देखा जाय तो जितने लाइसेंसदार सरकार के हैं उनसे २० गुना हथियार गुंडों पर, डकैतों पर, चोरों के पास और डाकुओं के पास हैं। पता नहीं सरकार का दिमाग इस सम्बन्ध में क्या काम कर रहा है कि जो भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और अपनी रक्षा करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को तो सरकार लाइसेंस देती नहीं है और जो गुंडे हैं, डकैत हैं, चोर हैं वे फौरन हथियार खरीद लेते हैं और फिर शरीफ आदमियों को परेशान करते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि प्रधान की सिफारिश पर अगर उसका चालचलन खराब न हो, ११० नम्बरी न हो, उसे कम से कम लाइसेंस दे दिया जाय। ऐसे आदमियों को हम लोगों ने पेश किया है जो बहुत शरीफ आदमी हैं और जो खादर के रहने वाले थे, जहां बहुत ज्यादा जंगल थे लेकिन जिलाधीश महोदय ने उन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया।

इस वक्त एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जिलाधीश महोदय अल्पबचत योजना के लिये पैसा मांगते हैं २ सौ रुपये, ४ सौ रुपये, और हमारे जिले में तो एक नियम बना रखा है कि ५ सौ रुपया दो तब लाइसेंस मिलेगा और कभी-कभी तो १ हजार रुपया तक मांगते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह इस बात की इन्क्वायरी कराना चाहें तो जितने भी शाहजहांपुर में लाइसेंस दिये गये हैं उनके सर्टीफिकेट के हिसाब-किताब को दो तीन महीने पहले लाइसेंस मिलने को देख लिया जाय, पता चल जायगा कि वही लाइसेंस पाये हैं जिन्होंने यह सर्टीफिकेट खरीदा है और जिन्होंने अल्प बचत योजना में सर्टीफिकेट नहीं खरीदा है उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी गयी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब कोई आदमी दरख्वास्त लाइसेंस के लिये देता है तो उसे कम से कम दो-दो, तीन-तीन साल लग जाते हैं। मैंने शाहजहांपुर की तिलहर तहसील के बारे में सवाल पूछा था तो मुझे जो जवाब दिया गया है उसको देखा जाय। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो एक टाइम मुकर्रर कर दीजिये। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस पाने के लिये दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त की तारीख से तीन महीने के अन्दर उस पर फैसला हो जाना चाहिये कि उसको दिया जायगा या नहीं। तीन महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस लाइसेंस के सिलसिले में जो पेशकार हैं, अहलमद हैं और यहां तक कि हाकिम परगना और जिलाधीश महोदय भी डाली अपने लिये चाहते हैं और जब डाली मिल जाती है कुछ न कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामग्री की शक्ल में या पैसे की शक्ल में, तब कहीं लाइसेंस मंजूर होता है नहीं तो दो-दो, तीन-तीन साल तक फैसले में लग जाते हैं। मैं मंत्री जी से इस बात के लिये फिर दरख्वास्त करूंगा जोरदार शब्दों में कि लाइसेंस पाने के लिये जब दरख्वास्त दी जाय तो तीन महीने से ज्यादा टाइम उसके फैसले में न लगाया जाय।

इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जिले में हर एक थाने में आप देखें, सैकड़ों वारदातें हुईं। डकैतियां और राहजनी हुईं उनकी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जाती। मेरे खयाल से २५ फी सदी से ज्यादा की रिपोर्टें दर्ज नहीं हैं। सारे जिले में हाहाकार मचा हुआ है, दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही हैं। मेरे यहां एक गांव धसा कल्याणपुर में चार बजे एक मकान को घेर लिया, गोली बारी की और मकान में आग लगा दी। लेकिन अगर उस गांव में दो चार असलहा होते तो डाकुओं की वहां आने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें उनका कल्याण है, प्रदेश का कल्याण है और जनता का कल्याण है कि वह हर गांव में ऐसी व्यवस्था करें कि कोई गांव ऐसा न रह जाय, जैसा कि हिम्मतसिंह जी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि ढाई सौ की जनसंख्या वाले गांव में एक असलहा जरूर दे देना चाहिये। माननीय मंत्री इसको स्वीकार करने की कृपा करें, इतना ही मुझे कहना है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं इतना जानना चाहता हूं कि इस लाइसेन्स में सिर्फ बन्दूक ही है या रिवाल्वर भी शामिल है। जब रिवाल्वर के लिये दरख्वास्त दी जाती है तो उसको क्यों नहीं मंजूर किया जाता? बन्दूक तो बड़ी होती है, उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है लेकिन रिवाल्वर तो गांव-गांव में बनते हैं, थोड़े पैसे में मिल जाता है। आपने कारतूस भी ६४ रुपये से १३५ रुपये सैकड़े बेचने का हुक्म दे रखा है। तो यह कौन-सी भलमनसाहत है कि रिवाल्वर के लिये दरख्वास्त देने पर उसको भी नहीं मंजूर किया जाता? ....

श्री अधिष्ठाता—आप तो भाषण करने लगे।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कहा तो यह जाता है कि एक-एक गांव में तीन-तीन बन्दूकें होनी चाहिये लेकिन दस दस मील तक कोई बन्दूक नहीं है और इसके अलावा रिवाल्वर के लिये भी जो दरख्वास्त देते हैं उस पर भी आपने रोक लगा रखी है, ऐसा क्यों है यह जरा बता दीजिये।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—मैं यह जानना चाहता हूं कि एयर गन लाइसेन्स जौनपुर जिले में ही हैं या अन्य जिले में भी।

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न नहीं उठ रहा है।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—मैं समझता हूं कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिये थी क्योंकि प्रस्ताव जो है उसमें यह कहा गया है कि यह सदन का निश्चित मत है कि गांव की सुरक्षा के लिये २५० की जन-संख्या या उसके किसी अंश पर प्रत्येक सच्चरित्र नागरिक को फायर आर्म्स को गांव सभा की अनुमति से खरीदने की सुविधा दी जावे। इसमें मेरी यह समझ में नहीं आया कि क्या सुविधा दी जाय। कर्जा दिया जाय या तकावी बांटी जाय जिससे वह फायर आर्म्स खरीदें।

(व्यवधान)

इसमें साफ करना चाहिये था कि लाइसेन्स की छट दी जाय या पैसे की छूट दी जाय...

श्री अधिष्ठाता—सदन में इस तरह से सदस्यों का आपस में बात करना अनुचित है।

श्री लालबहादुर—अधिष्ठात्री महोदया, यह देश गौतम बुद्ध, कपिल, कणाद, गांधी और रहीम का है और मेरे और आपके जैसे भी छोटे-छोटे लोग हैं।

[इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष (श्री रामनारायण त्रिपाठी,) पीठासीन हुये।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्म्स अपने आप तो डाका डालने जाते नहीं। बन्दूकें तो सरकारी खजाने में भी होती हैं। अगर माननीय सदस्य ने लोगों के चरित्र निर्माण की बात रखी होती तो वह कुछ समझ में आता लेकिन वह तो किया नहीं गया। यह कहा गया कि आर्म्स दे दीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि डाका डालने के लिये क्या लन्दन से लोग आते हैं, वह इस हिन्दुस्तान के नहीं होते। वह गांव और शहरों के ही लोग होते हैं, वह चन्द्रमा से स्पुटनिक पर बैठकर तो नहीं आते। मुझे तो डर है कि कहीं अगर इस तरह की आर्म्स में छूट दे दी जाय तो डकैतियां बढ़ जायंगी और हो सकता है कि आपस में भी चलने लगें।

कहा जाता है कि फलाने थानेदार ने चोरी करवाई, फलाने सिपाही ने डाका डलवाया। हो सकता है कि वह चोर हो, डकैत हो। उसको आप सजा दिलवाइये। मैं कब कहता हूं कि सजा न दिलवाइये? उनको भी जरूर सजा होनी चाहिये। जो थानेदार चोरी कराये, बदमाशी कराये, वह चाहे थानेदार हो, चाहे सिपाही हो, चाहे हम हों, चाहे मिनिस्टर हो, सबको सिविल राइट्स एक समान हैं, उस पर मुकद्दमा चलाया जाय। लेकिन वेग कह देना ठीक नहीं है कि आर्म्स दे दीजिये या उनको खरीदने की इजाजत दे दीजिये।

आप जरा इस देश की आज जो हालत है उस पर गौर करें, और उसको देखकर हिम्मतसिंह जी अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। क्यों वापस ले लें? आज हमारे सामने समस्या यही नहीं है कि चोरी और डकैती बढ़ रही है, उनको ही रोका जाय बल्कि आज तो हमें अपनी माली हालत को डेवलप करना है, हमारे पास धन कैसे आये। चोरी डकैती होने का एक कारण गरीबी भी है और अनएम्पलायमेंट है, उसी के कारण बहुत से लोग चोरी करते हैं। मान लीजिये आपने आर्म्स दे दिये और चोरी डकैती रुक गयी। लेकिन जो लोग पिक पाकेटिंग करते हैं, जो जहर देते हैं, क्या उनको आर्म्स से रोक सकते हैं। यह न होगा तो दूसरे प्रकार के क्राइम्स होंगे। अगर आप चरित्र निर्माण का प्रस्ताव लाते तब तो ठीक हो सकता था।

जब आपका दिल और दिमाग हाई पावर का बनेगा तो लोग ऊंचे होंगे क्योंकि यह देश कपिल, कणादि, बुद्ध और गांधी का देश है जबकि लोग मानवता के नाम पर बड़ी-बड़ी सेक्रीफाइस करते थे। आज तो लोग पार्टीबाजी के झमेले में पड़ गये हैं और मानवता को छोड़ बैठे हैं वे सोचते हैं कि उधर से अगर कोई प्रस्ताव आया है तो इधर से विरोध किया जाय और इधर से आया है तो उधर से उसका विरोध किया जाय। इस सदन में तो बड़ी पवित्रता होनी चाहिये। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, आप अपने आदमियों को ट्रेनिंग दीजिये, क्लब खोलिये, वहां बन्दूक और पिस्तौल की ट्रेनिंग दीजिये। हम तो चाहते हैं कि हमारे नागरिक एटम और हाईड्रोजन बम चलाना सीखें लेकिन उसके लिये कुछ कीजिये तो। लेकिन आप तो चाहते हैं कि सरकार लाइसेन्स दे दे और डकैतियां बन्द हो जायं। मैं तो यह देखता हूं कि बड़े से बड़े लोगों की बन्दूकें डकैतियों में पकड़ी जाती हैं, उन लोगों की जो लोग बड़े स्टेटस के कहे जाते हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप किस कायदे से पूछना चाहते हैं?

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—व्यवस्था के प्रश्न पर सूचना नहीं मांगी जा सकती।

श्री लालबहादुर—आपने कहा है कि २५० आदमियों पर एक बन्दूक दे दी जाय। अब किसी गांव की आबादी ५,००० है तो वहां पर २० बन्दूकें हो गईं। अब जैसे गांवों में पार्टियां हैं। अगर उनमें कहीं आपस में मुठभेड़ हो गई तो आपस में ही बन्दूकें चल जायंगी। यह खतरा भी हो सकता है। आप सफेद साइड को ही न देखिये, काली साइड को भी देखिये।

इन हथियारों में से बहुत से हथियार चोर और डाकुओं के पास भी तो जा सकते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि वे हथियार चोर और डाकुओं के पास नहीं जायेंगे जैसा कि रोज रोज हम इस तरह की बातें देखते और सुनते हैं ? फिर भी मेरे भाइयों को समझने में दिक्कत होती है । आखिर में कैसे समझाऊं, कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करूं जिससे उनकी समझ में आवे ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय लालबहादुर जी आप दो तीन मर्तबा भाई-भाई कह चुके हैं । सदन की यह परम्परा है कि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्बोधित करके ही सदन से कोई बात कहें, यहां भाई के लिये कोई स्थान नहीं है ।

श्री लालबहादुर—मैंने आपके जरिये ही अपने-भाइयों से कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—आप किसी को भाई या आप कह कर सम्बोधित नहीं कर सकते हैं ।

श्री लालबहादुर—तो आपके द्वारा मैं अपने भाई हिम्मत सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और चुपचाप बैठें । मेरी तो यह राय है कि अगर यह मांग की गई होती कि एक कमीशन बैठायी जाय जिसमें सदन के १०, ५ आदमी बैठ कर विचार करें और उसमें मंत्री जी को भी रख लिया जाता और उसमें फायर आर्म्स के लाइसेन्स देने के प्रश्न पर विचार होता तो ज्यादा अच्छा होता । मेरी समझ में नहीं आता कि आज इस तरह से फायर आर्म्स गांव वालों को देने की बात क्यों की जा रही है, जबकि हम रोज सुनते हैं कि फलां जगह मानसिंह के गैंग द्वारा डकैती पड़ी, फलां जगह चरणा के गैंग द्वारा डकैती पड़ी और जिसे रोकने में पुलिस अपने को असमर्थ पाती है । उन पर काबू पाने में पुलिस को थोड़ी दिक्कत होती है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—बीच-बीच में कोई व्यवधान न करें, माननीय सदस्य को भाषण करने दें ।

श्री लालबहादुर—इन शब्दों के साथ में श्री हिम्मत सिंह से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ल लें ।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे ो उधर की तकरीरें सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह एक बहुत साधारण-सी मांग है और जिसके मानने की इस वक्त जरूरत है । हम सभी जानते हैं कि आज कल किस कदर जगह-जगह चोरियां व डकैतियां हो रही हैं, कत्ल होते हैं, नकबजनी होती है और वह भी रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी होती है। किसी भी जिले में कोई कमबख्त दिन होगा कि उसके हेड क्वार्टर पर यह खबर न आती हो कि फलां गांव में या फलां कस्बे में डकैती हो गई या कत्ल हो गये । मैं अपने जिले की बात कहूं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि पोस्ट मार्टम के लिये दो तीन लाशें न आती हों। अगर सरकार को इसमें कोई सन्देह हो तो वह इसके फीगर्स मंगा कर देख सकती है और उससे अपना इत्मीनान कर सकती है ।

अभी हाल ही में कस्बा औरंगाबाद में दिन में ही डकैती पड़ी जो पुलिस स्टेशन से चन्द कदम के फासले पर ही है। डकैत आये, बन्दूकें चलीं और वे नुकसान करके चले भी गये लेकिन मौके पर थानेदार साहब नहीं पहुंच सके । इसी तरह से मौजा किरवावली में डकैतों द्वारा छः कत्ल हो गये । तो ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि वह लोगों की हिफाजत के लिये लाइसेंस देने की अपनी पालिसी को बदले और ऐसे लोगों को जिनको गांव वाले नेक समझते हों और समझदार समझते हों, उनकी हिफाजत के लिये जरूर लाइसेंस दिये जाने चाहिये । इसमें पटवारी की भी सिफारिश मांगी जाती है । यह बड़े हैरत की बात है कि जो शख्स खुद अहल नहीं है बन्दूक लेने का, जो खुद लाइसेंस लेने के लिये क्वालीफाइड नहीं है वह दूसरे की क्वालिफिकेशन के लिये सर्टिफिकट देता है।

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

आजकल बन्दूक जो दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट किये जाते हैं वे इतने नाकिस किस्म के होते हैं कि अगर दो-चार फायर भी कर दिया जाय तो या तो नालगरम हो जायेगी, या नाल फट जायेगी। इसके अलावा अगर डबल ४५० बोर या ४५५ बोर के रिवाल्वर लेकर आयें और उनका सामना इन इम्पोर्टेड बन्दूकों से किया जाय तो इसका नतीजा उल्टा ही होगा। सरकार ने न मालूम क्या सहूलियत समझ कर इन बोरों के रिवाल्वरों के लाइसेंस जनता के लिये जाने पर रुकावट लगा दी है।

दूसरी तरह की परेशानी का सामना यह होता है कि जब अस्लाह दिये जाते हैं या उन का रिन्यूअल होता है तो एक सौदेबाजी का बाजार गर्म हो जाता है, सरकार को चन्दा दो या कर्जा दो, हर साल इस तरह के तमाम चन्दे और टैक्स लगाये जाते हैं और इसमें एक ऐसा कन्फ्यूजन हो गया है कि ऐसे लोग लाइसेंस पा जाते हैं जो अस्लाह को समझते तक नहीं। कारतूस जिनका बाजार में १५० रुपया सैकड़े का भाव हो वह कारतूस ५ रुपया सैकड़ों में ही आसानी से बिक जाते हैं। हर एक जानता है कि कौन क्या करता है और किस तरह से सिफारिशें होती हैं। जो लोग धनी होते हैं वह पा जाते हैं, जो चन्दा ज्यादा दे दे या कर्जा ज्यादा दे दे वह पा जाता है।

एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, उन का नाम लेने के लिये तो मुझे मजबूर न करें। उन साहब को लाइसेंस की ख्वाहिश थी, उन्होंने काफी चन्दा देकर किसी तरह से बन्दूक हासिल कर ली। बड़े आदमी थे, हर वक्त चौकीदार पहरे पर रहता था। एक दिन वह ऊपर सो रहे थे, रात को एक चोर घुसा। चौकीदार ने चोर को पकड़ा और उसमें और चोर में कुश्तमकुश्ता होने लगी। इत्तफाक से उन साहब की भी आंख खुल गई उन्होंने अपनी बन्दूक के बैरल में दोनों कारतूस डाले और सीढ़ी से नीचे वह आये, और वहां उन्होंने देखा कि चौकीदार और चोर में कुश्तमकुश्ता हो रही है। वह बन्दूक का चलाना तो जानते नहीं थे लेकिन घबरा कर उन्होंने अपनी तरफ बैरल की और दूसरी तरफ कुन्दा कर के मारने लगे, वह चल गई और बन्दूक उनके खुद के ही लगी और वह जख्मी होकर गिर गये, जब चौकीदार ने देखा कि उसके आकयेनामदार गिरे पड़े हैं तो उसने चोर को छोड़कर उनको उठाना चाहा लेकिन चोर छूटते ही भाग निकला, वह खुद इंतकाल फरमा गये। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिये जाते हैं। जब मैं अपर हाउस का मेम्बर था उस वक्त इस तरह की खबर अखबार में निकली थी। इस पर मैंने उनके भाई को लिखा कि किस तरह से यह हादसा हुआ, जब उस मेरे खत का जवाब आया तो उसमें यह वाकया लिखा था.....

एक सदस्य—शिकारपुर का वाकया था क्या ?

श्री रघुराज सिंह चौधरी—यह सरकार भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे लोगों को अस्लाह मिलते हैं कि जिनके कारतूस बाजार में ब्लेक में बिकते हैं।

बन्दानवाज, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जहां पुलिस का खर्च डेढ़ करोड़ से ९ करोड़ हो गया वहां जरायम और बढ़ गये। इस तरह से क्या पुलिस की हिफाजत पर भरोसा किया जा सकता है ? पुलिस तो सल्तनत के और सरकार की मखसूस हस्तियों की हिफाजत के लिये है, हमारी हिफाजत के लिये वह नहीं है, इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि गांव के लोगों की जिन्दगी पर रहम करके उन को अपनी हिफाजत के लिये अस्लाह दिये जायं। गांव के लोग हर एक के लिये सिफारिश न करेंगे, जिस को वह अच्छे चलन का समझेंगे उसी की सिफारिश करेंगे, पंचायतें हैं वह देखभाल कर के, अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर के खुद ही एहतियात के साथ सिफारिश करेंगे, इतनी जिम्मेदारी अगर आप उन को दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वह नअहल की सिफारिश न करेंगे।

जिलाधीश या एस० पी० क्या जानते हैं कि जिले में किसी गांव में कौन शख्स कैसा चालचलन रखता है। उन्हें खास तौर पर किन्हीं खास लोगों का हाल मालूम हो सकता है लेकिन उनके लिये सारे जिले के लोगों के चाल-चलन की बाबत जानकारी नहीं हो सकती और

लेखपाल और थानेदारों की रिपोर्ट पर ही कलेक्टर और एस० पी० अपना फैसला करते हैं, वह फैसला सही नहीं हो सकता । मेरी इल्तजा है कि हिफाजत के लिये असलहा का दिया जाना जरूरी है और मैं चाहता हूं कि प्राहिबिटेड बोर के लाइसेंसेज भी दिये जायं ।

यहां पहले गैर मुल्की सरकार थी उसने भी हमारा इतना भरोसा किया और उस जमाने में भी लोग हथियार मुस्तस्ना होकर रख सकते थे और जितने चाहते थे वह रखते थे । लेकिन आज अपनी सरकार होते हुये वह जो एक सहूलियत थी वह भी खत्म कर दी गई और एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया कि आप वह हथियार नहीं रख सकते जिससे दुश्मन का मुकाबला कर सकें । कैसे दुश्मन का मुकाबला करें ? उसके पास ज्यादा पावर की चीज है और हमारे पास एक खिलौना है । इसलिये मैं पूरे जोर तरीके से इस रिज्योल्यूशन की ताईद करता हूं और इस ओर सरकार की तवज्जह दिलाता हूं ।

एक तरफ आप कहते हैं कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी बनायेंगे और दूसरी तरफ असलहा के लिये स्टेटस मांगते है । अगर इसी बात पर चले तो हमारी फ़ौज और पुलिस पर भी हथियार नहीं होंगे---अगरचे यहीं मेयार रहा। असलहा और जेब से क्या ताल्लुक हो सकता है ? हो सकता है कि सरकारी खजाने में इससे पैसा आता हो, लेकिन यह गलत जरिया आमदनी का बन गया है ।

यह कहा जाता है कि किसी पर जोर नहीं दिया जाता । यहां बैठे-बैठे आप चाहें जो कुछ कह लें, लेकिन दो-दो और चार-चार महीना घूमना पड़ता है, रिन्यूअल नहीं होता क्योंकि उनके पास रुपया देने के लिये नहीं है । कम से कम एक घर को तो बख्श दीजिये । जान, माल और इज्जत की हिफाजत के मामले में तो कम से कम अपनी पालिसी को बदलिये, गांव वालों का कुछ भरोसा कीजिये। घर तो साहब आपका है लेकिन कोठी कुठले से हाथ मत लगाना। आप मुकदमा भी कर सकते हैं, जुर्माना भी कर सकते हैं, ८०-८० फीट की सड़क भी बना सकते हैं । लेकिन एक कील के वास्ते आप का भरोसा नहीं हो सकता कि वह सिफारिश करें और आप यह मानें कि आदमी ठीक है और लाइसेंस दिया जाय । लिहाजा मैं इस रिज्योल्यूशन की ताईद करता हूं और प्राहिबिटेड बोर के बारे में फिर तवज्जह दिलाता हूं ।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव बन्दूक के लाइसेन्स की बाबत आया है इसका मैं विरोध करता हूं वह इसलिये आया है कि ग्राम समाज जिसके लिये प्रस्ताव पास कर दे उसको बन्दूक का लाइसेंस दे दिया जाय । किसी वक्त में इस विचार का था कि जितने भारतीय हैं उनमें कोई भी ऐसा न हो कि जिसके पास अस्त्र न हो, अस्त्र अनिवार्य हो जाय । वह इसलिये कि उससे शिक्षा प्राप्त करके इस प्रकार उत्तीर्ण हो जायं कि अगर कोई विदेशी देश पर आक्रमण करे तो बने बनाये सिपाही मिल जायं। लेकिन अब मेरे विचार बदल गये हैं, यह प्रस्ताव भावावेश में रखा गया है । आज हमारी सरकार ने बल्लम और कांता फ्री कर दिया है । आप देहात में मेरे साथ चलें और यह सुनें कि ग्रामीण क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि उस गवर्नमेंट का नाश हो जिसने बल्लम और कांता फ्री कर दिया। उनका अर्थात शान्तिप्रिय जनता का जीवन खतरे में है । आप ५०० रुपये दे दो और कांता और बल्लम के बल पर गुन्डे दूसरे की फसल काटकर आपके खलिहान पर रखने के लिये तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कांता और बल्लम देहात में हैं, उनसे जो देहात की दशा हो रही है उसे मैं बतलाना चाहता हूं । अभी ५० चमारों के खेतों में कांता और बल्लमधारियों ने, जिनमें एकाध बन्दूकधारी भी थे हमला कर दिया । उनकी जमीन पर जबरदस्ती उन्होंने चमारों को जोतने बोने नहीं दिया, उस पर कब्जा कर लिया और उनके खेत पर से ५० मन गल्ला उठा लिया गया और पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके ऊपर केस चलाती । ऐसी हालत में आप समझ लें कि हर आदमी को आप शस्त्रधारी बना दें यह कहां तक उचित होगा ।

[श्री गुप्तार सिंह]

ग्राम समाज के सभापति की क्या यह हिम्मत है कि वह गुंडों को लाइसेंस न दे । अगर ग्राम पंचायतों के सभापति इतने हिम्मती हैं कि वे केवल चरित्रवान लोगों को ही लाइसेंस दें तब तो बात सिद्धान्ततः ठीक है लेकिन चरित्रवान व्यक्ति से तो वे सभापति, सरपंच डरेंगे नहीं, बल्कि जितने आततायी हैं, गुंडे, डकैत और बदमाश हैं या डकैतों के दोस्त हैं उनके लाइसेंस के डर के मारे पहले हो जायेंगे । बन्दूक उनकी चाहे डकैतो में न आये लेकिन कारतूस सप्लाई किया करेंगे । पुलिस की आज जिम्मेदारी है कि लाइसेन्स चरित्रवान को दें, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है । लाइसेन्स देने के बारे में, चरित्र का निर्माण, रहन-सहन वे देखते हैं तब तो डकैतों को बन्दूकें कहीं से, देशी रिवाल्वर कहीं से और रिवाल्वरों के कारतूस कहीं से मिल ही जाते हैं और ऐसे चरित्रवान लोगों से जिनको लाइसेन्स मिले हुये हैं --कप्तान, डिप्टी कमिश्नर और सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर और छानबीन के बाद तब तो वे डकैतों को कारतूस मुहइया करते हैं और अगर ऐसा हो गया कि ग्राम पंचायतों के हाथ में लाइसेंस देने का अख्तियार हो जाय तब क्या होगा ?

चरित्रवान को कोई आदमी गांव में डरता नहीं। डरता उनसे है जो बदमाश हैं जिनके ऊपर ११० चलाने की पुलिस की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनके खिलाफ शहादत ही नहीं मिलती, कत्ल होते हैं लेकिन गवाही नहीं मिलती । जब चोरी के हथियार हैं तब तो हालत यह है और जब खुल्मखुल्ला उनके हाथ में कहीं ये शस्त्र आ गये तब क्या होगा, भगवान जाने । वैसे तो बन्दूक प्राप्त करने का सिद्धान्त बहुत सुन्दर है पर स्वाति की बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाता है, बांस में गिर जाय तो बंसलोचन बन जाय, सीप में गिर जाय तो मोती बन जाय लेकिन काले सांप के मुंह में पड़ जाय तो जहर बन जायेगी । तो यह प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है लेकिन काले सांपों के मुंह में पड़ेगा तो जहर हो जायगा और वह काले सांप निर्बलों को खा जायेंगे ।

मैं आज इस विचार का हो गया हूं कि बल्लम व कांते पर भी लाइसेन्स लगना चाहिये और जिस आदमी के खिलाफ तीन बार रिपोर्ट हो जाय और साबित हो जाय कि यह फलां आदमी पर आक्रमण के समय बल्लम व कांता लेकर गया था या गोल बना कर किसी का खेत या पेड़ कटाने गया था तो उससे बल्लम व कांता छीन लिया जाय और उसका लाइसेन्स जब्त कर लिया जाय । यह मैं नहीं कहता कि गांवों में बन्दूकें न हों । हर मौजे में दो तीन बन्दूकों का लाइसेन्स डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस ठोंक बजा कर दे, जिसको चाहे जो योग्य हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लाइसेन्स देने में ग्राम समाज के सभापतियों की जान के भूखे आप न बनिये । मैं जानता हूं कि कोई सभापति शायद किसी ऐसे बदमाश को वे लाइसेन्स न देने की हिम्मत कर जायं तो फिर जिन्दा रहना सम्भव नहीं है कितने सभापति मारे जाते हैं इसका आप पता लगाइयेगा, कितने कत्ल होते हैं यह आप पता लगाइयेगा ।

मैं इस उसूल के विरुद्ध नहीं हूं । बन्दूक का लाइसेन्स हर व्यक्ति को दिया जाय लेकिन वह चरित्रवान हो होना चाहिये लेकिन ग्राम समाज के सभापति के कन्धे पर जो आप इसे छोड़ना चाहते हैं कि वह जिसको कहे उसे लाइसेन्स दिया जाय तो इसके लिये जरा आप गांव का निरीक्षण करें कि गांव में कैसे आदमी हैं और हालत क्या है । ज्यादा बन्दूकों का जोर किया जायगा तो पार्टियों के चुनाव में न कहीं इस्तेमाल होने लगें । अभी तो कंट्रोल के साथ हैं तब तो ईंटा पत्थर चलते हैं लेकिन अगर कहीं गोली चलने लगी तो कोई मीटिंग में नहीं आयेगा । इसके अलावा अभी तो जिम्मेदारी पुलिस की है लेकिन अगर गांव समाज को यह जिम्मेदारी दे दी गई तो कहीं ऐसा न हो कि पुलिस वाले डकैतों से मिल जायं और कहें कि डकैती कत्ल में हमारी जिम्मेदारी तो अब है नहीं अब तो गांव समाज बन्दूक के लाइसेन्स दिलवाती है । इसलिये हमको पुलिस को जिम्मेदारी से बरी नहीं करना है । यह जरूर है कि एक, दो बन्दूकें गांव में होनी चाहिये लेकिन गांव समाज को आम तरीके से लाइसेन्स की सिफारिश का अधिकार दे देने का मैं विरोधी हूं और इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प माननीय हिम्मतसिंह जी ने पेश किया है वह देश के लिये अत्यावश्यक है क्योंकि बढ़ती हुई डकैतियों को देखते हुये जिस तरह से गांव के निहत्थे किसान और मजदूर डाकुओं का मुकाबला करते हैं उसको देखते हुये सरकार को झिझकना नहीं चाहिये बल्कि गांव सभा के सच्चरित्र आदमियों के जिनको वहां का सरपंच या सभापति कहे उसे अवश्य लाइसेन्स देना चाहिये ।

हमारे क्षेत्र में एक गांव धनगढ़ा है जहां पर सशस्त्र डकैतों ने हमला किया । गांव के निहत्थे लोगों ने उनका मुकाबला किया । उनके पास कोई हथियार न होने का नतीजा यह हुआ कि तीन आदमी गोली से मार दिये गये । मारे गये व्यक्तियों के घर में केवल ३–३ और ४–४ वर्ष के बच्चे ही रह गये मगर जिस एक आदमी के यहां डाका पड़ा था उसकी रक्षा करने में उन्होंने अपनी जान दे दी । तो यह कहना कि गांव में सब डकैत होते हैं और अगर वहां बन्दूक दी गई तो एक कोहराम मच जायगा मैं इसको बिलकुल नहीं मानता ।

यह सरकार जो १३ वर्ष से इस मुल्क में हुकूमत कर रही है और उसका यह दावा कि अभी तक मुल्क के चरित्र का सुधार नहीं हुआ इस सरकार के लिये बहुत बड़ा कलंक है । गांव का सभापति गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है । सरकार ने यह अब एक बहुत अच्छी बात कर दी है कि सभापतियों का चुनाव बैलट बाक्स द्वारा होगा । इसलिये मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जो सभापति होंगे वे निहायत ईमानदार होंगे और यदि उनकी राय पर हथियार के लायसेंस न दिये जायं गांव की रक्षा के लिये तो यह इस सरकार के लिये बड़े शर्म की बात होगी ।

कुछ लोगों का कहना है कि आज कलेक्टर, हाकिम परगना और तहसीलदार बड़ी ईमानदारी से लाइसेन्स की दरख्वास्तों की छानबीन करके लाइसेन्स देते हैं । मगर जो लोग लाइसेन्स लेने जाते हैं उनके लिये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां डाली न देनी पड़ती हो । बिना डाली दिये दरख्वास्त एक जगह से दूसरी जगह खिसकती नहीं जब तहसीलदार के यहां डाली लग जाती है तो दरख्वास्त हाकिम परगना के यहां जाती है । इस तरह से लाइसेन्स की जो प्रथा संचालित है वह बड़ी दोषपूर्ण है । साल साल, दो दो साल लाइसेन्स लेने में लग जाते हैं । इस तरह की दरख्वास्तों के ऊपर कार्यवाही करने के लिये कम से कम समय रखा जाय ताकि जितनी भी लाइसेंस के लिये दरख्वास्तें पड़ें उनके लिये उनको लाजमी हो कि इतने दिनों में विचार करके उनको आगे बढ़ा दें ।

अल्प बचत योजना के लिये वहां से एक एक हजार रुपया वसूल किया जाता है और आप जानते हैं कि हमारी पंचायतें जो कायम हुई हैं, उनको यह भी काम दिया जा सकता है कि वह अपने गांव का लगान वसूल करें । ऐसी हालत में जो गांव भर का लगान वसूल होगा उसकी रक्षा के लिये हथियारों का होना नितान्त आवश्यक है । गांव में इस तरह की भावना पैदा करना यह हम लोगों का काम है और अगर हम लोग उनके ऊपर शुबहा ही करते रहेंगे कि गांव वाले चोर होते हैं तो यह ठीक नहीं होगा । वह तो चन्द पेशेवर लोग ही होते हैं । डकैतियों में गंवार ही शामिल नहीं होते हैं बल्कि पढ़े-लिखे लोग भी शामिल होते हैं । इसलिये गांव सभाओं के ऊपर शुबहा न किया जाय । इसलिये अगर सभापति या सरपंच प्रमाणित कर दे तो उसको लाइसेन्स दे दिया जाय । गांव सभाओं में जो सदस्य होते हैं उनको लाइसेन्स जरूर दिये जायं, ऐसा मेरा सुझाव है । मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर ठंडे दिल से विचार करे । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लाइसेंस देने से कुहराम मच जायगा ।

कांग्रेस के जो लोग हैं वह पता नहीं इस तरह की बात क्यों करते हैं ? उनके दिमाग में न जाने क्या भरा पड़ा है । जब आप जानते हैं कि गांव वाले आप लोगों को ईमानदार चुनकर भेज सकते हैं तो जो लोग गांव सभाओं में चुने गये हैं वह भी ईमानदार हैं । अगर आपको लाइसेंस दे दिया जाय तो क्या आप डकैती करेंगे ? ऐसी बात नहीं है कि जो चुने हुये लोग गांव में हैं

[श्री दुर्योधन]

उनके ऊपर शुबहा किया जाय कि वह डकैती करेंगे । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । इसलिये हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हथियार वाला प्रश्न कलेक्टर, तहसीलदार और हाकिम परगना के पास से हटा लें क्योंकि रिश्वत की बात तो सभी जानते हैं कि जब कोई मुकदमा होता है तो दोनों पार्टियों से नजराना लिया जाता है और कोई छूटता नहीं है । आप और हम सब जानते हैं कि जो हथियार मुल्क के हित में रखने वाले हैं उनका इससे पिंड छुड़ा देना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

(श्री बाबूराम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, इधर वाले लोगों को बोलने दिया जाय क्योंकि इधर वालों को ही आवश्यकता है और फैसला करना तो उनके हाथ में है ।

श्री उपाध्यक्ष---कांग्रेस के लोग बोलेंगे तो लाइसेंस मिलने में सहूलियत हो जायगी ।

(हंसी)

*श्री बाबू राम (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस समय सदन के समक्ष उपस्थित है उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । जहां तक गांवों का संबंध है चोरी और डकैतियों की वारदातें बढ़ती जाती हैं । श्रीमन्, मेरे सर्किल में कई गांव ऐसे हैं जिनमें डकैती हुई और लोग डकैतों का मुकाबला करते हुए मारे गये । सागलपुर गांव, थाना भौजीपुरा में एक शख्स ने डकैतों का मुकाबला करने का प्रयत्न किया लेकिन लाइसेंस न होने के कारण डाकुओं का मुकाबला नहीं कर पाये । मेरा सुझाव है कि हर गांव में कम से कम दो लाइसेंस होने जरूरी हैं ।

इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि ढाई सौ आबादी पर और ग्राम सभा की सिपारिश पर लाइसेंस दिया जाय इससे मैं सहमत नहीं हूं । गांव के अन्दर जो नेक, भले, ईमानदार हों, उनको लाइसेंस मिलने चाहिये । लेकिन हर एक गांव में कम से कम दो लाइसेंस जरूर मिलने चाहिए । आजकल की दुनिया में जान माल की हिफाजत के लिए लाइसेंस बहुत जरूरी है । होना यह चाहिए था कि आजाद देश में लाइसेंसों की आम सुविधा होती लेकिन जो लोग लाइसेंस चाहते हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है । तहसील और थाने में बजाय इसके छानबीन करें कि इस व्यक्ति के लिये लाइसेंस जरूरी है या नहीं, उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाती है । हर गांव के अन्दर इस बात की जांच की जाय कि कौन आदमी नेक और भला है । उसको लाइसेंस दिया जाय । गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जो उनको परेशानियां और दिक्कतें होती हैं, उनको न हों और उनको लाइसेंस मिलने में आसानी हो । इससे गांवों में जो चोर, डकैत बढ़ते जाते हैं, वे कम होंगे । मुझे इस बारे में और ज्यादा नहीं कहना है ।

*श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे मंत्री जी न जो कहा है, उनकी बात का जबाब देना है । उन्होंने कहा है कि हमारी समझ में नहीं आया कि ढाई सौ का क्या मंशा है । ढाई सौ का मंशा यह है कि जिस गांव में, पांच सौ आदमी रहते हैं वहां दो बन्दूकें होनी चाहिये, एक हजार आदमी रहते हों तो चार बंदूकें होनी चाहिये और दो हजार रहते हों तो आठ बन्दूकें होनी चाहिए । दूसरा मंशा गांव सभा की सिफारिश का है ।

लाल बहादुर जी ने और गुप्तार सिंह जी ने कहा कि गांव सभा की सिफारिश होने पर बहुत से गुन्डे बदमाश सभापतियों को मार डालेंगे । लेकिन आप देखिये कि वही गुंडे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बदमाश आज भी लाइसेंस पाते हैं। हम सबूत देते हैं। हमारे जिले में दो चार ऐसे लाइसेंस हैं जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं, कोई एक पैसे की आमदनी नहीं, उनके पास रिवाल्वर भी हैं, बन्दूक भी हैं। वह थानेदार और तहलीलदार और डिप्टी कलेक्टर की सिपारिश पर ही तो हैं। किसी गांव सभा की सिपारिश तो नहीं है। यही नहीं पहले जो हिस्टरी-शीटर रहे, डकैत रहे, उनके पास लाइसेंस हैं। किसने सिपरिश की? तो गांव सभा की सिपारिश में क्या आपत्ति हो जायगी?

आज अगर मंत्री जी चाहें तो मैं उनको दावत देता हूं। मेरे साथ वह चलें। मैं घर बैठा रहूंगा। एक आदमी को उनके साथ कर दूंगा। वह नहीं बतायेंगे कि आप मंत्री जी हैं। एक नहीं, दस बीस नहीं, जितने भी तहसील के अन्दर लाइसेंस मिले हैं, सब बतायेंगे कि थानेदार, तहसीलदार और डिप्टी साहब ने इतना लिया तब लाइसेंस मिला वह दस्तूर है।

शाहजहांपुर जिले में, आम रिवाज है, कलेक्टर साहब के पास जाइये तो एक हजार अल्प बचत योजना के लिये लेंगे, डिप्टी साहब के पास जाइये तो पांच सौ अल्प बचत योजना के लिये लेंगे, तहसीलदार के पास जाइये तो ढाई सौ रुपया अल्प बचत योजना के लिये लेंगे। थानेदार को अल्प बचत योजना से कोई मतलब नहीं है। उसे अपनी थैली से मतलब है।

लाल बहादुर जी ने कहा कि जिनकी हैसियत हो उनको लाइसेंस दीजिये। हमारे यहां, घुड़िया ग्राम, थाना कटरा में एक डकैती पड़ी और उस डकैत का लड़का डिप्टी कलेक्टर था बरेली में। उसका बाप डकैती डालने गया और उसको सात साल की सजा हुई। तो वह तो गरीब नहीं था? आपके कहने का मंशा है कि गरीब को लाइसेंस अगर दे दोगे तो वह डकैती डालेंगे।

श्री लाल बहादुर--माान्यवर, मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री बालक राम--आपने कहा कि हैसियत वाले को लाइसेंस दीजिये। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि जिसके पास पैसा है रुपया है उसको दीजिये।

श्री लाल बहादुर--सोशल स्टेटस।

श्री बालक राम--अब आप देखिए कि गांव सभा की सिपारिश का मतलब जो है वह यह है कि गांव सभा का सभापति जो है वह सिपारिश करे। गांव सभा ने, गांव भर ने मिलकर के उसे चुना है। ईमानदार समझकर चुना है, भला आदमी समझकर चुना है। तो उसकी सिपारिश जो होगी वह किसी चोर बदमाश के लिये नहीं होगी और फिर हम तो इस जगह पर आते हैं जो गांव सभा का सभापति हो उसी को दे दीजिए। हमारा तो मतलब है कि हर गांव में एक एक लाइसेंस होना चाहिए जरूर और यह मेरा दावा है कि अगर लाइसेंस हो तो उस गांव में डकैती नहीं पड़ती।

अभी इसी साल की बात है, हमारे गांव के करीब में ३५ आदमियों का बदमाशों का एक गिरोह कुंडरी नदी के किनारे पड़ा हुआ था। (व्यवधान) सुनिये तो मेरी बात। मैं आपकी बात खामोशी से सुनता रहा हूं और अगर ज्यादा बहस करनी हो तो मैं आपके कमरे के बगल में ही रहता हूं दारुलशफा में, वहां आ जाइएगा। तो मैंने सुपरिंटेंडेंट साहब से कहा, कलेक्टर साहब से कहा कि अगर आप पुलिस नहीं भेजते हैं, गारद नहीं भेजते हैं तो वह डकैत डकैती जरूर डालेंगे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन हमारे गांव में तो डकैती पड़ नहीं सकती थी क्योंकि आठ-आठ लाइसेंस

[श्री बालक राम]

उस गांव में हैं। मगर उसके पड़ोस में जो छोटे-छोटे गांव हैं वहां कोई लाइसेंस नहीं है। नतीजा यह हुआ कि मेरे बताने के चार रोज बाद पास के एक छोटे गांव में डकैती पड़ गई जहां कि कोई लाइसेंस नहीं था।

श्री लाल बहादुर--जब आपके जैसे वस्त्र वाले सोशलिस्ट होंगे तो और क्या होगा ?

श्री बालक राम--इसीलिए तो यह बात है। इस देश की यह दशा इसीलिए है कि इस वस्त्र वालों को आप मानते ही नहीं हैं और यह आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में हमेशा ऋषि मुनियों का ही काम रहा देश का सुधार करना। यह चोटी वाले और छज्जे वाले और दाढ़ी वालों ने न कभी किया और न कर सकते हैं। वह तो केवल यही कर सकते हैं कि लूटें खायें और मजा उड़ायें। अगर सुधार हो सकता है तो वह फक्कड़ आदमी ही कर सकता है और सोशलिस्ट का काम सीधा सीधा यही है कि देश का सुधार करना। देश का बिगाड़ करना कांग्रेस के जिम्मे है और उन्हें वह मुबारक रहे।

तो मैं बता रहा था कि मैंने जब थानेदार, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर वगैरह सब से कहा तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि तीन चार रोज बाद डकैती हो गई। और तब उनको जाकर सूझा कि हां, बालक राम ठीक कह रहे थे। फिर उन्होंने गारद भेजी तो वह वहां से भागे।

आप गांव सभा की बात की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि नहीं हो सकता लेकिन मैं पूछता हूं आज से कुछ साल पहले जब कि इसी कांग्रेसी सरकार ने दस गुना लगान वसूल किया था तो कानून बना दिया था कि जो दस गुना लगान दाखिल कर देगा या एक हजार रुपये जो दाखिल करा देगा उसको लाइसेंस दे दिया जायगा। उसका नतीजा यह हुआ कि जलालपुर में चार लाइसेंस इसी तरह से दे दिये गए। उन लोगों ने तीन-चार गांवों में जाकर दसगुना दाखिल करा दिया और उनको लाइसेंस मिल गया। मैंने उसी समय हाकिम परगना से कहा कि इसका नतीजा गलत होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो पार्टी की बिना पर कह रहे हैं आप दसगुने के खिलाफ हैं इसलिये कह रहे हैं मगर चार महीने नहीं हुए और चार कतल उस गांव में हो गए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप ठीक कहते थे।

अब मंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो कानून पास किया है वह लागू नहीं हो पाया। जब वह लागू हो जायगा तो कोई सवाल ही नहीं रह जायगा। लेकिन उसे आप क्यों देख रहे हैं ? आप जब चाहते हैं एक आर्डिनेन्स बना देते हैं। हम जानते हैं कि अभी आठ दस रोज बाद आप एक आर्डिनेन्स बनायेंगे कि जितने सोशलिस्ट एम० एल० एज० हैं उन सब को गिरफ्तार कर लो क्योंकि ये सत्याग्रह करेंगे। तो तब आप का कानून कहां चला जाता है ? दसगुने में आपने केंद्रीय सरकार से नहीं मंगाया और इसके लिये जरूरत पड़ गई कि वह जब पास हो जाय तब करेंगे।

मैं कहता हूं कि उसे जब पास हो तब करिए, लेकिन कम से कम इस वक्त इतना ही करिए कि आप अपने थानेदार, तहसीलदार, एस० पी० और कलेक्टर को इतना लिखकर भेज दीजिये कि हर एक गांव में कम से कम एक एक लाइसेन्स दे दिया जाय ताकि डकैती बन्द हो जाय। इतना ही मन्शा हमारे भाई हिम्मत सिंह जी के प्रस्ताव का है। कम से कम इससे आधी चोरी और डकैती कम हो जायगी। मेरा दावा है कि एक-एक गांव में एक या दो लाइसेन्स दे दिया जाय तो इससे डकैती बन्द हो जायगी।

लाल बहादुर सिंह जी ने बतलाया कि अगर बन्दूक दे देंगे तो इससे दोनों तरफ के लोगों को बड़ा खतरा होगा और बड़ी फौजदारी होगी। वह तो अभी भी होती है। अगर किसी के पास बन्दूक नहीं है तो लाठी से होती है। जिनको लड़ना होता है वह तो लाठी से भी

लड़ते हैं और अगर लाठी नहीं होती है तो हाथ से लड़ते हैं। जो नहीं लड़ने वाले हैं वह बन्दूक से भी नहीं लड़ेंगे। हम देहात में देखते हैं कि लाठी ही वहां पर होती है। गोली तो डकैती में ही लोग चलाते हैं। अगर कहीं पर गोली चलती है तो वह चोरी वाली ही बन्दूक की चलती है। लाइसेन्स वाले को तो डर बना रहता है कि अगर कहीं उस बन्दूक को चला दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो जायगा और पुलिस उसकी बन्दुक को छीन लेगी। वह तो डरता रहता है। गोली तो आपस में वही लोग वहां पर चलाते हैं जिनके पास चोरी की बन्दूक रहती है।

एक बात यह कही गई कि जिन लोगों को लाइसेन्स दे दिया गया उन लोगों ने कारतूस दूसरे लोगों को दे दिये और अक्सर वे दे देते हैं। अगर इसको मान लिया जाय कि कारतूस लाइसेन्स से उनको मिल जाता है तो फिर वह बन्दूक उनको कौन दे देता है? वह बन्दूक कहां से लाते हैं। जिस सूरत से वह चोरी की बन्दूक लाते हैं उसी सूरत से वह चोरी से कारतूस भी लाते हैं।

मैं आपको यह भी बतलाऊं कि जिनका यह चोरी करना पेशा है उनके घरों में मशीन भी रहती है और उससे वह कारतूस बना लेते हैं। २, ४ जगह इस तरह से कारतूस पकड़े गये हैं और मशीन भी पकड़ी गई है। उनको तो न लाइसेन्स की जरूरत है और न कारतूत की जरूरत होती है। वह तो खुद ही सब कुछ बना लेते हैं। जब वह डकैती करने के लिये जाते हैं तो ५०,१०० अदमियों का गिरोह बना लेते हैं। कहां से वह सब सामान लाते हैं इसका पता सरकार को नहीं है? लाइसेन्स वालों का हिसाब तो बारातों से ही पूरा नहीं होता है। जितने लाइसेन्स देहातों में आज हैं उनका कारतूस का खर्चा बारातों से पूरा नहीं होता है। देहातों में जो डकैत, चोर और बदमाश हैं वे कभी किसी से मांगने नहीं जाते हैं। वे तो अपने आप बनाते हैं और खुद अपनी बन्दूक चलाते हैं। दूसरे के भरोसे अगर वे बैठे रहें तो वे चोरी नहीं कर सकते हैं। इसलिये कम से कम इतनी मेहरबानी कीजिये कि आप इसको न रोकिये और कम से कम डकैती रोकने के लिये हर गांव में १, २ लाइसेन्स दीजिये ताकि डकैती बन्द हो जाय।

(श्री रणबहादुरसिंह का नाम पुकारा गया।)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—एक माननीय सदस्य पहले ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं।

***श्री रणबहादुर सिंह**—(जिला बस्ती) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो यह संकल्प पेश है, उसका उस रूप में नहीं जिस रूप से वह है, किन्तु उसका जो मन्शा है उसके समर्थन में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं है कि आज जो यह प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसका जो रूप है वह कुछ ऐसा है जिससे पूरे से नहीं लेकिन उसके कुछ अंश, उसकी मंशा के बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है। आज गांवों को देखा जाय कि कैसी गांवों की हालत है। ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जो साधन विहीन हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है। बाहर से लोग आये और यहां तक कि असली बन्दूक की कौन कहे वह झूठी बन्दूक लेकर आते हैं और गांव को लूटकर चले जाते हैं। इसलिये आज जो मौका मौजूदा लाइसेन्स देने का तरीका है उसमें आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुर सिंह]

इसमें कोई सन्देह नहीं है और मैं भी यह समझता हूं कि हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिनको यह खतरा है कि अगर लाइसेन्स काफी संख्या में दिये गये तो उससे और अधिक चोरी और डकैती बढ़ सकती है, काफी क्षेत्र में लूटमार हो जायगी और तो वहां बन्दूक चलने लगेंगी। मैं समझता हूं इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है और न सरकार को इससे डरना चाहिये। मैं जब यह सोचता हूं कि यह कैसे हो सकता है तो उस सिलसिले में मैं एक गांव का जिक्र करना चाहता हूं मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और एक डिप्टी कलेक्टर हैं, दोनों की अपने गांव में पार्टीबाजी थी। तीन साल पहले का किस्सा है, एक दिन उस गांव में लगातार ६ घंटे तक गोली चली लेकिन छर्रा एक आदमी को भी नहीं लगा। वे दोनों हवाई फायर करते रहे। तो मैं इस विश्वास का हूं कि अगर गांवों में यह आर्म्स दिये जायं तो इससे उनकी भलाई ही हो सकती है, उनका नुकसान होने की संभावना नहीं है। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं।

दूसरी तरफ यह निवेदन करना चाहता हूं अगर कोई आदमी तैरना जानता है और पानी से डरता है तो उसे पानी में नहीं जाना चाहिये। लेकिन अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो उसका काम बिना पानी में जाये नहीं बन सकता। उसे बाहर रह कर तैरना नहीं आ सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को अपने कार्य को निर्भीकतापूर्वक करना चाहिये और इस दिशा में उसे बोल्ड स्टेप उठाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी समझता हूं कि जिन गांवों में सारे आदमी अच्छे हैं, सचरित्र हैं, वहां की जनसंख्या यदि २५० की है तो उन सभी को लाइसेंस दिया जाना चाहिये। इसमें इस प्रकार की कि २५० की जन-संख्या पर ही लाइसेन्स दिया जाय, कोई रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन जो मौजूदा तरीका है वह क्या है इसे हमें देखना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं जानता हूं कि यहां से सर्कुलर्स जाते हैं और यह उनका इरादा है कि भले आदमियों को लाइसेंस मिलें। मैंने नियम भी देखे हैं कि अगर एम० एल० एज० अप्लाई करें तो कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि मुझे ऐसे अधिकारी मिले हैं कि जिन्होंने मुझे ऐसे पत्र भी दिखलाये हैं कि जिनमें आदेश हैं कि इन्क्वायरी होनी चाहिये और इंक्वायरी हुई है। तो इसलिये जो इस समय चैनल बना हुआ है उसमें आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है और जब तक यह नहीं होता तब तक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की सुरक्षा का प्रबन्ध यह आपके १२ सिपाही, भले ही वह कितना अच्छा काम करते हों, और इसमें संदेह नहीं कि वे अच्छा काम करते हैं, नहीं कर पायेंगे।

इसलिये आवश्यकता है कि अच्छे भले आदमियों को लाइसेंस दिये जायं और काफी उदारतापूर्वक दिये जायं और इसके लिये गांव समाज की और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की राय देखी जाय। लेकिन इसमें जल्दी होनी चाहिये। जब हम भले आदमियों को कहते हैं कि लाइसेंस ले लो तो वे कहते हैं कि आपका तरीका इतना जटिल है कि हम उसमें पड़ना नहीं चाहते। लेकिन इसके साथ ही-हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो चोर हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं ये ५०,१०० रुपया खर्च कर के भिन्न भिन्न तरीकों से लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हैं और उनसे समाज पर, गांवों पर हमला करते हैं। बुरे आदमियों के पास तो आर्म्स की कमी नहीं है, डकैतों के पास ब्रेन गन, मशीनगन आदि सब हैं, लेकिन भले आदमियों के पास कुछ नहीं है, जोकि उनको मिलना चाहिये। इसलिये मैं इस विचार का हूं कि सरकार को इस प्रयोग को दृढ़तापूर्वक करना चाहिये और मुझे विश्वास है कि इसमें सरकार सफल होगी और इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जो परेशानी है, जो बेबसी है वह दूर होगी और वह अपनी रक्षा करने में सफल हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को आप के द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझे बोलने का अवसर दिया। इस प्रस्ताव के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह कि इस प्रस्ताव के आने का कारण क्या है? इसके आने का सिर्फ एक ही कारण है। आज गांव-गांव में जितने लोहार हैं वे अब तमन्चा बनाने का कार्य ही करने लगे हैं। अब कोई खुर्पी नहीं बनाता है, बरतनों में पेंदी नहीं लगवाता है, और काम उनसे नहीं कराता है, बस वे यही कार्य करते हैं तमन्चा बनाने का। जहां कहीं भी लोहार रह गये हैं वे यही बनाते हैं। अब जब तमन्चे गांव-गांव में बनने लगे तो इसके दो खरीदार हो गये। कोई भला आदमी तो उसको खरीदता नहीं। उसको दो ही खरीदने वाले पैदा हो गये एक डकैत लोग और दूसरे पुलिस वाले।

यह देसी तमन्चा छोटा-सा होता है और यह आसानी से पाया छुपा सकता है। डकैत तो डाका डालने के लिये खरीदते हैं, यह पुलिस वाले क्यों खरीदते हैं? यह लोग क्या करते हैं? १५-२० रुपये का यह तमन्चा होता है, इसको खरीदकर यह लोग १ हजार रुपया कमाते हैं। वह कैसे? यह तमन्चा लेकर चल देते हैं और गांव में जिसको देखा कि वह मालदार आसामी है, बढ़िया सी उनकी बिल्डिंग है, घर के आगे बैलों की जोड़ी बंधी है, स्थिति उसकी अच्छी है, बस उसके छप्पर में तमन्चा छिपा कर चले गये और थाने वापस आ गये। दूसरे दिन थानेदार साहब को साथ लेकर उसी के यहां चल दिये और उस तमन्चे को बरामद कर लिया। अब थानेदार साहब कहने लगे कि पांच सौ रुपये दो तो छोड़ेंगे, हजार रुपये दो तो छोड़ेंगे, इस तरह की बातें होने लगती हैं और वे उस गरीब से उतना रुपया ले लेते हैं। तो इस तरह से वे रुपया उस तमन्चे से पैदा करते हैं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज कल इस बेइन्तिहाई तरीके से तमन्चे बनते चले जा रहे हैं जिनका कोई शुमार नहीं है। इसलिये मैं तो यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो देसी तमन्चे बनते हैं उनको गांव-गांव में फ्री कर दिया जाय। उन पर कोई रोक न लगायी जाय। आप जो २६ इंच से ३२ इन्ची वाली बन्दूक होती है उस पर रोक लगा दें लेकिन इन देसी तमन्चों पर रोक न लगायें। अब आप कहेंगे कि यह क्यों? क उसूल है सारी दुनिया का कि ज्यों ज्यों रफतार बढ़ती-जाती है त्यों त्यों मंजिल घटती जाती है। आप देखें, जब तलवार और तीरकमान का जमाना था तब लड़ाइयां ज्यादा होती थीं। उसके बाद ज्यों-ज्यों हथियार बनने लगे त्यों-त्यों लड़ाइयां कम होती गयीं। अगर इतिहास को देखा जाय, उसके पन्नों को उलटा जाय, तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

आज जब हाइड्रोजन बम्ब बनने लगे हैं और बहुत से हथियार बनने लगे हैं, लड़ाइयां बहुत कम हो गयी हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनका प्रयोग करें। जहां-जहां ऐसे हथियार बनें हैं वहां-वहां वे सब तहाये हुए रखे हैं। आज रूस, अमेरिका, जापान, इंगलैन्ड आदि जितने देश हैं कोई भी इनका प्रयोग करना नहीं चाहता और सब घबराते हैं। इसलिये अगर इन ऐसे तमन्चों को आप फ्री कर दें और जब यह ज्यादा लोगों के पास हो जायंगे तो वे एक दूसरे से डरेंगे। इस तरह से इनको फ्री कर देने से निश्चय ही एक गांव में १०-२०-५० तमन्चे हो जायेंगे और लोग एक दूसरे से डरेंगे। इसको बनाने में कोई लागत तो विशेष लगती नहीं, साइकिल की एक नाली से तमन्चा बना लिया जाता है। जब इसकी तादाद गांव में ज्यादा हो जायेगी तो चोर और डकैत भी डरेंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी।

एक बात मैं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई भी कारखाना बन्दूकों का नहीं है। अगर किसी को बन्दूक का लाइसेन्स मिल भी जाता है तो उसको बन्दूक नहीं मिलती है। उद्योग बहुत खोले आपने मगर कोई

[श्री शिवप्रसाद नागर]

उद्योग ऐसा नहीं खोला आपने जिसमें बन्दूकें इस कसरत से बनें कि बन्दूकों की कीमत सौ रुपये हो जाय। कानपुर में किसी लखपती या करोड़पती का होगा लेकिन वे भी छः सौ ७ सौ से कम में नहीं देते। क्योंकि जब किसी को बन्दूक का लाइसेंस मिल जाता है तो मुझसे कहते हैं कि नागर जी चलो, खरीदवा दो तो कहीं भी ५ सौ, ६ सौ से कम का नहीं मिलता और अगर विलायती हुआ तो हजार बाहर सौ तक कीमत पहुंचती है। लेकिन अभी तक आप कोई ऐसा कारखाना नहीं खोल पाये जहां हम सौ सवा सौ रुपये का बन्दूक खरीद सकें।

श्री उपाध्यक्ष—अब नागर जी, आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित होगया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ अप्रैल, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६५ पर)

शुगरकेन इन्स्पेक्टरों व आनरेरी केन इन्स्पेक्टरों की सूची

नाम जिला	संख्या शुगर केन इन्सपेक्टर	संख्या आनरेरी शुगरकेन इन्स्पेक्टर
१—देवरिया	१	२४
२—गोरखपुर	१	१३
३—गोंडा	१	१०
४—सीतापुर	१	१७
५—बरेली	१	७
६—मुरादाबाद	१	४६
७—मेरठ	१	२६
८—सहारनपुर	१	३७
९—नैनीताल	..	१८
१०—हरदोई	..	११
११—फैजाबाद	..	१०
१२—बस्ती	..	९
१३—लखीमपुर	..	९
१४—बाराबंकी	..	५
१५—बुलन्दशहर	..	४
१६—बलिया	..	२
१७—एटा	..	३
१८—पीलीभीत	..	९
१९—शाहजहांपुर	..	७
२०—लखनऊ	..	२
२१—बदायूं	..	५
२२—देहरादून	..	३
२३—सुल्तानपुर	..	७
२४—जौनपुर	..	३
२५—वाराणसी	..	५
२६—बिजनौर	..	२१
२७—रामपुर	..	१३
२८—बहराइच	..	८
२९—मुजफ्फरनगर	..	१८
३०—आजमगढ़	..	६
३१—फैजाबाद	..	२
३२—गाजीपुर	..	१
योग ..	८	३६४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७१ पर)

तालिका

	१९५७	१९५८	१९५९
Indian National Trade Union Congress ..	२२९	२०२	२१६
Hind Mazdoor Sabha	६९	७०	१००
All-India Trade Union Congress ..	५०	२०	९६

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७१ पर)

उन तहसीलदारों के नाम जो तीन वर्षों से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर) के पद पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं।

१—श्री मोहम्मद शैफ उल्लाह खां
२—श्री अब्दुल जमील खां
३—श्री रघुराज सिंह
४—श्री विशम्भर नरायन खन्ना
५—श्री जैनारायन लाल वर्मा
६—श्री बलवीर सिंह
७—श्री देशराज सिंह
८—श्री खलक सिंह।
९—श्री अहमद करीम
१०—श्री ओंकार सहाय
११—श्री गिरीशचन्द्र
१२—श्री सरस्वती प्रसाद
१३—श्री मुहम्मद सिद्दीक खां
१४—श्री रामदास शर्मा
१५—श्री कालीन्द्री दयाल
१६—श्री माणिकचन्द्र जैन
१७—श्री मोहन मनोहर सिंह सन्धल
१८—श्री द्वारिका नाथ टन्डन
१९—श्री महादेव प्रसाद ध्यानी
२०—श्री शोभत सिंह डोटियाल
२१—श्री बलबीरसिंह माथुर
२२—श्री वृन्दाबन।
२३—श्री बाबूराम शुक्ला
२४—श्री घनश्याम पान्डे
२५—श्री भगवानदयाल श्रीवास्तव
२६—श्री फतेह बहादुर सिंह
२७—श्री रियाज अहमद जाफरी
२८—श्री काजी मुहम्मद यहिया
२९—श्री महमूद अली खां
३०—श्री जमील रजा खां
३१—श्री रोहितास सिंह
३२—श्री ओम प्रकाश
३३—श्री आनन्द स्वरूप
३४—श्री ए० जे० कटिंग
३५—श्री गंगा प्रसाद।
३६—श्री विश्नु सेवक वर्मा
३७—श्री चन्द्रिकाप्रसाद श्रीवास्तव
३८—श्री मोहम्मद इब्राहीम
३९—श्री देवीदत्त जोशी
४०—श्री दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव
४१—श्री नजमुल हसन जैदी
४२—श्री फसीह उद्दीन
४३—श्री जहीर उल्ला
४४—श्री शिवबन्श सहाय वर्मा
४५—श्री कृष्णप्रसाद माथुर
४६—श्री श्याम लाल
४७—श्री बसन्त बिहारी भाटिया
४८—श्री अम्बा प्रकाश
४९—श्री कामेश्वरनाथ उपाध्याय
५०—श्री इन्द्र प्रताप सिंह
५१—श्री श्रीकृष्णदास माथुर
५२—श्री बाचस्पती नैथानी
५३—श्री उमाचरन मिश्रा
५४—श्री घनप्रकाश गुप्त
५५—श्री राम सहाय प्रथम
५६—श्री वेद प्रकाश
५७—श्री श्यामनारायण खरे
५८—श्री ठाकुर प्रसाद सिंह
५९—श्री इन्दु भूषन खन्डूरी
६०—श्री गयाप्रसाद श्रीवास्तव
६१—श्री अब्दुल वाहिद खां बारसी
६२—श्री भगत सिंह
६३—श्री हरिश्चन्द्र घिल्डयाल
६४—श्री गंगाप्रसाद द्विवेदी
६५—श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर
६६—श्री महाबीर सिंह
६७—श्री महिपाल सिंह
६८—श्री रामरतन श्रीवास्तव
६९—श्री बलवन्तसिंह रावत
७०—श्री हामिद अली खां
७१—श्री रामेश्वरप्रसाद मित्तल
७२—श्री सीताराम सरन
७३—श्री रामरतन सिंह
७४—श्री बृज मोहन सिंह
७५—श्री हरदत्त सिंह
७६—श्री जंगबहादुर पान्डे
७७—श्री रामसहाय द्वितीय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

No. 1125(P)/XXXVI-B—22(P)/1959.

FROM

SRI S. P. PANDE, I.A.S.,
UP SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

THE LABOUR COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH,
KANPUR.

SHRAM (KHA) VIBHAG

Dated Lucknow, December 9, 1959.

Subject : **Rules relating to the accounting procedure, etc. under the U. P. Old Age Pension Scheme**

SIR,

IN continuation of G.O. no. 920(P)/XXXVI-B—6(P)-1959, dated November 27, 1959, on the above subject, I am directed to say that the Governor has been pleased to order that the following amendments shall be made in the Annexure to the "Rules relating to the Accounting Procedure, etc. under the U. P. Old Age Pension Scheme" :

Amendments

(1) *In paragraph 2 of the "U. P. Old Age Pension Scheme", and paragraph 8 of the "Instructions to the District Magistrates regarding Old Age Pension Scheme"—*

delete the words "son's wife" and "real brother's wife" from clauses (i) and (ii) respectively ;

delete the clauses (iii) and (v), and

re-number the existing clauses (iv) and (vi) as (iii) and (iv) respectively ;

delete the words "in the case of the only living relative being a wife", occurring in the first line of proviso (ii) ;

add the following as Explanation (iii) :

"(iii) a 'step-son' will not be deemed to be a 'son' for the purpose of para 2 (i)";

add the following at the end of the existing "Note" ;

"But persons, who are not actually beggars by profession but sometimes receive occasional assistance from some people shall be allowed pensions if they are otherwise eligible and are certified to be 'destitutes' by the District Magistrates concerned".

(2) *In clause 5 of the application form "O. A. P.-I"*—

delete the words "**पुत्र की पत्नी**" and "**सगे भाई की पत्नी**" from sub-clauses (**क**) and (**ख**) respectively,

delete the sub-clauses (**ग**) and (**च**) and

re-number the existing sub-clauses (**घ**) and (**छ**) as (**ग**) and (**घ**) respectively.

Yours faithfully,

(S. P. PANDE),
Up Sachiv.

FINANCE DEPARTMENT
No. 1125 (P) (1)/XXXVI-B

COPY forwarded for information to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, in continuation of G. E. no. 920 (P)(i)/XXXVI-B—6(P)-59, dated November 27, 1959.

By order,

G. C. PANDE,
Sahayak Sachiv.

SHRAM (KHA) VIBHAG
No. 1125(P)(ii)/XXXVI-B

COPY forwarded for information to—

(1) All District Officers, Uttar Pradesh.
(2) All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh.
(3) All Departments of the Secretariat.
(4) Finance Department (E-2)/(E-3) of the Secretariat.

By order,

(S. P. PANDE),
Up Sachiv.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७३ पर।)

Copy of letter no. nil, dated 10th November, 1959, from the nine men elected members of the Committee on behalf of the tenants of Balkeshwar Colony, Agra to Sri SAMPURNANANDJI, *Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh (Camp Agra).*

We are much obliged to get an opportunity to place this Memorandum before your honour on behalf of about five thousand inhabitants residing in the Balkeshwar Colony constructed under the Housing Scheme by the Uttar Pradesh Government. The simple facts of the Memorandum are as under :

1. That the Colony under reference was constructed in the year 1955 with 1,296 quarters out of which about 150 are still vacant.

2. That in the year 1957 the Housing Commissioner, Kanpur, through the Regional Conciliation Officer concerned, Agra, started allotting quarters on the application tendered by different sets of people, from different walks of life, like office-going employees, persons employed in 509 Command Workshop and other defence services as well as Central and State Government Departments like Railways, Post and Telegraphs, Roadways along with commercial establishments like Banks, Insurance and mercantile concerns, workmen and labourers of various factories and industries so also the income earners like petty shop-keepers, drivers, cleaners, etc. Important to mention is that the rent decided to be paid by each occupant irrespective of any occupation, profession or vacation was Rs.10 per month. Equally important is to mention that under the Industrial Housing Act, 1955, there is no such provision giving powers to any authority to enhancement of the rent once fixed after full consideration.

3. That hardly two years have passed and now many of the occupants numbering about 900 comprising 5,000 members of their families have been served with the notices that the rent on and from 15th November, 1959, shall be increased right from Rs.10 to 18.07 nP. per month and further if any occupant refuses to accept fresh agreement in respect of revised rent, the allotment shall be cancelled.

4. That your Honour will appreciate the injustification of such an arbitrary order inas much as not only it is against the lawful provision of Industrial Housing Act, 1955, but it imposes such grave hardships which cannot be borne by the class of people residing in the colony on account of the limited earnings. It is a question of 80 per cent increase and the family budgets are completely disrupted by this unexpected overnight announcement of the Housing Commissioner.

5. That your Honour shall also appreciate the hard facts that all the concerned oaccupants already left their previous residences either good, bad or different, whatever they were with clear conviction in their minds of paying Rs.10 for every month as rent and came to this colony for good, The position which your Honour is to determine is to where these honourable citizens of the Great Indian Republic have to go with their families on account of their incapacity to pay the enhanced rent and the non-availability of the houses in the city for such large number of peoples.

6. That we have come before your Honour with the hope that as a public leader and a Champion of the down-troddens and a man of authority in Uttar Pradesh with broad social and ethical background, shall review this whole perspective from practical and humanitarian point of view and shall be pleased to direct the Housing Commissioner to withdraw such notices.

We thank you for the patient hearing.

Copy to—

Housiug Commissioner, Uttar Pradesh, Kanpur, for information.

The deputation met the Chief Minister at Circuit House on 10th November, 1959. It was given patient hearing and assured sympathetic consideration.

(Sd.), (ILLIGIBLE),
For *Rent Relief Committee*,
28/7 *Balkeshwar Colony*,
Agra.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

तालिका 'क'

तालिका जिसमें उत्तर प्रदेश की वे चीनी मिलें जो इस समय गन्ने का मूल्य एक रुपया दस आना से अधिक दे रही हैं, उनका विवरण दिया हुआ है

क्रम-संख्या	चीनी मिलों का नाम जो इस समय गेट पर सप्लाई किये गये गन्ने का मूल्य निर्धारित न्यूनतम मूल्य अर्थात् १ रु० १० आ० प्रति मन से अधिक दे रही हैं				
१	मंसूरपुर	..	..	..	(मुजफ्फरनगर)
२	खतौली	..	..	..	(,,)
३	रौहाना	..	..	..	(,,)
४	शामली	..	..	..	(,,)
५	महोली	..	..	..	(सीतापुर)
६	रोसा	..	..	..	(शाहजहांपुर)
७	देवबन्द	..	..	..	(सहारनपुर)
८	मसोधा	..	..	..	(फैजाबाद)
९	सखोती टांडा	..	..	..	(मेरठ)
१०	मोदीनगर	..	..	..	(,,)
११	मवाना	..	..	..	(,,)
१२	दौराला	..	..	..	(,,)
१३	मैलियाना	..	..	..	(,,)
१४	मोहिउद्दीनपुर	..	..	..	(,,)
१५	सिम्भौली	..	..	..	(,,)
१६	बुढ़वल	..	..	..	(बाराबंकी)
१७	बुलन्दशहर	..	..	..	(बुलन्दशहर)
१८	शाहगंज	..	..	..	(जौनपुर)
१९	इकबालपुर	..	..	..	(सहारनपुर)
२०	सहारनपुर	..	..	..	(,,)
२१	बरेली	..	..	..	(बरेली)

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७५ पर)

तालिका 'ख'

तालिका जिसमें गन्ना आयुक्त द्वारा ४-११-५६ से अब तक इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों (गेट) तथा गन्ने की तोलें (आउट सेंटर्स) का निरीक्षण किया गया, उसका विवरण दिया हुआ है

क्रम-संख्या	चीनी मिल (गेट) जिनका निरीक्षण किया		चीनी मिलों के आउट सेंटर्स जिनका निरीक्षण किया
१	महौली गेट	.. (सीतापुर)	दलपतपुर व मुंडापांडे सेंटर्स (इकबालपुर), जिला सहारनपुर।
२	मोदीनगर गेट	.. (मेरठ)	..
३	मोहीउद्दीनपुर	.. (,,)	..
४	मैलियाना गेट	.. (,,)	..
५	दौराला गेट	.. (,,)	..
६	सदोतीटांडा गेट	.. (,,)	..
७	बुढ़वल गेट	.. (बाराबंकी)	..
८	जरवलरोड गेट	.. (बहराइच)	रोड सेंटर्स (जरवल रोड)।
९	मसोधा गेट	.. (फैजाबाद)	रोड सेंटर्स (मसोधा)।
१०	हरदोई गेट	.. (हरदोई)	रोड सेंटर्स (हरदोई)।
११	रोसा गेट ..	.. (शाहजहांपुर)	रोड सेंटर्स (रोसा)।
१२	बभनान गेट	.. (गोंडा)	..
१३	मुन्डेरवा गेट	.. (बस्ती)	..
१४	खलीलाबाद गेट	.. (,,)	..
१५	बस्ती गेट	.. (,,)	..
१६	वाल्टरगंज गेट	.. (,,)	..
१७	बिस्वां गेट	.. (सीतापुर)	..
१८	सिसवाबाजार गेट	.. (गोरखपुर)	..
१९	सरदारनगर गेट	.. (,,)	..
२०	गौरीबाजार गेट	.. (देवरिया)	..
२१	बैतालपुर	.. (,,)	..
२२	देवरिया गेट	.. (,,)	..
२३	पडरौना गेट	.. (,,)	..
२४	रामकोला (के) व (पी) गेट	(,,)	..
२५	कैप्टनगंज गेट	.. (,,)	..
२६	बरेली गेट	.. (बरेली)	..

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ पीछे पृष्ठ ७७६ पर)

परिशिष्ट 'अ'

औद्योगिक आस्थान नैनी में स्थित कारखानों की सूची

	नाम कारखाना	वस्तुएं जो बनायी जाती हैं
१—	मेसर्स नागर पेन ऐण्ड आइवरी फैक्ट्री	फाउनटेन पेन तथा उसके भाग।
२— ,,	*आनन्द मेटल वर्क्स	रिवेट्स।
३— ,,	*जायसवाल वायर नेल्स ..	वायर नेल्स।
४— ,,	भारत स्टील वायर एण्ड प्रोडक्ट्स।	सभी प्रकार का स्टील फर्नीचर।
५— ,,	*कमला कान्त वर्मा ..	टी चेस्ट्स, फिटिंग बकेट्स तथा डोर हिन्जेज।
६— ,,	*गंगा रोलिंग मिल्स ..	खेती के औजार।
७— ,,	*ओम प्रकाश विश्व मित्र ..	डोर हिन्जेज (कब्जे)।
८— ,,	*त्रिभुवन कारपोरेशन ..	बोल्ट्स तथा नट्स।
९— ,,	*मेटल क्रैफ्ट्स ..	सेनेटरी एवं हार्ड वेयर फिटिंग्स।
१०— ,,	*देशराज अरोरा ..	टिन प्रिंटिंग।
११— ,,	मेटस कन्टेनर्स लिमिटेड ..	टिन कन्टेनर बनाना।
१२— ,,	*नव भारत उद्योग सहकारी समिति, इलाहाबाद।	टूल्स, डाइज, तथा लेथ्स तथा ड्रिन्स आदि।
१३— ,,	*श्याम दास अग्रवाल ..	कुट्टी काटने की मशीन तथा गड़ासे।
१४— ,,	*गुलाथी ब्रादर्स ..	रेफ्रीजरेटर्स एवं एयर कन्डीशनर।
१५— ,,	*स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट।	सर्वोपयोगी कारखाने।
१६— ,,	*यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	साइकिल स्पोक्स।
१७— ,,	*साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कम्पनी	माइक्रोस्कोप्स, फिल्म प्रोजेक्टर तथा न्यूक्लीयर स्केल्स।
१८— ,,	*इंडियन इंडस्ट्रियल कारपोरेशन	स्टेनलेस स्टील तथा स्टील के बर्तन।
१९— ,,	विन्डो ऐण्ड इन्जीनियरिंग कारपोरेशन।	मेटल विन्डोज एवं साइकिल कम्पोनेंट्स
२०— ,,	*प्रयागराज फाउन्डरी ..	रेलवे स्लीपर
२१— ,,	*सरस्वती इंजीनियरिंग वर्क्स ..	कन्डयुट्स पाइप तथा रिवेट्स।
२२— ,,	*नार्दन इंडिया एलेक्ट्रिक कारपोरेशन।	प्रिंटिंग मशीन।
२३— ,,	कृष्णा इन्डस्ट्रीज ..	कन्डयूटस पाइप।
२४— ,,	इलाहाबाद स्पिन (प्रा०) लि०	आर० सी० सी० पाइप।
२५— ,,	*नेशनल वायर प्रोडक्ट्स ..	सेफ्टी पिन्स तथा पुश बटन्स।

*चिन्हांकित कारखानों में उत्पादन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ये कारखाने कार्य प्रारम्भ करेंगे।

परिशिष्ट 'ब'

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में स्थित कारखानों की सूची

कारखानों के नाम	उद्योग का नाम (वस्तुयें जो बनायी जाती हैं)
१—मेसर्स स्वदेशी काटन मिल ..	स्टेपिल यार्न स्पिनिंग।
२— ,, चैम्पियन साइकिल इंडस्ट्रीज..	साइकिल के पुर्जे बनाना।
३— ,, लिप्टन लिमिटेड ..	टी पैकिंग ऐण्ड ब्लैंडिंग।
४— ,, रामा स्टील वर्क्स ..	स्टील फर्नीचर, आलमारी, जाली तथा बक्स आदि।
५— ,, समाधिया सोप वर्क्स ..	साबुन बनाना।
६— ,, चैरी कमिकल्स वर्क्स ..	सोडियम सिलिकेट।
७— ,, शिव इंजीनियरिंग वर्क्स ..	बेबी एक्सपेलर, कुट्टी काटन की मशीन, केन क्रशर (गन्ने के कोल्हू) तथा आयल मिल मशीनरी पार्टस्।
८— ,, लाइट इन्डस्ट्रीज ..	चूना तथा सुर्खी।
९— ,, मनोहर आयल मिल्स ..	सरसों, तिल्ली तथा रेंड़ी का तैल।
१०— ,, जनरल इलेक्ट्रिकल कम्पनी ..	ट्रांस्फार्मर (परिवर्तक)।
११— ,, भारत स्ट्रा बोर्ड ऐण्ड पेपर मिल्स	मिल बोर्ड।
१२— ,, कुमार इन्डस्ट्रीज ..	साइकिल स्पोक ऐण्ड वाशर इत्यादि।
१३— ,, किंग्स फार्मेस्टिकल ..	फार्मस्टिकल।
१४— ,, नवीन इंजीनियरिंग वर्क्स ..	रेन वाटर पाइप, केन क्रशर और मैन होल कवर और अन्य म्युनिसिपल इम्प्लीमेंट्स।
१५— ,, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी..	साइकिल स्टैन्ड तथा कैरियर।
१६— ,, अहूजा लाइम फैक्टरी ..	चूना तथा सुर्खी।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८४ पर)

प्रतिलिपि

आदरणीय मन्त्री जी,
स्वायत्त शासन विभाग,
लखनऊ।

हमारे जिले में परिषद् के अधिकारियों द्वारा बहुत से अनियमित तथा अवैधानिक कार्य किये गये हैं जिनकी सूचि बनायी जाय तो बड़ी लम्बी हो सकती है। केवल कुछ प्रमुख अनियमितताओं की तरफ श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आशा है छानबीन करके उचित कार्यवाही करने की उदारता दिखायेंगे।

आपका विश्वासपात्र
(ह०) रामसूरत सिंह,
एम० एल० सी०
गाजीपुर।

दिनांक ३१-८-५९

अन्तरिम जिला परिषद्, गाजीपुर की अनियमितताओं की सूची

१—परिषद् का लाखों रुपया नियम के विरुद्ध एडवान्स दिया गया है।

२—श्री पी० सी० जैन को बिना परिषद् की स्वीकृति के तीन एडवान्स इन्क्रीमेन्ट देकर इन्जीनियर नियुक्त कर लिया गया और उन्हें अप्वाइन्टमेंट आर्डर दे दिया गया। बहुत दिन कार्य करने के बाद जब दूसरे जिलाधीश आये और इस अनियमितता को देखा तो परिषद् से सिफारिश करके इस गलती को ठीक करने के लिये स्वीकृति दिलायी। बाद में यह भी मालूम हुआ है कि श्री जैन अनक्वालीफाइड थे और ३ इन्क्रीमेन्ट देना भी अनियमित था। यह कार्य परिषद् को अन्धकार में रख कर कराया गया।

३—चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर महोदय ने नियम के विरुद्ध ३-४-१९५९ से २२-८-१९५९ तक श्री राम औतार राम, एक जूनियर ओवर सियर अन्तरिम जिला परिषद् से इन्जीनियर का कार्य लिया है। इसके सम्बन्ध में परिषद ने अपनी २२-८-१९५९ की बैठक में श्री राम औतार राम के इन्जीनियर पद पर कार्य करने के प्रस्ताव की अस्वीकृति जिन कारणों से दी उनकी एक प्रति इसके साथ नत्थी है।

४—बिना परिषद् के पोस्ट क्रियेट कराये श्री मलिक मुस्तफा की नियुक्ति असिस्टेन्ट एकाउन्टेट के पद पर कर दी गई और उनसे करीब आठ महीने काम भी लिया गया।

५—नियम के विरुद्ध मुख्य कार्याधिकारी परिषद् के सारे चैकों पर दस्तखत करते आ रहे हैं जब कि उन्हें ऐसा करने के लिये कोई अधिकार नहीं दिया गया।

६—श्री सुखराज राम हरिजन, जो एक ट्रेन्ड टीचर था और बहुत दिनों से सर्विस में चला आ रहा था, बिना नोटिस या बरखास्तगी के साल भर से सर्विस से अलग कर दिया गया है जब कि अप्रशिक्षित अध्यापकों से इस अवधि में काम लिया गया है।

७—१९५८ की ३७,००० रु० की गवर्नमेंट ग्रान्ट जो प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के सामान खरीदने के लिये परिषद् को मिली थी, उसके टेन्डर आदि की स्वीकृति परिषद् से बिना लिये ही सामान मंगाया गया।

८—२०,००० रु० का टाट परिषद की स्वीकृत दर से अधिक कीमत पर मंगाया गया।

९—जिले के सभी घाटों का नीलाम नियम को अवहेलना करके मुख्य कार्याधिकारी ने स्वयं कर दिया। गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ था।

१०—गत आर्थिक वर्ष में परिषद् के अस्पतालों के लिये जो दवायें मंगाई गईं वे नियम के विरुद्ध सिविल सर्जन ने मंगा लिया और उसका पेमेन्ट कर दिया गया। अन्त में परिषद से इस शर्त पर स्वीकृति ली गई कि ऐसी अनियमितता आगे नहीं होगी।

प्रतिलिपि

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
अन्तरिम जिला परिषद्
गाजीपुर।

महोदय,

अन्तरिम जिला परिषद् के प्रस्ताव संख्या २९ दिनांक २२-८-५९ के सम्बन्ध में हम निम्नांकित सदस्यगण अन्तरिम जिला परिषद्, गाजीपुर उन कारणों का उल्लेख कर देना उचित समझते हैं जिन कारणों से हम लोगों ने प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। इसका लिखने का कारण यह है कि जिन कारणों का उल्लेख किया गया वे प्रोसीडिंग बुक में नहीं लिखे गये हैं।

१—भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने श्री रामअवतार राम, ओवरसियर को अपने १-४-५९ के आदेश में इन्जीनियरिंग के पद पर नियुक्त नहीं किया इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उन्होंने केवल श्री राम औतार राम ओवरसियर को श्री पी० सी० जैन से चार्ज दिलवाया।

२—भूतपूर्व अध्यक्ष का उपर्युक्त आदेश भी अन्तरिम जिला परिषद् की स्वीकृति पर निर्भर था। यह स्वीकृति भी आदेश की अगली बैठक में नहीं ली गई।

३—१९-५-५९ को भूतपूर्व इन्जीनियर श्री पी० सी० जैन, परिषद, द्वारा बहाल कर दिये गये। उसके बाद किसी भी कर्मचारी को इन्जीनियर का चार्ज लेने का आदेश नहीं दिया गया और इन्जीनियर का पद रिक्त रहा।

४—आज २२-८-५९ के पूर्व और ३-४-५९ के बीच जो सार्वजनिक निर्माण के मद में श्री राम औतार राम के बिल पास करने पर भुगतान किया गया है सब अवैधानिक और अनियमित है। अतः परिषद् के इस धनराशि को उत्तरदायी व्यक्तियों से सरचार्ज किया जाय।

५—परिषद् के कार्यालय के अधिकारियों ने जानबूझ कर भूतपूर्व अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना किये और प्रस्ताव को समय के भीतर परिषद् के सामने नहीं आने दिया। ऐसे महत्व-पूर्ण मामले को अकारण टाल कर जनता के धन का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाय।

१४ सदस्यों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९१ पर)

वित्तीय वर्ष १९५९–६० में देवरिया जिले में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान पाने वालों की सूची

क्रम-संख्या	नाम व पता	उद्योग का नाम	ऋण	अनुदान
	जिला उद्योग समिति के द्वारा		रु०	रु०
१	श्री बल्देव हरिजन, ग्राम मरही चौरा	चर्म उद्योग ..	१,५००	
२	,, भुलावन हरिजन, रुद्रपुर	,,	७००	
३	,, मुकीम अहमद, रामपुर कारखाना	,,	७००	
४	,, विजाधर प्रसाद, रामकोला	.. ..	७००	
५	,, जंग बहादुर, पडरौना ..	ड्राइ क्लीनिंग व रंगाई	७,०००	
६	,, राजेन्द्र प्रसाद, भरौली बाजार ..	आरा मशीन ..	५,०००	
७	,, छेदी लाल शर्मा ,,	बेत उद्योग ..	१,५००	
८	,, कपिल देव सिंह, सेवरही	कृषि यन्त्र ..	४,०००	
९	,, सालिक राम, रामकोला	बीड़ी उद्योग ..	५००	
१०	,, अली हसन, देवरिया ..	जिल्द साजी ..	६००	
११	,, रामदेवी प्रसाद, निवुआराय गंज	नट, बोल्ट्स ..	२,०००	
		योग ..	२४,२००	
	ऋण तथा अनुदान समिति के द्वारा			
१२	श्री पृथ्वीराज प्रसाद, चान्दपुर	आरा मशीन ..	५,०००	..
१३	,, सीताराम जायसवाल, देवरिया	जलरंग ..	२,०००	..
१४	,, श्रीमती शकुन्तला देवी, देवरिया	कांटा व पिन ..	८,०००	..
१५	,, श्री राम लखन, गरुलपार	फर्नीचर ..	२,५००	..
१६	,, लक्ष्मी कुंवर, लक्ष्मी गंज ..	,, ..	४,०००	..
१७	,, महावीर प्रसाद, पडरौना	फर्नीचर व कृषि यन्त्र	५,०००	..

क्रम-संख्या	नाम व पता	उद्योग का नाम	ऋण	अनुदान
			रु०	रु०
१८	श्री खेदू राम, गरुलपार ..	आयरन फाउन्ड्री ..	१०,०००	..
१९	,, राजेन्द्र प्रसाद, भटनी ..	तांबे व पीतल के बर्तन	६,०००	..
२०	,, घनी प्रसाद, रामचक ..	ब्रुश बनाना ..	२,०००	..
२१	,, हीरा लाल कानू, रामकोला	फिनाइल ..	२,०००	..
२२	,, कामेश्वर नाथ पांडेय, लक्ष्मीगंज ..	बाल्टी व डोल ..	३,०००	..
२३	,, प्रेमचन्द्र हरिजन, सलेमपुर	सिलाई ..	,,	२००
२४	,, मुखलाल हरिजन ,, ..	,, ..	,,	२००
२५	,, देवता लाल, कटकुइया	,, ..	,,	३५०
२६	,, अवध बिहारी सिंह, रामपुर कारखाना ..	छपाई ..	,,	३००
२७	,, ढोढ़ा प्रसाद, रामकोला ..	फर्नीचर ..	१,०००	..
		योग ..	५०,५००	१,०५०
		कुल योग ..	७४,७००	१,०५०

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९३ पर)

सूची

सुल्तानपुर जिले में सरकारी अनुदान से बनाये गये पानी पीने के कुओं का विवरण

क्रम-संख्या	तहसील का नाम			कुल निर्मित कुओं की संख्या	हरिजन कुओं की संख्या
१	सदर	..	..	८१	२३
२	कादीपुर	..	..	५४	१९
३	अमेठी	..	..	३५	८
४	मुसाफिरखाना	..	..	४५	१३

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९३ पर)

जिला टेहरी-गढ़वाल में किये जाने वाले मुख्य-मुख्य विकास कार्यों की सूची

कृषि उत्पादन तथा उद्यान सम्बन्धी कार्य--

१--९ राजकीय फार्मों की स्थापना
२--उन्नतशील बीजों का वितरण
३--एक आलू के फार्म की स्थापना
४--नरसरियों को चालू करना तथा जीर्ण उद्यानों का पुनरुद्धार
५--कीड़ों तथा अन्य रोग बचाव सम्बन्धी कार्य
६--पशुपालन सम्बन्धी कार्य
७--भूमि संरक्षण तथा वन आरोपण कार्य

सिंचाई सम्बन्धी कार्य--

१--मल्ली माहन माइनर
२--बासर माइनर
३--बरकोट माइनर
४--२ डीजल सेट की स्थापना

उद्योग--

१--स्थापित किये गये औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate) के कार्य का संचालन करना।

यातायात--

१--सड़कों तथा पुलियों का निर्माण।

समाज शिक्षा--

१--स्थापित किये गये शरणालय एवं प्रवेशालय को चालू रखना।

२--पुरुष चिकित्सालय, टेहरी में आठ शैयाओं के कक्ष का निर्माण।

३--जिले के विभिन्न अस्पताल तथा औषधालयों के लिये पिछले वर्षों की भांति औषधि तथा रोगियों के भोजन के लिये राशियों को स्वीकार करना।

४--राजकीय नेत्र शिविर करना।

५--शिक्षा प्रसार सम्बन्धी कार्य।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--३५ एल० ए०--१९६०--८४५।